SS/1a/11.00

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

Q. NO. 501

SHRI MOINUL HASSAN: Sir, the question is related to the operating ratio of different zones of the Railways. In reply to my question, the hon. Minister said, "all are no." My question is, if we go through the operating ratio of different zones of the Railways, it reveals that the Eastern Railway is in the worse position now. After bifurcation, its position is deteriorating day by day. I would like to know from the hon. Minister whether after bifurcating the Dhanbad and Mogulsarai divisions, the situation has become like this. According to the suggestion of the Railway Convention Committee, will the Minister consider merging the Dhanbad division with the Eastern Railway to save the Eastern Railway, the prestigious zone of our country and the Railways also?

KM. MAMATA BANERJEE: Sir, it is a very sensitive question. Though I was not the Minister at the time when this bifurcation took place, you know, and you will appreciate that we had opposed this move. But bifurcation has been done 8 years ago, in 2002-03, and it is the expectation of every State that they want something more. We also want it. But we know that because of Dhanbad and Mogulsarai divisions, it has been cut off from the Eastern Railway. It is a fact that earlier the operating ratio was about 160. Before bifurcation, the operating ratio was 120, and after that, it is about 160. So, it is between 120 and 160. There are so many causes

Q. NO. 501 (CONTD.)

behind this and bifurcation is one of the main causes. The Eastern Railway, like the other Railways, is prestigious also. Now, so many zones have been set up. I would have been happy if my hon. friend had opposed it at that time.

SHRI SITARAM YECHURY: We opposed it.

KM. MAMATA BANERJEE: No, you did not. Please excuse me. Otherwise, we would have worked on the situation. But I do not want to play with fire now because it is already with the Jharkhand State. It is also a neglected State. But I would be very happy if it comes to us. It is a Cabinet decision, the Government decision. I think, if my friend from West Bengal, moves a resolution, I will support it. Thank you, Sir.

SHRI MOINUL HASSAN: Sir, everybody knows that many Committees have been formed by the Railways which do not have any direction relations with the Railways. But given the Committee members high salary, perks and infrastructural facilities, though it is an all India level Committee, it is actually working in the Eastern Railway area. The Eastern Railway is a small zone. Will the Minister say that this unwanted expenditure has an adverse effect on the operating ratio of the Eastern Railway at present?

KM. MAMATA BANERJEE: Sir, it is a fact that we have 16 zones. In 8 zones, the operating ratio is very good. But in the other 8 zones, the operating ratio is less. It depends on the situation also. If you see the figures in respect of the Eastern Zone, you will find that it depends on the average carried load of freight also. If you see

Q. NO. 501 (CONTD.)

the average carried load, then you will find that the Eastern Railway is not the longest part. It is a small part. It is a very good area. Now, they have the port, they have the potential area, they have the economically viable area. But there are some areas which are neglected. Why is Jammu and Kashmir given special importance? It is because that is our heart, that is the neglected part. In the case of the North-Eastern region, the operating ratio is just above 2 points something though it is 190 per cent just above the average. So, if you see Jammu and Kashmir and the North-Eastern region, it is above 2 points something. The Eastern Railway has the maintenance centre, the working expenses are more because...

(contd. by 1b)

ASC-MKS/1B/11.05

कुमारी ममता बनर्जी: जो इतने लम्बे distance हैं, वे सबसे कम हैं। It is 157 route kms. in the Eastern Zone. If you see the others, in the Central Zone, it is 325; in the East Coast, it is 359; in the North Eastern zone, it is 78; in the South-Eastern, it is 49. The South Eastern Railway is headquartered at Kolkata. So, it depends on one group or the other group. In our country, in some States, there are neglected areas, there are some good areas, there are some potential areas and there are some socially desirable areas; that is why, more and more steps should be taken for development of these neglected areas, to give them more expansion projects, to give them more expanding augmented areas and all that, and to create more and more infrastructure. Sir, it is a fact that out of about 14 lakh employees,

Q. NO. 501 (CONTD.)

1,13,000 are in the Eastern Railway, and in the Northern Railway, their staff strength is more. Sir, because of the Sixth Pay Commission, we have the burden also. So, due to the Sixth Pay Commission, Rs.55,000 crores are involved, and, now, in the Eastern Railway itself, due to the Sixth Pay Commission, our recurring expenditure for the staff also is about Rs.6,000 crores.

SHRI MOINUL HASSAN: Sir, the question is not about the staff strength.
...(Interruptions)... The answer is not related to my question.
...(Interruptions)... The answer is not related to my question, Sir.
...(Interruptions)...

SOME HON. MEMBERS: Please protect us. ... (Interruptions)...

SHRI MOINUL HASSAN: Sir, please protect us. ... (Interruptions)... Sir, may I repeat my question? Many Committees were formed by the Railways, which are not directly attached with the railway works. Many Committees have been formed.....

MR. CHAIRMAN: Your question relates to the original question.

SHRI MOINUL HASSAN: Yes, Sir. ... (Interruptions)... And they are working in the Eastern Railway Zone areas. My question is... ... (Interruptions)...

MS. MABEL REBELLO: Sir, this is a first supplementary.

SHRI MOINUL HASSAN: No, no, no. It is my second supplementary.

MR. CHAIRMAN: Okay. All right. You have repeated your question. That is all right.

Q. NO. 501 (CONTD.)

KM. MAMATA BANERJEE: Sir, with your kind permission, I want to reply. ...(Interruptions)... With your kind permission, Sir, I want to reply. Whatever Committees we have set up, it is according to our Constitution and our Railway rules and regulations. ...(Interruptions)... We have not done anything wrong, which is not related to the Railways. That is absolutely wrong, what you are quoting.

MR. CHAIRMAN: Shri Santosh Bagrodia.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Thank you, Mr. Chairman, Sir. I would like to know from the hon. Minister one thing. The income from higher classes of the Railways, particularly in Eastern Railway, is reducing year after year, whereas the income from the second classes and the lower classes is increasing. Is that the reason that you are giving more subsidies from the general revenue towards the dividend relief? If so, how much relief are you giving as a subsidy to the Eastern Zone only? And are you giving a similar relief to the other Zones? If not, why not?

KM. MAMATA BANERJEE: Sir, I think, you will appreciate that Railways is a vast Ministry, and we have got different types of Departments. We have got 14 lakhs of employees. It includes everything. So, Sir, we need a separate question for that because we have the vast staff, we have the plans, we have the augmentation infrastructure, we have the passenger services, we have the freight services; we have so many things. If he wants an answer to his specific question -- it is not

Q. NO. 501 (CONTD.)

related to the main question -- he should give notice for a separate question; we can reply to his separate question.

MR. CHAIRMAN: Dr. Malaisamy.

DR. K. MALAISAMY: Thank you, Mr. Chairman. I am inclined to appreciate the performance of Railways, but I am told that there are wasteful and objectionable expenditures as per the audit report of CAG. If so, can it be elaborated a little and the action taken to correct those wasteful and objectionable expenditures?

KM. MAMATA BANERJEE: Which year? I want to know the specific year.

DR. K. MALAISAMY: Okay. In the last three years, Sir.

KM. MAMATA BANERJEE: Sir, whatever report we have received from CAG, we respect the CAG report, and, as you know, I have already submitted a white paper. As for our accounting system, we are trying to strengthen the accounting system, and the CAG Report has also appreciated that; you know that. So, Sir, whatever we do, according to our CAG report, we take all steps and care.

MR. CHAIRMAN: Shri Sitaram Yechury.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, I am just adding in response to the Minister's reply to the first question that I just want to remind the hon. Minister that CPI(M) had always opposed the bifurcation of these zones. Number one. And the reason why we opposed is important, and that is related to my question, that Railways, apart from everything else, is the premier pan-Indian organization of ours, and it

Q. NO. 501 (CONTD.)

has an important role in giving a pan-Indian consciousness and promoting that consciousness in the country.

(Contd. by TMV/1C)

-MKS-TMV-LT/1C/11.10

SHRI SITARAM YECHURY (CONTD.): Therefore, bifurcation of railways Statewise is something that goes against the spirit of this pan-Indian consciousness. Will the Minister assure the House that there will be no further bifurcation of these zones State-wise as and when the demand comes? That is eroding the role that the railways is playing.

Secondly, she said that it was done eight years ago.

MR. CHAIRMAN: One question, please.

SHRI SITARAM YECHURY: She said that it was done eight years ago. Eight years ago the hon. Minister was a member of the Cabinet from the other side.

KM. MAMATA BANERJEE: No, I was not.

MR. CHAIRMAN: That is not relevant.

SHRI SITARAM YECHURY: Okay, that is not relevant. Answer the first question.

KM. MAMATA BANERJEE: Sir, in 2002 and 2003 I was not a Cabinet Minister. This is a wrong information. I think that anybody can ask me any question, but not politically motivated. (Interruptions)... I don't give the answer politically. I will

Q. NO. 501 (CONTD.)

appreciate the hon. Member, if he doesn't ask questions politically. (Interruptions)... It is a politically motivated question. (Interruptions)...

SHRI SITARAM YECHURY: How can it be politically motivated? (Interruptions)...

KM. MAMATA BANERJEE: At that time, we opposed it and now also. I will be happy if you bring a motion. (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Please don't intervene. (Interruptions)... No, Mr. Moinul Hassan, you had your time.

KM. MAMATA BANERJEE: You bring a motion, I will support you. (Interruptions)...

SHRI SITARAM YECHURY: I want an assurance from you, Madam, that you will not further bifurcate the zones State-wise. It is a simple question. (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Please. प्लीज बैट जाइए। (Interruptions)....

SHRI SITARAM YECHURY: We want no further bifurcation. (Interruptions)...

KM. MAMATA BANERJEE: I can't play with fire. I am interested in Dhanbad, Mugalsarai and other places all over the country when the zones have been bifurcated. I should have been happy, at that time, if anybody had supported us. But nobody supported us. This time I want to tell you very categorically that if you want it seriously, please bring a motion, and I will give you full support. Don't you think that I will give you support? (Interruptions)...

SHRI SITARAM YECHURY: If you bring it, I will support it. (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Yechuriji, please. (Interruptions)...

Q. NO. 501 (CONTD.)

SHRI SITARAM YECHURY: You bring it. You are the Minister. (Interruptions)...

KM. MAMATA BANERJEE: I will support. (Interruption)... You know. (Interruptions)... Don't ask politically motivated questions. (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: We don't have discussion here. (Interruptions)...

KM. MAMATA BANERJEE: Sir, they should not insist on me ... (Interruptions)... We came to Delhi. We staged a dharna. At that time, they did not support us. (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Question No.502. (Interruptions)...

(Ends)

Q. NO. 502

SHRI SHADILAL BATRA: Sir, I asked about the details of funds sanctioned and utilized by the Jawahar Navodaya Vidyalayas and Kendriya Vidyalayas during the last three years, State-wise. There is a mention that in Haryana there are Kendriaya Vidyalayas and Navodaya Vidyalayas. But in Annexure-II there is no mention of Haryana and there is no mention as to how much funds were released during the last three years. There is no mention of Haryana.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, what we do is that we release the funds to the various regional offices and there is no regional office with respect to Haryana is mentioned here. But whatever funds were required for the schools in Haryana - there are 20 Jawahar Navodaya Vidyalayas -- were released to them. There were no complaints about that.

SHRI SHADI LAL BATRA: Sir, this is my first supplementary. I want to know... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: No. Please ask your second supplementary. (Interruptions)...

SHRI SHADI LAL BATRA: My second supplementary is that the concept of Kendriya Vidyalayas and the Navodaya Vidyalayas was to promote national integration and excellence in school education. They are rural-based schools. Now the next policy of the Government of India is that there will be no examination up to 10th class. I feel that if there is no examination up to the 10th class, then the whole concept will be defeated the reason being that in rural areas if there is no examination, no studies will take place in schools.

Q. NO. 502 (CONTD.)

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, in fact, the Jawhar Navodaya Vidyalayas and the Kendriya Vidyalayas are two separate special category schools. As far as the Navodaya Vidyalayas are concerned, there will be examinations for entry. That is the Navodaya Vidyalayas Scheme. In the rural areas only meritorious students are taken. So, the impression of the hon. Member that there will be no examinations for entry into the Navodaya Vidyalayas is wrong. As far as Kendriya Vidyalayas are concerned, these are from class 1 to class 12. Now we have the Right to Education Act and under the Right to Education Act, which is from class-1 to class-8, the stipulation is that there shall be no examinations for entry of children into the schools.

(Contd. by 1D/VK)

VK-SCH/1D/11.15

SHRI KAPIL SIBAL (CONTD): So, the Kendriya Vidyalayas Scheme has to be brought in line with the Right to Education Act. That is my answer to his question.

श्री अविनाश राय खन्ना: थेंक्यू, चेयरमैन सर। जब फंड प्रोवाइड करने की बात आई है, उसमें से बच्चों को डायट भी दी जाती है और उसके लिए स्पैसिफिक एमाउंट सैंक्शन होता है कि इतने पैसे की डायट दी जाएगी। पिछले समय में महंगाई बहुत बढ़ी है, कमॉडिटीज़ के प्राइसिज़ बढ़े हैं, लेकिन डायट का पैसा तो उतना ही रहा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब प्राइसिज़ बढ़ने की बात आए, तब क्या उन बच्चों के लिए डायट का पैसा भी बढ़ाया जाएगा या नहीं? क्या स्कूलों के प्रिंसिपल्स को ऑथोराइज़ किया जाएगा कि वे उतना पैसा खर्च करें ताकि बच्चों की ठीक डायट मिले?

Q. NO. 502 (CONTD.)

SHRI KAPIL SIBAL: We have already for the JNVs increased the diet fee. But for Kendriya Vidyalayas, we don't give the diet fee. For JNVs, it has been increased.

SHRI AVINASH RAI KHANNA: In view of the increase in prices...

SHRI KAPIL SIBAL: Yes, yes, it has been increased keeping in view the increase in prices.

SHRI KUMAR DEEPAK DAS: Sir, the Minister in his reply has mentioned that there are 50 Kendriya Vidyalayas in Assam. One of the Kendriya Vidyalayas is situated in Barpeta, which has been started recently. The Government has allotted land to this school. This school is yet to run with complete infrastructure. Will the Government take necessary steps to see that this Kendriya Vidyalaya runs with full infrastructure in Barpeta? Part (b) of my question is...

MR. CHAIRMAN: No, no, there is one part only.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I am given to understand that sanction has been given and the school is being run on a temporary accommodation. As you know, Sir, it takes a bit of time to build full infrastructure of a school. That will be done.

SHRI KUMAR DEEPAK DAS: From our side, from the MP quota and the MLA quota, we have given money for construction. But the Central Government has to give the land.

SHRI KAPIL SIBAL: Once the land is allotted, then, of course, the Central Government will make sure that there is a permanent structure. In most of the

Q. NO. 502 (CONTD.)

Kendriya Vidyalayas, there are permanent structures. So you don't have to worry about that.

श्री राम नारायण साहू: सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सांसदों का जो कोटा था, क्या वह समाप्त कर दिया गया है? अगर समाप्त कर दिया गया है, तो क्यों?(Interruptions)....

MR. CHAIRMAN: Please resume your places. (Interruptions). Please resume your places. Let the question be answered. आप बैट जाइए....

श्री किपल सिब्बल: सर, ऑनरेबल मैम्बर ने जो सवाल पूछा है, हालांकि वह इस सवाल से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी...(व्यवधान)

श्री कमाल अख्तर: यह भी केन्द्रीय विद्यालय से जुड़ा हुआ है।

श्री किपल सिब्बल: मैं आपको इसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। Sir, I just want to mention that one should understand the mechanics of it. We have passed the Right to Education Bill. Now the whole purpose of this quota was to make sure that people who belong to certain sections of civil societies, which are not part of the priority list, should also get admission. So the hon. Members were granted the right to nominate two persons of their choice for such admission. Now under the Right to Education Act, 25 per cent of the seats will be reserved in all Kendriya Vidyalayas, for civil category. Twenty-five per cent of the seats will be reserved for the category No. 7, that is, 25 per cent for the people in the neighbourhood. Which means, the 980 Kendriya Vidyalayas, all of them, in the years to come, will have 25 per cent reservation. (Interruptions).

MR. CHAIRMAN: Please listen to the answer.

Q. NO. 502 (CONTD.)

SHRI KAPIL SIBAL: Now, Sir, there are 10 lakh students in all the Kendriya Vidyalayas in the country. Twenty-five per cent of the 10 lakh students, up to Class VIII, comes to about 25,000 and the total MP quota was about 2,800.

(Contd. By 1e/RG)

11.20/RG/PSV/1E

SHRI KAPIL SIBAL (contd.): Instead, under the Right to Education Act, we are giving 25,000 representations to this category...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please...(Interruptions) Let him answer...(Interruptions)

Please resume your places...(Interruptions)

श्री कमाल अख्तरः सर, ...(व्यवधान)... यह गरीब बच्चों के साथ अन्याय है ...(व्यवधान)...

श्री राम नारायण साहू: सर, ...(व्यवधान)...

श्री रामदास अग्रवालः सर, ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज़ ...(व्यवधान)... बैठ जाइए, बैठ जाइए ...(व्यवधान)... साहू जी, बैठ जाइए ...(व्यवधान)... कमाल अख्तर जी, आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान)...

श्री कमाल अख्तरः सर, ...(व्यवधान)... यह गरीबों के साथ अन्याय किया गया है ...(व्यवधान)...

श्री राम नारायण साहू: सर, मेरी बात सुनिए...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आप बैठ जाइए ...(व्यवधान)... बैठ जाइए, बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... प्लीज़ ...(व्यवधान)... It is evident that Members want rights above citizens...(Interruptions) आप बैठ जाइए ...(व्यवधान)... आप ज़रा इनकी बात सुन लीजिए। ...(व्यवधान)...

Q. NO. 502 (CONTD.)

श्री किपल सिब्बल: हिन्दुस्तान भर से कई लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं। वे कहते हैं कि हम तो किसी एम0पी0 को जानते नहीं हैं, हम भी गरीब हैं और हमारे बच्चे को भी एडिमशन मिलनी चाहिए, तो मैं उनको कोई जवाब नहीं दे पाता। ...(व्यवधान)...

श्री रामदास अग्रवालः सर, ...(व्यवधान)...

श्री वी0 हनुमंत रावः सर, ...(व्यवधान)...

श्री किपल सिब्बल: मैं उनको जवाब नहीं दे पाता। ...(व्यवधान)... मैं उनको जवाब नहीं दे पाता। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आप बैठ जाइए...(व्यवधान)... आप बैठ जाइए...(व्यवधान)...

श्री शिवानन्द तिवारी: सर, ...(व्यवधान)... यह मिनिस्टर के खिलाफ no confidence है ...(व्यवधान)...

श्री वी0 हनुमंत रावः सर, ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप बैठ जाइए...(व्यवधान)... बैठ जाइए...(व्यवधान)...That is all. Thank you very much. क्वैश्चन नं. 503. ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइए, प्लीज ...(व्यवधान)... What is this? (Interruptions) आप बैठ जाइए, प्लीज ...(व्यवधान)... No; please resume your places...(Interruptions) । am sorry; you cannot do this...(Interruptions) आप बैठ जाइए, प्लीज़ ...(व्यवधान)... तिवारी जी, प्लीज़। You are a senior Member... (Interruptions)

श्री वी0 हनुमंत राव: सर, ...(व्यवधान)... सर, इस पर डिस्कशन होनी चाहिए ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप इस पर डिस्कशन के लिए नोटिस दीजिए ...(व्यवधान)... If you want a discussion, then, give a notice. That is all..(Interruptions) आप बैठ जाइए ...(व्यवधान)... Please allow the Question Hour to proceed...(Interruptions) साहू जी, आप सवाल पूछ चुके, अब आप बैठ जाइए ...(व्यवधान)... अग्रवाल जी, it is not

Q. NO. 502 (CONTD.)

fair. आप बैठ जाइए,प्लीज़। ...(व्यवधान)... क्वैश्चन नं. 503. ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइए...(व्यवधान)...। have called question No. 503. Question No. 502 खत्म हो गया है। ...(व्यवधान)... क्वैश्चन नं. 503...(Interruptions) । am sorry...(Interruptions) Please sit down...(Interruptions) । am sorry, you cannot get protection for wrong things...(Interruptions)

(Continued by 1F)

1f/11.25/ks-ds

MR. CHAIRMAN: This is not a matter which relates to the functioning of the House. Please resume your place. (Interruptions) Please. (Interruptions) Mr. Mysura Reddy, please resume your place. (Interruptions) Please. (Interruptions)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवालः सर, आपका संरक्षण चाहिए। ..(व्यवधान) (Ends)

MR. CHAIRMAN: We are on Question No.503 now. (Interruptions) Please.

(Interruptions) प्लीज़, आप बैठ जाइए। ..(व्यवधान) .. अब नहीं हो सकता।

..(व्यवधान).. One minute. Let Question No.503 be answered.

प्रश्न संख्या - 503

श्री आर.सी. सिंह: सर, एफ.सी.आई. गोदामों की कमी से जूझ रहा है। उसने 28.54 लाख टन अनाज रखने के लिए additional storage capacity भाड़े पर ले रखी है। एक ओर राजस्थान में जयपुर के गांधी नगर एफ.सी.आई. डिपो के godown को शराब रखने के लिए भाड़े पर दिया गया है, जबकि हमारा गेहूँ खुले आकाश के नीचे सड़ रहा है। सर, यह बात न्यूज़ पेपर में भी छपी है..(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please do not show any newspaper.

श्री आर.सी. सिंह: सर, खुले आकाश के नीचे गेहूँ सड़ रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इन godowns को food grains रखने की बजाय शराब रखने के लिए भाड़े पर क्यों दिया गया? उनमें हमारे food grains रखे जाएँ, इसके लिए मंत्री जी क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

PROF. K. V. THOMAS: Sir, as per the knowledge of the Government, no FCI godown is given for liquor storage. If any specific case is brought to our notice, it will be looked into.

Coming to Punjab, we have enough covered storage, the total capacity of which comes to 3,72,936 tonnes. We are in touch with the State Government and trying to see to it that, since we have much better production this year, we procure whatever comes to the market. With the assistance of the Punjab Government, we are procuring and storing whatever is coming to the market.

MR. CHAIRMAN: Ms. Mabel Rebello. Second supplementary. Yes.

श्री आर.सी. सिंह: सर, मंत्री महोदय का यह answer सटीक नहीं है। अगर मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है तो वे इसे जानें। मैं तो यह कह रहा हूँ कि राजस्थान में जयपुर के गांधी नगर एफ.सी.आई. डिपो के godown में शराब रखी गयी है और उसके बाहर गेहूँ का स्टॉक पड़ा है। इसलिए मंत्री महोदय का यह जवाब सटीक नहीं है।

Q. NO. 503 (CONTD.)

श्री सभापतिः आपका सवाल क्या है? ..(व्यवधान)

श्री आर.सी. सिंह: सर, मेरा सवाल यह है कि.. (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Just one minute. Let the hon. Minister reply.

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, I have seen that report. This report was there in some of the newspapers that one of the godowns is being used for storage of liquor. I have gone into the details. I have collected the information. Sir, that godown is not controlled by the FCI. There are a number of warehouses. Some of them are with the State Governments. Some of them are with the Central Warehousing Corporation. Some of them are with the State Warehousing Corporations. The entire capacity is not blocked or booked by the FCI. Wherever there is vacant capacity, the concerned authorities are giving that to various people for different purposes. It is true that that particular godown, which does not belong to FCI, was given for storage of liquor.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Ms. Rebello.

श्री आर.सी. सिंहः सर, मेरा दूसरा question? ..(व्यवधान).. वह तो पहला ही था। श्री सभापतिः आपके दो सवाल हो गये, ...(व्यवधान).. Sorry. Please don't mislead the Chair.

श्री आर.सी. सिंह: नहीं सर, एक ही सवाल हुआ है।

श्री सभापतिः नहीं, नहीं। आपके दो सवाल हो गये हैं। I am sorry. Please. (Interruptions)

SOME HON. MEMBERS: Sir, he has asked only one. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Wrong. (Interruptions)

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, only one. (Interruptions)

Q. NO. 503 (CONTD.)

MR. CHAIRMAN: Wrong. (Interruptions) No, no. Please resume your places. (Interruptions)

SHRI D. RAJA: Sir, he has asked only one supplementary.

MR. CHAIRMAN: No, no. I am sorry. (Interruptions) This business of asking serial questions cannot go on. Please go ahead with your question. (Interruptions) Mr. Raja, please. This is not your turn (Interruptions)

SHRI D. RAJA: Sir, he has asked only one supplementary. You can check the record. (Interruptions)

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, he did not ask the second supplementary. Please check the records. (Interruptions) He was repeating the same question.

MS. MABEL REBELLO: Shall I go ahead, Sir?

MR. CHAIRMAN: Yes.

(followed by 1g/tdb)

TDB-NB/1G/11.30

MS. MABEL REBELLO: Sir, off and on we see on the television that in this current year almost Rs.800 crores worth wheat was destroyed in Punjab. I want to know from the hon. Minister whether he is making any budgetary provision this year onwards to construct state-of-the-art godowns, the modern godowns to store all the wheat that you will procure so that not a grain of wheat is destroyed in this current year. I want to know from the hon. Minister whether any budgetary provision will be made for this, and when the construction of modern godowns will be completed so that 120 crores people of India can really have the advantage of having good food. ...(Interruptions)

Q. NO. 503 (CONTD.)

PROF. K.V. THOMAS: Sir, regarding the damage of foodgrains in CAP and other storage facilities of the FCI, I would like to say that if you look at the data, you will find that even though there is a damage, it is of very negligible quantity, looking at the huge quantity of foodgrains the FCI is handling. Sir, in 2007-08, the quantity of wheat damaged was 147 metric tonnes. ...(Interruptions)... In the year 2008-09, the quantity of wheat damaged was 623 metric tonnes, and in 2009-10, it is 716 metric tonnes. Sir, we are handling a very huge quantity of wheat and rice. Sir, it is not only the FCI, the State Governments and other agencies are also helping us in this regard. Sir, we have a large scheme for the construction of storage facilities with the assistance of State Governments. We are in touch with all the State Governments in a large number of projects, and with assistance from the State Governments, we will be able to have the state-of-the-art storage facilities.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri H.K. Dua. ... (Interruptions)...

MS. MABEL REBELLO: Sir, the hon. Minister has not answered my question.

MR. CHAIRMAN: I am sorry. You can't keep on asking questions....(Interruptions)...

MS. MABEL REBELLO: Sir, my question is not answered. I asked about the budgetary provision made for this year. He did not answer it. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Is there any answer to that question available? ...(Interruptions)...

Q. NO. 503 (CONTD.)

SHRI H.K. DUA: Sir, the answer given by the Government paints a misleading picture virtually bordering on complacency, and gives an impression that all is well on the storage front. The figures given are very limited. The FCI figures regarding damage under the scheme called CAP are, in 2007-08, it was 147 metric tonnes; in 2008-09, it was 623 metric tonnes and in 2009-10, it is 716 metric tonnes. Sir, anybody can go to Punjab and Haryana and see how short is the facility for storing grains. The Finance Commission has given report which was scary on the storage front, nearly 30 per cent of the perishable commodities get lost every year and the nation suffers a loss and the growers suffer a loss. I would like to know as to what plans the Government has to step up this building up the storage facility so that we don't lose any grain of any of the perishable commodity further.

PROF. K.V. THOMAS: Sir, as I told in reply to the last question, we have taken a number of steps to have new storage facilities. We are in touch with the State Governments. These facilities are done by the State Governments, the FCI and the CWC. Sir, we are giving a lot of funds to the State Governments for this purpose. We have got a specific scheme; there is a seven-year scheme, which includes the private enterprises also. So, new schemes are being implemented. Sir, this is being done with the assistance of the State Governments.

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: सभापित जी, शायद माननीय मंत्री जी को ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश में लेवी के चावल की पूरी खरीद FCI को करनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका जिम्मा FCI को दे दिया है और चूंकि FCI के पास भंडारण की क्षमता नहीं है, इसलिए वह लेवी का चावल नहीं खरीद पा रही है। इस वजह से उत्तर प्रदेश में लेवी का चावल

Q. NO. 503 (CONTD.)

बिल्कुल खरीदा नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ गेहूं की खरीद भी कम हो रही है, क्योंकि मंडारण की क्षमता नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे उत्तर प्रदेश में भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं? क्या उन्होंने इसके लिए कोई action plan बनाया है? यदि हां, तो इसके बारे में बताने की कृपा करें।

(1H/VNK पर क्रमशः)

-NB/VNK-KLS/1h/11:35

श्री शरद पवार: सभापित महोदय, इसमें दो बातें हैं। उत्तर प्रदेश में FCI खरीद कर रही है, यह बात सही है। वहां पर FCI द्वारा जगह-जगह पर purchase शुरू है, मगर मैं इतना स्वीकार करता हूँ कि सभी जगह पर जहां मंडी है, वहां सभी purchase centers पर FCI के सेंटर्स नहीं हैं। सभी राज्यों में जो FCI purchase करती है, उनमें से बहुत जगह FCI डायरेक्ट किसानों से खरीदती नहीं है। वहां की स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी किसानों से खरीदती है, जिनको advance financial support FCI देती है और एजेंसी किसानों से खरीदने के बाद FCI को transfer करती है। हिन्दुस्तान की सभी मंडियों में FCI की अपनी एक मशीनरी खड़ी करना आसान नहीं है, इतने लोग उनके पास नहीं हैं। FCI की जिम्मेदारी स्टेट एजेंसी से खरीदना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना और स्टेट गवर्नमेंट को public distribution के लिए available करना है। उत्तर प्रदेश ने जो पूरी जिम्मेदारी FCI के ऊपर दे दी है, वह FCI कभी पूरी नहीं कर सकती है। सरकार के सामने यह बात लाई गई है कि इसमें वहां की cooperative institutions और अन्य एजेंसियों की मदद की आवश्यकता है। यदि यह मिलेगी, तो हम वहां पर ठीक तरीके से खरीदेंगे। उत्तर प्रदेश से मेरे पास बहुत शिकायतें आ रही हैं कि किसानों को minimum support price नहीं मिलती है, क्योंकि वहां जितने खरीद केन्द्र की आवश्यकता है, उत्तनी खरीद केन्द्र वहां पर नहीं हैं और इसकी

Q. NO. 503 (CONTD.)

कीमत किसानों को चुकानी पड़ती है। इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है और हम यह बात उत्तर प्रदेश सरकार के ध्यान में लाए हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवालः महोदय, यह सरकार के ऊपर आरोप है ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः देखिए, अब इस पर discussion नहीं होगा ...(व्यवधान)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवालः महोदय, यह सरकार के ऊपर आरोप है ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः देखिए, अब इस पर discussion नहीं होगा ...(व्यवधान)... नहीं, नहीं, यह नहीं होगा ...(व्यवधान)...

श्री ब्रजेश पाठकः महोदय, कोई मंत्री राज्य सरकार पर आरोप लगाए ...(व्यवधान)... यह ठीक बात नहीं है...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः यह discussion की जगह नहीं है ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइए ...(व्यवधान)...

श्री ब्रजेश पाठकः महोदय, राज्य सरकार पर आरोप लगाया गया है ...(व्यवधान).. इसको कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए ... (व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: I am afraid this is not correct ...(Intruption)... Please resume your place...(Intruption)...

श्री ब्रजेश पाठकः महोदय, राज्य सरकार पर आरोप लगाकर अपने को बचाना चाहते हैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः कृपया आप बैठ जाइए ...(व्यवधान)... कृपया आप बैठ जाइए ..(व्यवधान)...

श्री ब्रजेश पाठकः महोदय, अगर आप इसे कार्यवाही से नहीं निकालेंगे, तो हम सदन का बिहिष्कार करेंगे ...(व्यवधान)....

श्री सभापतिः कृपया आप बैठ जाइए ...(व्यवधान)...

Q. NO. 503 (CONTD.)

श्री ब्रजेश पाठकः महोदय, अगर आप इसे delete नहीं करते हैं, तो हमें सदन को छोड़ना पड़ेगा..(व्यवधान)...

श्री सभापतिः देखिए, ऐसे नहीं होता है, अगर आपको कोई शिकायत है, तो आप उसे सही तरीके से उठाइए। रिकॉर्ड examine होगा, उसके बाद फैसला होगा ..(व्यवधान)...

श्री ब्रजेश पाठकः राज्य सरकार पर आरोप लगाकर आप सरकार चलाने चाहते हैं, यह नहीं हो सकता है ...(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: I am sorry this is not correct. ... (Intruption)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवालः महोदय, मैंने दो सवाल किया था ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः सवाल एक होता है ..(व्यवधान)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवालः महोदय, मैंने गेहूं की खरीद के बारे में भी पूछा था ..(व्यवधान)...

श्री ब्रजेश पाठकः महोदय ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: I have already given a ruling on this. Now let the next question be addressed. ...(Intruption)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवालः महोदय..(व्यवधान)...

श्री ब्रजेश पाठकः महोदय ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: I will examine the record and then decide. Thank you. Question No.504.

(Ends)

Question No.504

SHRI N.K. SINGH: Sir, I would just draw the attention of the hon. Minister to the last sentence of his reply which has been laid on the Table of this House, which says that the domestic steel production capacity is higher than the current demand of steel in this country. Would the Minister like to comment on the anomaly that India has the lowest consumption of steel? We have one of the highest prices of steel. And for an economy which is growing at about 8 per cent, with the objective of going at a higher rate, how is it that our demand is way below acceptable international averages leading to the anomaly of domestic production being higher than what really is the demand? Is it because productivity is low or because of cost of steel in this country has kept the demand artificially suppressed?

SHRI VIRBHADRA SINGH: Mr. Chairman, Sir, the hon. Member has put a very pertinent question. The figures that I have given pertain to the position as it prevails today. In the last financial year, the production of steel was more than the demand in the country.

(Contd by 1J/NBR)

-KLS/NBR-MP/1J/11.40.

SHRI VIRBHADRA SINGH (CONTD.): But, I fully agree with him that the demand for steel is growing day-by-day by leaps and bounds. Also, per capita consumption of steel, which is one of the lowest in the world today, stands at only 34 kg. It is also going to grow. Keeping this in view, we have undertaken a massive expansion of our steel making facilities in the country, both in the

Q. NO. 504 (CONTD.)

private and also in the public sector. I would like to tell the hon. Member, at present, the domestic consumption of finished steel is 56.48 million tones. We envisage a plan that this production will go up to 120 million tones by the year 2011-12. While calculating this, we have not taken into consideration the Greenfield projects. Sir, only the Brownfield projects and special programmes by the PSUs and other companies which have Brownfield projects have been calculated and I am sanguine that we will be able to achieve this goal.

श्री राजीव शुक्क : सभापित जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जो स्टील के दाम बढ़ रहे हैं, उसके संबंध में domestic steel manufacturers की शिकायत है? उनका कहना है कि जो iron ore है, उसका चीन और अन्य देशों को निर्यात करने पर बहुत ज़ोर है और iron ore निर्यात माफियाज़ इस तरह से सिक्रय हैं कि इनको बहुत महंगा iron ore मिलता है, जिसकी वजह से वे दाम बढ़ाते हैं, जबिक जो फैसिलिटी इन iron ore निर्यात माफियाज़ को दी जाती है, उस पर किसी किस्म का कोई नियंत्रण नहीं है, खास तौर से जो 64+ quality iron ore है, उसको लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। तो इस मामले में मंत्री जी का क्या कहना है?

श्री वीरभद्र सिंह: सर, वैसे तो steel prices के बारे में आज एक क्वेश्चन और आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 515, यदि आप आज्ञा दें, तो मैं इसका भी जवाब दे सकता हूं।

श्री राजीव शुक्क : हां, दीजिए।

श्री सभापति : आप इस सवाल का जवाब दीजिए।

SHRI VIRBHADRA SINGH: Sir, I was saying that there is similar question -- Question No. 515 -- slated for oral reply today regarding the steel prices.

श्री राजीव शुक्कु : हां, तो बताइए। आप अभी भी दे सकते हैं।

Q. NO. 504 (CONTD.)

MR. CHAIRMAN: No, no. We are not clubbing the questions. You just reply to this supplementary. Please do not go on to another question.

SHRI VIRBHADRA SINGH: Sir, I don't know which mafia the hon. Member is talking about.

श्री राजीव शुक्क : सर, आप मेरा सवाल समझ नहीं पाए। क्या iron ore export पर इतना जोर है कि जो domestic steel manufacturing industry है, उसको पर्याप्त iron ore मिल नहीं पाता है, इसलिए steel products के दाम बढ़ रहे हैं?

SHRI VIRBHADRA SINGH: Sir, he has also raised a good question.

We have a big store of iron ore reserves in the country. But, at the same time, the Ministry of Steel is of the view that we should do everything possible to conserve our iron ore in the country. At present, we are just exporting iron ore at a throw away prices. This will be having impact on the prices of steel. So, it is better to export the finished products than exporting iron ore. We must export value added products instead of exporting iron ore. At the same time, I am not aware of any mafia as such. I think, this question should be addressed to the Mines Ministry.

SHRI RAJEEV SHUKLA: Sir, exporting cannot be at a throwaway price.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, the hon. Minister's reply reflects the complacency. When the record says that in 2009-10, the finished steel capacity was 59.69 million tones, the domestic demand was 56.48 million tones. The margin is very thin. Our country is also exporting steel to outside. If the export is also taken into account, I think, we are in shortage of steel. Hon. Minister himself has assured that 120 million tones capacity would be reached by

Q. NO. 504 (CONTD.)

2011-12. My question to the hon. Minister is: If that is the vision of production by 2012, the input requirement within the country, particularly the precious iron ore, will also go up. So, will the Minister seriously consider to put an absolute ban on export of all kinds of iron ore...

(CONTD. BY USY "1K")

-NBR-USY/SC/1K/11.45

SHRI TAPAN KUMAR SEN (CONTD.): ...which the hon. Minister himself just now told, are being sold at throwaway prices. So, I would like to know whether that 'selling at throwaway prices' requires a ban and whether the Steel Minister is going to take a serious step in that direction.

SHRI VIRBHADRA SINGH: Sir, so far as I am concerned, as a Minister of Steel, I have a considered view that there should be a total ban on the export of irone-ores so as to meet the domestic requirement of the country. But, of course, the Government does not function only with one Ministry. I will impress upon the Government, upon the Prime Minister and upon the Finance Minister also to consider the proposal for a total ban on export of iron-ores. But it can be achieved through other methods also. It can be achieved by some taxation measures also to discourage the export of iron-ores.

(Ends)

प्रश्न संख्या ५०५

श्री धीरज प्रसाद साहू: सभापित महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री जी का जवाब काफी संतोषजनक है एवं इस संबंध में सरकार की ओर से बहुत से सराहनीय कदम उठाए गए हैं। महोदय, देश में चीनी की वार्षिक जरूरत 23 मिलियन टन है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चीनी के उत्पादन और जरूरत में जो फर्क है, उसको पूरा करने के लिए क्या सरकार किसी विशेष योजना पर काम कर रही है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्री शरद पवार: सभापित महोदय, यह बात सच है कि पिछले साल हिन्दुस्तान में चीनी का उत्पादन कम हुआ था, वह 150 लाख टन से नीचे हुआ था और देश की जरूरत 220-230 लाख टन के आसपास थी, इसलिए चीनी की कीमतें ऊपर गयी थीं। ऐसी स्थिति में इम्पोर्ट करने का एक रास्ता हमारे सामने था। आज खुशी की बात यह है कि अभी तक चीनी production की जो फिगर्स मेरे पास हिन्दुस्तान से आ रही हैं, वह 180 लाख टन के आसपास हैं और इस साल पर हेक्टेयर यील्ड अच्छा मिल रहा है इसलिए इस साल ज्यादा चीनी पैदा हो सकती है और देश में imported sugar, plus sugar which is produced in the country, इनसे देश की जो जरूरत है, वह पूरी होनी की परिस्थिति सामने आ रही है। जहां तक अगले साल का प्लांटेशन का सवाल है, सभी राज्यों से रिकार्ड देखने के बाद अगले साल excess production हो जाएगी, ऐसी स्थिति आज हिन्दुस्तान में मुझे दिखाई दे रही है। इसीलिए मार्किट में रेट पर इसका असर हो रहा है, यह बात सबके सामने आयी है। श्री धीरज प्रसाद साहू: महोदय, सरकार के द्वारा कच्चा चीनी आयात पर जीरो ड्यूटी ओजीएल के अधीन 31 दिसंबर 2010 तक जारी रखने से क्या खुदरा बाजार में चीनी की कीमत और कम होने की संभावना है?

SHRI SHARAD PAWAR: I think, in the last Parliament Session, this issue was discussed. At that time, the price of sugar in open wholesale market was something about Rs. 4,800 per quintal. Two days back, the price, which we

Q. NO. 505 (CONTD.)

have collected from all over the country, was somewhat near to Rs. 2,550 per quintal. So, it has come down from Rs. 4,800 per quintal to Rs. 2,550 per quintal, plus excise duty. So, the trend is definitely going down.

DR. PRABHAKAR KORE: Mr. Chairman, Sir, in the reply, in the measures

(Followed by 1I -- PK)

-USY/PK-GS/11.50/1L

taken, it is mentioned, "Allowed duty-free import" and "Levy obligation has been removed in respect of all imported raw sugar.." Is it a fact that this is going to affect the sugar mills of our country? As per the reply of the hon. Minister, next year, the production is going to be surplus. I would like to know whether the sugar mills can pay the same price for cane which they are paying now. This is a very serious matter. Is the Government going to continue the same policy on import of sugar, that is, without levy and duty-free import of sugar? Are you going to do this for the indigenous sugar factories also? SHRI SHARAD PAWAR: Till last year, there was a tax up to 60 per cent for import of sugar, but when there was a shortage, there was a mismatch between demand and supply. When we realized that we are not in a position to produce as per the requirements of the country, there was no alternative but to import and resolve the problems of the consumers. So, for the sake of providing incentive to imports, it is true that, we took this decision -- 'no duty on import' this is number one; 'no levy' this is number two and 'no release mechanism', this is number three.' So, these three major concessions were given which are not available for domestic industries and domestic producers. But that was the

Q. NO. 505 (CONTD.)

situation last year. As I said, today, the position is altogether different. It is true that there is more production. Trend is, definitely, of more production and prices are going down. We have to protect sugarcane farmers. If we have to protect sugarcane farmers, definitely, the Government has to take a decision at an appropriate time to keep a level-playing field for both of them.

श्रीमती वृंदा कारत: सर, मंत्री जी ने जो जबाव दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि कई कदम सरकार ने दामों को नियंत्रण में लाने के लिए उठाए हैं। लेकिन आज भी चीनी का दाम बाजार में 35 रुपये किलो है। इससे स्पष्ट है कि सरकार ने जो मैजर्स उठाए, वे बिल्कुल असफल रहे, फेल रहे। मेरा आपके माध्यम से सरकार से और मंत्री जी से सवाल है कि आपने जो यहां एक से पांच तक मुद्दे गिनाए हैं, ये तमाम मुद्दे बड़ी शुगर मिल्स को कंसेशन देने वाले मुद्दे हैं। मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि इसका मानेट्री वैल्यु क्या है ? जितने कंसेशन्स आपने इन कदमों में मिल्स को दिए हैं, उनकी वैल्यु क्या है? अगर आप इसके बारे में बता दें, तो अच्छा रहेगा।

श्री शरद पवार: सर, पहली बात तो यह है कि चीनी के दाम नीचे नहीं जा रहे हैं, यह बात सच नहीं है। माननीय सदस्या ने कहा कि आज 35 रुपये किलो चीनी का दाम रिटेल में है, ठीक है, it is between Rs.33/- and Rs.35/-. But, in some places, it is Rs.35/-also. But I recollect that in the same House, in the last Session, an issue was raised that prices reached to Rs.49/- to Rs.50/- per kilo. So, it has come down from Rs.50/- to Rs.35/-. That means, trend is, definitely, indicating as to in which direction it is going. A question was also raised about concessions. What concessions have been given? Duty-free import has been allowed...(Interruptions)..

श्री बलबीर पुंज : पहले 15 रुपये किलो में चीनी मिलती थी। ...(व्यवधान)...

Q. NO. 505 (CONTD.)

MR. CHAIRMAN: Please allow the question to be answered.

SHRI SHARAD PAWAR: Duty-free import has been allowed. And the total quantity which has been imported -- that figure has been given here -- is somewhat near to 26.84 and 12.64 altogether. So, one will have to calculate, because at that time 60 per cent duty was there. So, it will be : the quantity of sugar X 60 per cent duty. I have got the figures ready with me, but it is an open secret...(Interruptions)...

श्री बलबीर पुंज: सर, 15 रुपये से 50 रुपये चीनी के दाम कर दिए और फिर 50 रुपये से 35 रुपये चीनी के दाम आ गए, तो चीनी कहां सस्ती हुई ? ..(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: Please allow the next question...(Interruptions)...

श्री शरद पवार : सर, 15 रुपये किलो में चीनी देने के दिन गए। ..(व्यवधान).. किसानों को उनकी उपज की ठीक कीमत देनी होगी, तभी किसान गन्ना लगाएंगे। अगर किसान गन्ना नहीं लगाएंगे, तो चीनी के दाम 50 रुपये किलो तक जा सकते हैं।...(व्यवधान)...

(१एम/एएससी पर आगे)

PB-ASC/1m/11.55

MR. CHAIRMAN: Please, we are running out of precious time.(Interruptions)... Mr. Punj, please. Please resume your place.(Interruptions)... Yes, Mr. Anbalagan.(Interruptions)... आप जरा दूसरों को भी सवाल पूछने दीजिए। ..(व्यवधान).. आप जरा दूसरों को भी सवाल पूछने दीजिए। ..(व्यवधान)..

SHRI BALBIR PUNJ: Sir, it is the mills which are making money. ...(Interruptions)...

Q. NO. 505 (CONTD.)

MR. CHAIRMAN: Please.

SHRI SHARAD PAWAR: Those who understand the sugarcane farming know this. You can ask the hon. Members who are sitting by your side and who are in sugarcane plantation. Those who are in sugarcane plantation never got this price in their lifetime. They know what price they got last year. Nobody has seen that type of price. You can ask your own colleagues. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: I am afraid you are preventing the other Member from asking a question. ...(Interruptions)... Mrs. Karat, please. ...(Interruptions)... No; no; please. ...(Interruptions)... Mr. Anbalagan, go ahead.

SHRI S. ANBALAGAN: Mr. Chairman, Sir, ... (Interruptions)...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, what is this answer? Every input has gone up and he is saying that *kisans* are getting very good price. ... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: No; no; you had asked a question and it has been answered. ...(Interruptions)... Mr. Anbalagan, please go ahead.

SHRI S. ANBALAGAN: Sir, the Minister in his reply has said that various measures have been suggested to increase the availability of sugar. Through you, Mr. Chairman, I would like to know from the Minister whether these measures served the purpose and whether they are adequate.

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, if a proper price is provided to the sugarcane grower, he will definitely take an interest in sugarcane plantation, and, if the ample plantation is there, automatically the price will be maintained at a particular level. The reason I am saying why the farmer is going more for sugarcane plantation is because he has got a good price for his produce, and, I am sure, the prices will go down.

(Ends)

Q. No. 506

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, Mr. K.E. Ismail, is not present. So, any supplementary on this?

श्री आर.सी. सिंह: सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो सामान नेफेड के माध्यम से दिल्ली को दिया जा रहा है, क्या पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के माध्यम से वह सामान गांवों तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था है ?

PROF. K.V. THOMAS: Sir, the items supplied through the PDS is done by the State Governments. Sir, the items supplied by the Kendriya Bhandar is done by the Bhandar itself. There are certain items in Delhi, about 18 items, from *atta* to *kabuli channa*, which are supplied by the Kendriya Bhandar. The PDS system is managed by the State Government.

(Ends)

Q.NO. 507

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, Shri Bhagirathi Majhi, is not here. Any supplementary on this?

श्री रामदास अग्रवाल: सभापित महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 25 परसेंट कोटा वीकर सैक्शन के लिए रखा जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि 25 परसेंट कोटे में ढ़ाई लाख बच्चों में वीकर सैक्शन के होंगे। इसके साथ ही यह भी जानना चाहता हूं कि 1600 सीटें लोक सभा तथा राज्य सभा के मेम्बर्स को देने से जो आपका टार्गेट है, वह खत्म हो जाएगा? ...(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: Please allow the question to be answered. ...(Interruptions)...

श्री किपल सिब्बल: महोदय, यह सवाल पूछा गया है कि क्या तीन किलोमीटर के radius पर कोटा होगा या नहीं?

श्री रामदास अग्रवाल :सर, आपने जवाब दिया है कि 25 परसेंट वीकर सैक्शन को दिया जाएगा। ...(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: If you start a discussion, we will run out of time. ...(Interruptions)...

श्री कपिल सिब्बल: जवाब देने दीजिए, नहीं तो 12 बज जाएंगे। ..(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: We will run out of time. Please(Interruptions)...

श्री कपिल सिब्बल: जवाब देने दीजिए, आप तो बोले जा रहे हैं। ...(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: Yes, please go ahead. Please answer the question.

...(Interruptions)...

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, as you know, under the Right to Education Act, now there has to be a neighbourhood school and the State Government will decide the parameters of the contours of that neighbourhood school. It is not for the

Q. NO. 507 (CONTD.)

Central Government to prescribe a three-kilometre limit or any other limit. It is for the State Government to prescribe it. As and when the State Government prescribes that limit, we will know what the catchment area of that neighbourhood school in the Kendriya Vidyalaya will be.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over. (Ends)

1n/12.00/skc

(MR. DEPUTY CHAIRMAN IN THE CHAIR)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Papers to be laid on the Table.

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: Sir, what about Zero Hour? (Interruptions)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Papers are to be laid on the Table. What is this, Mr.

Rashtrapal?

PAPERS LAID ON THE TABLE

SHRI SRIKANT JENA: Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

- (i) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Pharmaceuticals) and the Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited (BCPL), for the year 2010-11.
- (ii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Pharmaceuticals) and the Hindustan Antibiotics Limited (HAL), for the year 2010-11.
- (iii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals) and the Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited (IDPL), for the year 2010-11.

(iv) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Pharmaceuticals) and the Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Limited (KAPL), for the year 2010-11.

SHRI K.H. MUNIAPPA: Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

- (i) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways) and the IRCON International Limited, for the year 2010-11.
- (ii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways) and the RITES Limited, for the year 2010-11.
- (iii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways) and the Konkan Railway Corporation Limited (KRCL), for the year 2010-11.
- (iv) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways) and the Container Corporation of India Limited (CONCOR), for the year 2010-11.

SHRIMATI D. PURANDESWARI: Sir, I lay on the Table—

- I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Human Resource Development (Department of School Education and Literacy) Notification No. F 51-1/2009-NCTE (N&S), dated the 31st August, 2009, publishing the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009, under sub-section (33) of the National Council for Teacher Education Act, 1993.
 - II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:
 - (i) (a) Annual Accounts of Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat, for the year 2006-07, and the Audit Report thereon.
 - (b) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (i) (a) above.
 - (ii) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Technology, Hamirpur, Himachal Pradesh, for the year 2006-07, together with the

Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above Institute.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (ii) (a) above.
- (iii) (a) Annual Report and Accounts of the Motilal Nehru National Institute of Technology, Allahabad, for the year 2006-07, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Institute.
 - (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (iii) (a) above.
- (iv) (a) Annual Report and Accounts of the Centre for Studies in Civilisations for the implementation of the Project of History of Indian Science, Philosophy and Culture, New Delhi, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Centre.
 - (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (iv) (a) above.
- (v) (a) Annual Report and Accounts of the Sarva Shiksha Abhiyan Authority, Punjab, Chandigarh, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Statement by Government accepting the above Report.
 - (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (v) (a) above.
- (vi) (a) Annual Report and Accounts of the Sarva Shiksha Abhiyan State Mission Authority, Meghalaya, Shillong, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Statement by Government accepting the above Report.
 - (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (vi) (a) above.
- (vii) (a) Annual Report and Accounts of the Malaviya National Institute of Technology, Jaipur, for the year 2006-07, together with the Auditor's

Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above Institute.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (vii) (a) above.
- (viii) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Technology, Jamshedpur, for the year 2006-07, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Institute.
 - (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (viii) (a) above.
- (ix) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Technical Teachers' Training and Research (NITTTR), Chandigarh, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Institute.
 - (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (ix) (a) above.
- (x)(a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Science Education and Research, Pune, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Institute.
 - (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (x) (a) above.
- (xi) (a) Annual Report of the Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Vidya Pratishthan, Ujjain, for the year 2008-09.
 - (b) Annual Accounts of the Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Vidya Pratishthan, Ujjain, for the year 2008-09 and the Audit Report thereon.
 - (c) Statement by Government accepting the above Report.
 - (d) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (xi) (a) and (b) above.
- (xii) (a) Forty-ninth Annual Report and Accounts of the National Institute of Technology, Hazratbal, Srinagar, for the year 2008-09, together with

the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above Institute.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (xii) (a) above.
- (xiii) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Technology,
 Hamirpur, Himachal Pradesh, for the year 2008-09, together
 with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Institute.
 - (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (xiii) (a) above.
- (xiv)(a)Thirty-fourth Annual Report of the University of Hyderabad, Hyderabad, for the year 2008-09.
 - (b) Review by Government on the working of the above University.
 - (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (xiv) (a) above.
 - (xv) (a) Annual Accounts of the University of Allahabad, Allahabad, for the year 2007-08 and the Audit Report thereon, under Section 32 of the Allahabad University Act, 2005.
 - (b) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (xv) (a) above.
 - (c) Statement giving reasons for not laying the Annual Accounts of the University of Allahabad, Allahabad, for the year 2008-09, within the stipulated period.
- (xvi) (a) Annual Accounts of the Jawaharlal Nehru University, New Delhi, for the year 2007-08 and the Audit Report thereon, under sub-section (2) of Section 29 of the Jawaharlal Nehru University Act, 1969.
 - (b) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (xvi) (a) above.
- (xvii) (a) Annual Report of the National Council for Promotion of Sindhi Language (NCPSL), New Delhi, for the year 2008-09.
 - (b) Annual Accounts of the National Council for Promotion of Sindhi

Language (NCPSL), New Delhi, for the year 2008-09 and the Audit Report thereon.

- (c) Statement by Government accepting the above Report.
- (d) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (xvii) (a) and (b) above.
- (xviii) (a) Eleventh Annual Report of the Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad, for the year 2008-09.
 - (b) Twelfth Annual Accounts of the Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad, for the year 2008-09 and the Audit Report thereon.
 - (c) Statement by Government accepting the above Report.
 - (d) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (xviii) (a) and (b) above.
- (xix)(a) Annual Accounts of the English and Foreign Languages University, Hyderabad, for the year 2007-08 and the Audit Report thereon.
 - (b) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (xix) (a) above.
- (xx) (a) Annual Report and Accounts of the Rajiv Gandhi Shiksha Mission, Chhattisgarh, Raipur, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Statement by Government accepting the above Report.
 - (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (xx) (a) above.
- (xxi)(a) Annual Report and Accounts of the Sarva Shiksha Abhiyan, Union Territory Mission Authority, Andaman and Nicobar Islands, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.
 - (b) Statement by Government accepting the above Report.
 - (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (xxi) (a) above.
- (xxii) (a) Annual Report and Accounts of the Lakshadweep Sarva Shiksha Abhiyan State Mission Authority, Union Territory of Lakshadweep, for

the year 2007-08, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Statement by Government accepting the above Report.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (xxii) (a) above.
- (xxiii) (a) Annual Report of the Indian Institute of Technology, Bombay, for the year 2008-09.
 - (b) Annual Accounts of the Indian Institute of Technology, Bombay, for the year 2008-09, and the Audit Report thereon, under sub-section (4) of Section 23 of the Institutes of Technology Act, 1961.
 - (c) Statement by Government accepting the above Report.
 - (d) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (xiii) (a) and (b) above.
- (xxiv)(a) Annual Report of the Central Institute of Hindi (Kendriya Hindi Sansthan), Agra, Governed by Kendriya Hindi Shikshan Mandal, for the year 2008-09.
 - (b) Annual Accounts of the Central Institute of Hindi (Kendriya Hindi Sansthan), Agra, Governed by Kendriya Hindi Shikshan Mandal, for the year 2008-09 and the Audit Report thereon.
 - (c) Review by Government on the working of the above Institute.
 - (d) Statements giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (xxiv) (a) and (b) above.
- (xxv) Statement giving reasons for not laying the Annual Accounts of the University of Delhi, for the year 2008-09, within the stipulated period.
- (xxvi) Statement giving reasons for not laying the Annual Report of the Jawaharlal Nehru University, New Delhi for the year 2008-09, within stipulated period.
- III.(1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under subsection (2) of Section 30 and sub-section (4) of Section 31 of the Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya Act, 1996:—
 - (a) Annual Report and Accounts of the Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha, for the year 2008-09, together with

the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Statement by Government accepting the above Report.
- (2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.
- IV.(1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under subsection (3) of Section 33 and sub-section (4) of Section 34 of the Tripura University Act, 2006:—
 - (a) Annual Report of Tripura University, Suryamaninagar, Tripura, for the year 2008-09.
 - (b) Annual Accounts of Tripura University, Suryamaninagar, Tripura, for the year 2008-09 and the Audit Report thereon.
 - (c) Review by Government on the working of the above University.
- (2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

PROF. K.V. THOMAS: Sir, I lay on the Table—

- I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) Notification No.G.S.R.103 (E), dated the 26th February, 2010, publishing the Bureau of Indian Standards (Recruitment to Scientific Cadre) Amendment Regulations, 2010, under Section 39 of the Bureau of Indian Standard Act, 1986.
- II. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation) Notification No. G.S.R. 186 (E), dated the 12th March, 2010, publishing the Fruits and Vegetables Grading and Marking (Amendment) Rules, 2010, under sub-section (3) of Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937.
- III.(1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under subsection (4) of Section 30 of the Central Agricultural University Act, 1992:—
 - (a) Annual Accounts of the Central Agricultural University, Imphal, Manipur, for the year 2007-08 and the Audit Report thereon.
 - (b) Review by Government on the working of the above University.
 - (2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying

the papers mentioned at (1) above.

- IV. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:
 - (i) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution) and the Central Warehousing Corporation, for the year 2010-11.
 - (ii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation) and the State Farms Corporation of India Limited (SFCI), for the year 2010-11.
 - (iii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation) and the National Seeds Corporation Limited (NSC), for the year 2010-11.

(Ends)

REPORT ON INDIAN PARLIAMENTARY PARTICIPATION AT INTERNATIONAL CONFERENCE

SECRETARY-GENERAL: Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Report on the participation of the Indian Parliamentary Delegation at the One Hundred and twenty-first Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) held in Geneva (Switzerland) from 19th to 21st October, 2009.

(Ends)

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Finance Bill, 2010

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Finance Bill, 2010, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 29th April, 2010.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of Article 110 of the Constitution of India.

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

(Ends)

REPORT OF THE DEPARTMENT RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT AND FORESTS

DR. T. SUBBARAMI REDDY (ANDHRA PRADESH): Sir, I present the Two Hundred and tenth Report (in English and Hindi) of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on "Demands for Grants (2010-11)" of the Ministry of Environment and Forests.

(Ends)

REPORTS OF THE COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (ASSAM): Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following Reports of the Committee on Public Undertakings (2009-10):-

- (i) Sixth Report on "Security Printing and Minting Corporation of India Ltd.";
- (ii) Seventh Report on "Action taken by the Government on the recommendations contained in the Thirty-first Report (Fourteenth Lok Sabha) on Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) Unproductive payment of incentive in HPCL based on Audit Para 14.4.1 of the Report on Union Government (Commercial) of the C&AG of India No. 11 CA of 2008"; and
- (iii) Eighth Report on "Action taken by the Government on the recommendations contained in the Twenty-first Report (Fourteenth Lok Sabha) on Airports Authority of India-Review of Infrastructure and Operational Facilities (based on Audit Report No. 17 of 2007 (Performance Audit) (Commercial) of C&AG of India)".

(Ends)

STATEMENT RE: IMPLEMENTATION OF THE SECOND REPORT OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON FINANCE RELATING TO THE MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Sir, I make a statement regarding status of implementation of recommendations contained in the Second Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Finance relating to the Ministry of Finance (Department of Revenue).

(Ends)

ANNOUNCEMENT RE: GOVERNMENT BUSINESS FOR THE WEEK COMMENCING 3RD MAY, 2010

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN): Sir, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 3rd of May, 2010 will consist of:

- 1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.
- 2. Consideration and return of the Finance Bill, 2010, as passed by Lok Sabha.
- 3. Consideration and passing of the Trade Marks (Amendment) Bill, 2009, as passed by Lok Sabha.
- 4. Consideration and passing of the Pesticides Management Bill, 2008.
- 5. Consideration and passing of the following Bills after they are passed by Lok Sabha:-
 - (a) The National Green Tribunal Bill, 2009.
 - (b) The Employees' State Insurance (Amendment) Bill, 2009.

- (c) The Payment of Gratuity (Amendment) Bill, 2010.
- (d) The National Commission for Minority Educational Institutions (Amendment) Bill, 2009.
- 6. Discussion on the working of the Ministry of Home Affairs.

(Ends)

(Followed 1o/hk)

HK-SCH/10/12.05

MATTERS RAISED WITH PERMISSION OF CHAIR

KILLINGS AND SUICIDES DUE TO ILLEGAL DECISIONS OF CASTE PANCHAYATS

श्री लित किशोर चतुर्वेदी (राजस्थान): माननीय उपसभापित महोदय, किसी समय में जातीय पंचायतें सामाजिक मार्यादाओं का नियमन करवाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती थीं, किन्तु आज स्थिति यह बन गई है कि जातीय पंचायतों के निर्णय निजी जीवन में दखल देने लगे हैं। राजस्थान के करौली जिले में एक परिवार के पांच सदस्यों ने रेल के सामने कट कर आत्महत्या कर ली। एक पंचायत हुई, जिसमें बाजनाकलां गांव और आसपास के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने एक अवैधानिक संबंध के विषय को लेकर यह निर्णय सुनाया। परिवार का मुखिया गजेन्द्र था, उसके ऊपर 50,000 रुपये का दंड लगा दिया गया, 10,000 रुपये का ब्याज लगा दिया गया, 10,000 रुपये गहनों के वसूल करने की बात कही गई और कुल मिला कर उस पर 80,000 रुपये का जुर्माना कर दिया। जुर्माना करने पर वह बहुत गिड़गिड़ाया कि यह गलत बात है, मुझ पर यह निर्णय मत थोपिए, किन्तु उससे कहा गया कि आप अभी-अभी पैसा दीजिए। परिणाम क्या हुआ कि गजेन्द्र नाम का व्यक्ति अपने परिवार के पांच सदस्यों को लेकर रेल के नीचे आकर कट गया और अपने जीवन की लीला समाप्त कर ली।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में चार-पांच दिन पहले जो घटना हुई है, इस प्रकार की घटनाएं लगातार होती आ रही हैं। हरियाणा में दो समगोत्रीय लड़के-लड़िक्यों की शादी को लेकर भी पंचायत के द्वारा इसी प्रकार का निर्णय हुआ और उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। गरीब लोग शादी के समय घोड़ी पर बैठे, उन पर जुर्माना कर दिया गया और उनका मुंह काला करके पूरे गांव में घुमा दिया।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को बीच में आना चाहिए और इस प्रकार के जो जातीय पंचायतों के निर्णय

होते हैं, जिनके कारण ऐसी भयंकर स्थिति पैदा हो जाती है कि वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उन पर किसी प्रकार रोक लगाई जानी चाहिए, प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और सख्त कानून बनाया जाना चाहिए।

(समाप्त)

REPORTED IRREGULARITIES IN PROCUREMENT OF BULLETPROOF JACKETS FOR PARAMILITARY FORCES

SHRI P. RAJEEVE (KERALA): Sir, I would like to raise an issue of serious violation of rules and misuse of office and corruption regarding the purchase of bulletproof jackets for Indian paramilitary forces. The Home Ministry's Director, Mr. R.S. Sharma, was arrested along with private contractor Mr. Gupta and his wife. Mr. Sharma is alleged to have taken bribe from Mr. Gupta as a favour in awarding the contract to him. The officer holding the rank of Director was the head of the special cell called, 'Modernisation and Positioning of Central Police Forces' and was looking after the allocation of weaponry to paramilitary forces. It includes supply of security equipment like armoured panels, weaponry, bulletproof jackets, helmets and shields. Sir, media like CNN IBN, Rediffmail, etc., reported that this is multi-crore scam. This is not only a scam but a serious move to weaken our defence and security....(Interruptions)...

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: Why is my matter not allowed? ...(Interruptions)... I want to know....(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is this? ...(Interruptions)...

SHRI P. RAJEEVE: Allow me to complete. ... (Interruptions)...

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: I want to know. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is Chairman's prerogative. ...(Interruptions)...

Nothing will go on record. ...(Interruptions)...

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Admission or non-admission is the Chairman's prerogative. It has not been admitted. ...(Interruptions)... It is under consideration before the Chairman....(Interruptions)... The House is adjourned for fifteen minutes.

The House then adjourned at ten minutes past twelve of the clock.

KSK-PSV/1P/12.25

The House re-assembled at twenty-five minutes past twelve of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri P. Rajeeve to continue.

SHRI P. RAJEEVE: Sir, I was surprised at the reaction when I mentioned the name of Bofors.

In Mumbai terrorist attack, we lost several officers, including one of the

* Not recorded

brilliant and courageous officers, Mr. Hemant Karkare. All of us saw on television channels that he had worn a bullet-proof jacket before going to the operation. But, Sir, this experience has raised the question on the quality of bullet-proof jackets used in our country by the paramilitary forces and other Defence forces. This issue of bullet-proof jacket is a serious threat to the country and defence of India, it also poses threat to the lives of personnel working in paramilitary forces who are engaged in country's defence. Sir, some media channels reported that Mr. Sharma is only a small fish; the big officials in the Home Ministry are involved in this scam. The current CBI inquiry is not sufficient to reveal all the facts. So, I urge upon the Government to ensure a fair inquiry and constitute a proper mechanism to enquire all the facts of this scam.

(Ends)

SHRIMATI BRINDA KARAT (WEST BENGAL): Sir, I associate myself with the matter raised by Shri P. Rajeeve.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shrimati Maya Singh.

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश): सर, मध्य प्रदेश में केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने ...(व्यवधान)...

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: Sir, I will not allow this...(Interruptions). Why is my name not being called? ...(Interruptions)

डा0 प्रभा टाकुर: सर, ...(व्यवधान)...

श्रीमती माया सिंहः सर, ...(व्यवधान)...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, the ruling party does not want to run the House...(Interruptions).

DR. V. MAITREYAN: Sir, the ruling party is holding the House to ransom...(Interruptions).

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: Sir,...(Interruptions).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned till 2.00 p.m.

The House then adjourned at twenty-eight minutes past twelve of the clock. GSP-MCM-1Q-2.00

The House reassembled at two of the clock,
THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) in the Chair.

SHRI JESUDASU SEELAM: Mr. Vice-Chairman, Sir, we want the Chairman to review his decision. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: Please take your seat. (Interruptions)

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, It is a sensitive issue. (Interruptions)

SHRI S.S. AHLUWALIA: They are not interested in running the House. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: You can approach... (Interruptions).... No, no. (Interruptions) Please.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, today afternoon...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Let the Minister respond. (Interruptions) Listen to the Minister. (Interruptions) Please listen to the Minister. (Interruptions) The Minister is on his legs. (Interruptions) Please.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Can a Member raise a communication between the Chair and the Member in the House? If he is so aggrieved.... (Interruptions)...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

(SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN): Please listen to me. (Interruptions) Please listen to me.

SHRI S.S. AHLUWALIA: What is this? (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: Let the Minister respond. (Interruptions)

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: Sir, the hon. Member has made an appeal to the Chair to reconsider the decision. (Interruptions) Let the Chair take a decision. That is all. (Interruptions)

SHRI S.S. AHLUWALIA: Whom is he protecting? (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: Mr. Ahluwalia, you are a senior Member of the House. The hon. Minister was on his legs. He wanted to say something. Let me listen to him. Then, I will decide on that, and, I will solve the problem. (Interruptions) Please cooperate with me. (Interruptions) Let me listen to the Minister. (Interruptions) No, no.

SHRI S.S. AHLUWALIA: What is this, Sir? (Interruptions) Is he there to justify the behaviour of the Member? (Interruptions)

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA: Sir, this is something which is not... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please sit down. (Interruptions)

Please take your seat. (Interruptions)

SHRI S.S. AHLUWALIA: Are you justifying it? (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: Please. (Interruptions) Mr. Ahluwalia, please listen to me. (Interruptions). I request you to take your seat. (Interruptions)

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, he should say sorry for what happened in the afternoon. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: Ahluwaliaji, let me listen to him. (Interruptions) Ahluwalia ji, please take your seat. I will solve it. You allow me to do so. (Interruptions) You take your seat. Ahluwaliaji, please take your seat. (Interruptions) This is not fair. (Interruptions) Ahluwalia ji, I am on my legs. (Interruptions)

SHRI S.S. AHLUWALIA: Why was the House adjourned in the morning? (Interruptions) When we were ready to speak, why was the House adjourned? That is my point. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: No, no. Keep quiet. (Interruptions) Sit down. (Interruptions) Mr. Ahluwalia, I am on my legs. Take your seat. (Interruptions) You take your seat. I am on my legs. What is this? What do you want to say Mr. Minister? (Interruptions)

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: Sir, the hon. Member has made an appeal to the Chair to reconsider his decision. (Interruptions) He will abide by the Chairman's decision, Sir. (Interruptions)

SHRI S.S. AHLUWALIA: The Treasury Benches wanted to adjourn the House. (Interruptions)

DR. V. MAITREYAN: Sir, the Ruling Party is not interested... (Interruptions).... What do they want? (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Let me listen. (Interruptions) Let me solve it. (Interruptions) Allow me to solve the problem. (Interruptions)

Please allow me to solve the problem. (Interruptions) अहलुवालिया जी,.....(व्यवधान) आप लोग बैठिए।.....(व्यवधान)

SHRI S.S. AHLUWALIA: Ask him to say sorry to the House. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: Why? (Interruptions)

SHRI S.S. AHLUWALIA: Why not? (Interruptions) Why was the House adjourned? (Interruptions)

DR. V. MAITREYAN: Sir, what is the problem that you are going to solve? There is no problem. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: If the Minister is on his legs, I have to listen to him. (Interruptions) The Chair is bound to listen to the Minister, if he is on his legs. (Interruptions) Please sit down. (Interruptions) There is a convention in the House that if the Parliamentary Affairs Minister is on his legs, the Chair is bound to listen to him. Take your seat. (Interruptions) This is irresponsible. (Interruptions) This is irresponsible. (Interruptions) No, no. (Interruptions) I don't agree with this. If he is on his legs, I am bound to listen to him.

SHRI S.S. AHLUWALIA: But we have a demand. (Interruptions) Our demand is also there. (Interruptions) The Parliamentary Affairs Minister has to reply to my question also. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Madam, you tell me. You had been in the Chair for eighteen years. You tell me if I am wrong. I am requesting you to tell me. (Interruptions)

SHRI S.S. AHLUWALIA: He cannot protect only his party. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: I am requesting Najmaji to tell me if I am wrong. (Interruptions) You please take your seat. (Interruptions) I am bound to listen to him. Decision will be mine. (Interruptions)

DR. V. MAITREYAN: The Parliamentary Affairs Minister did not come to our rescue yesterday. (Interruptions) Then, why for the ruling party, why is he....(Interruptions)...

SHRIMATI MAYA SINGH: Mr. Vice-Chairman, Sir, on this issue, the ruling party is not... (Interruptions)...,

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA: It has never happened. (Interruptions)
THE VICE-CHAIRMAN: One of you should speak. (Interruptions) Let me listen to Najmaji. (Interruptions) Let me listen to her. (Interruptions) Please keep quiet. (Interruptions)

(Contd. by SK-1R)

<u>-gsp/sk/1R/2.05</u>

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) (CONTD.): Please sit down. (Interruptions) Let me listen to Madam Najma. (Interruptions) Please keep quite. (Interruptions)

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA: You mentioned to me that I was in the Chair. In 17 years, there has been no record that the Treasury Benches got the House adjourned. That is what I want to say. The Minister should apologise. (Interruptions)

SHRI S.S. AHLUWALIA: That is the point. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: You made your point. (Interruptions) What do you want to say? (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

(SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN): Sir, I have nothing to say. I have already made a submission that (Interruptions)

SHRI S.S. AHLUWALIA: Say sorry. (Interruptions)

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: Some Members agitated because a decision was reached at in the morning. (Interruptions) I just want to appeal to the Chair to reconsider the issue. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: Now, listen (Interruptions) I wish (Interruptions)

SHRI S.S. AHLUWALIA: No, Sir (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: Ahluwalia*ji*, let me say (Interruptions). Let me say (Interruptions)

SHRI S.S. AHLUWALIA: No, Sir. (Interruptions) No, Sir. (Interruptions) That is not correct. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Ahluwaliaji (Interruptions). Let me say (Interruptions) You take your seat. (Interruptions) I will react to that. (Interruptions) You take your seat. (Interruptions)

SHRI S.S. AHLUWALIA: I want to react. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: Okay, you say. (Interruptions) Say your view. (Interruptions)

SHRI S.S. AHLUWALIA: In the morning, the House was adjourned under the pressure of the Treasury Benches. The Leader of the House should seek apology from the House. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: No, please. (Interruptions) Take your seat. (Interruptions)

SHRI S.S. AHLUWALIA: That is my point. (Interruptions) That is my point. (Interruptions) If they have any grievance (Interruptions)

THE VICE CHAIRMAN: Please take your seat. (Interruptions)

DR. V. MAITREYAN: If they have any grievance (Interruptions) If they have any grievance, they can go to the Chair. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: Please (Interruptions) Please sit down. (Interruptions)

I will solve it. (Interruptions) No, no (Interruptions) Sit down. (Interruptions)

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA: Sir, I have a point of order. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Ahluwaliaji, please cooperate. (Interruptions) Let me give my ruling. (Interruptions) Let me give my observation to what the hon. Minister said. (Interruptions) That is my right as the Vice-Chairman. (Interruptions) Please. (Interruptions) No, no. (Interruptions) I want to give my observation. (Interruptions)

DR. V. MAITREYAN: Sir, if the hon. Member has any grievance, he could have gone to the Chair. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: That is your view. I want to give my observation to what the hon. Minister has said. (Interruptions) You take your seat. (Interruptions) Please, let me say (Interruptions)

DR. V. MAITREYAN: They have to apologise. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: I have to give my observation. (Interruptions) Please (Interruptions) Let me say (Interruptions) Allow me to say (Interruptions) No, you take your seat. (Interruptions)

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, whether the Minister already (Interruptions) Why did they adjourn the House? (Interruptions)

DR. V. MAITREYAN: If you have any grievance, go to the Chamber. (Interruptions) Appeal inside the Chamber. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: I am sorry that the Chair is not being allowed to speak.

(Interruptions) I am very sorry that the Chair is not being allowed to speak.

(Interruptions)

SHRI S.S. AHLUWALIA: You call the records (Interruptions) You call the records and see what he has said. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): That I heard (Interruptions) So, why don't you allow me? (Interruptions)

SHRI S.S. AHLUWALIA: That is wrong (Interruptions) when he is on legs (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: If I don't agree with that, should I not say that?

(Interruptions) I said I want to hear only. (Interruptions) I did not give the ruling. (Interruptions)

SHRI S.S. AHLUWALIA: No, Sir, we will not (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: Why don't you allow me to say? (Interruptions)

SHRI S.S. AHLUWALIA: They must seek apology. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: What is this? (Interruptions) Now, I request (Interruptions) Take your seat. (Interruptions) Please take your seat. (Interruptions)

SHRI D. RAJA: Can I make a request, Sir? (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: I will give you time. (Interruptions) Please (Interruptions) Ahluwaliaji please (Interruptions) Ahluwaliji please (Interruptions) I came here. An issue was raised. I allowed because the Parliamentary Affairs Minister stood up. As far as I know, I have also been in Parliament for so many years, when Parliamentary Affairs Minister stands up, he is allowed to speak. That is a practice. So, I allowed. (Interruptions) No, no. Let me complete. Don't interfere. Then, he raised a point. As a Chair, it is my duty to react to that. For that, I have not been allowed.

SHRI S.S. AHLUWALIA: No, Sir. A Parliamentary Affairs Minister cannot make an irresponsible remark. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): That I will see. You are not supposed to say that. (Interruptions)

SHRI S.S. AHLUWALIA: That is an irresponsible remark. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN: I have to see that. (Interruptions)

SHRI S.S. AHLUWALIA: He is to govern the House. (Interruptions) His duty is to run the House. (Interruptions) His duty is to run the House. (Interruptions)

That is an irresponsible remark. (Interruptions).

(Contd. by ysr - 1S)

-SK/YSR-DS/2.10/1S

THE VICE-CHAIRMAN: The House is adjourned for fifteen minutes.

The House then adjourned at ten minutes past two of the clock.

VKK-NB/1t/2.25

The House re-assembled at twenty-five minutes past two of the clock,

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) in the Chair.

THE PLANTATIONS LABOUR (AMENDMENT) BILL, 2008.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI HARISH RAWAT): Sir, I move

That the Bill further to amend the Plantations Labour Act, 1951, be taken into consideration.

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले इस महत्वपूर्ण विधेयक को यहां प्रस्तुत करने की अनुमति दी। चूंकि कल मई दिवस है, इसलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर ... (व्यवधान)

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, while replying, he can give the details. So, we can start the debate.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay. Please be brief.

SHRI HARISH RAWAT: Sir, I will take just one minute. उपसभाध्यक्ष जी, कल मई दिवस है और इस अवसर पर मैं अपनी ओर से, अपने मंत्रालय की ओर से, भारत सरकार की ओर से तथा इस सम्मानित सदन की ओर से भारत के करोड़ों श्रमशील लोगों को, मज़दूरों को, चाहे वे संगठित क्षेत्र के हों या असंगठित क्षेत्र के हों, बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज इस सदन ने plantations में काम करने वाले workers की भलाई के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक को विचार के लिए लिया है, दूसरी तरफ लोक सभा में ESI Amendment Bill पर चर्चा हो रही है तथा आने वाले दिनों में तीसरा महत्वपूर्ण विधेयक जो इस संसद द्वारा पारित होगा, वह है Gratuity Amendment Bill. ये तीनों महत्वपूर्ण विधेयक लाखों श्रमशील लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगे और मैं समझता हूं कि भारत की संसद की तरफ से, हमारी working class के लिए यह बहुत बड़ा तोहफा है। यह विधेयक plantations में काम करने वाले मज़दूरों की भलाई के लिए लाया गया है और बहुत लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी। आज यह विधेयक सदन में विचारार्थ आया है। जैसा

प्रतिपक्ष की तरफ से सुझाव आया है कि पहले सम्मानित सदस्यों के विचार सुन लिए जाएं, फिर उनके सुझावों को सुनने के बाद, मैं इस संबंध में मंत्रालय का क्या stand है तथा सरकार का क्या stand है, इसे सदन के सम्मुख रखूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

The question was proposed.

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखंड): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं The Plantations Labour (Amendment) Bill, 2008 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, 2006 में Planning Commission ने labour laws and other labour regulations के बारे में एक Working Group बनाया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 2008 में दी और जिसने विभिन्न labour laws - कुछ labour laws, Central Government के तहत आते हैं, कुछ labour laws, राज्य सरकारों के तहत आते हैं -करीब 43 विधेयकों पर चर्चा की और अपनी अनुशंसाएं दीं। उसके बाद 2008 में यह विधेयक लाया गया। इसमें मुख्यतः 2 संशोधन हैं। जो हमारा 1951 का Plantations Labour Act है, उसमें 2 संशोधन आप लाए हैं। हमारी plantation industry का एक बहुत बड़ा इतिहास है।

(1U/VNK पर क्रमशः)

-NB/VNK-RSS/1u/2:30

श्री एस.एस. अहलुवालिया(क्रमागत): जब हमारे देश में ब्रिटिश साम्राज्यवाद था, तब उन्होंने हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में, वहां की climatic condition, वहां की धरती की उपयोगिता पर विचार करते हुए, tea, coffee, rubber, cinnamon, cardamom और तरह-तरह के plantation किए। ये सारे plantation लेबर एक्ट के तहत आते हैं। देश आज़ाद होने के बाद उसके लिए एक कानून बनाया गया और वह कानून चलता रहा। महोदय, यह कानून ऐसा चलता रहा कि इस कानून के तहत कुछ उल्लंघन भी होते रहे, जो करीब 60 साल के बाद हम लोगों को पता लगा कि Article 24 of the Indian Constitution में Fundamental Duties हैं, जिसके अनुसार 14 साल के कम उम्र का बच्चा काम नहीं कर

सकता, उसका भी उल्लंघन हो रहा था। इस विधेयक के द्वारा उस पर संशोधन लाया जा रहा है। इस विधेयक में जो संशोधन लाया गया है, उसमें यह है कि One of the major problems of the safety and health in plantation arises out of the risk associated with the growing use of agro-chemicals, especially, insecticides, pesticides and herbicides. At present, the Act has no provision for safety measures and precautions to be taken for storage, utilization and handling of such agrochemicals. It is also necessary to amend the Act to enable the Central Government to prohibit, restrict or regulate the employment of women and adolescents for handling hazardous chemicals in plantation. It is therefore considered necessary to amend the Act to prohibit employment of children below 14 years in plantation. जब कि Article 24 of the Indian Constitution के तहत जो हमारे Fundamental Rights हैं, वह कहता है, No child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment. Till today, these children are working in hazardous conditions. Till today, they are handling the hazardous chemicals, they are spraying or they are plucking the leaves of tea plants or collecting the beans of coffee where already hazardous chemicals are sprayed. उनको हमने expose किया हुआ है। आज हम इतने दिनों के बाद यह कानून ला रहे हैं। इसका स्वागत है कि आप ऐसा कानून ला रहे हैं, किन्तु यह दुख की बात है कि इतने दिनों तक हमारी संस्थाएं सोती रहीं। उनको इस चीज का पता नहीं लगा, जब कि यह 1951 से हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि agro-chemicals, insecticides, pesticides और herbicides को हमने अभी शुरू किया हो, अभी तो यह बंद होने वाले हैं, क्योंकि सारी दुनिया में अब लोग कहने लगे हैं कि chemicals, insecticides, pesticides और herbicides का प्रयोग बंद किया जाए। वहां पर सिर्फ herbal pesticides यूज हों, जो कि ज्यादा hazardous नहीं है। जैसे तंबाकू

है, तंबाकू के पत्तों से निकोटिन सल्फेट बनता है। अगर तंबाकू को पानी में भिगो कर रख दिया जाए, तो उसमें से निकोटिन सल्फेट निकलने लगता है। गांव या देहात में जब गाय या भैंस को फुट एण्ड माउथ बीमारी हो जाती है, तो उससे मुक्ति पाने के लिए उस निकोटिन सल्फेट युक्त पानी से उसके पैर धोते हैं, इससे फुट एण्ड माउथ बीमारी ठीक हो जाती है।

(1w/MP पर क्रमश:)

MP-MKS/1W/2.35

श्री एस.एस. अहलुवालिया (क्रमागत): जहां कीड़े पत्तों को खा जाते हैं, उनके ऊपर छिड़कने से भी यह बीमारी चली जाती है, पर हम अंग्रेज़ी दवाओं का, chemicals का प्रयोग कर रहे हैं और आज हमें यह महसूस हो रहा है कि इस पर कानून बनाने की जरूरत है।

महोदय, कुछ चीज़ें हैं जो आपने देनी हैं, कुछ statutory facilities हैं, जो आपको plantation workers को देनी हैं। उसमें health भी एक है और health में वे उन plantation companies पर आश्रित हैं, जहां उनके पास hospitals हों, जहां उनका इलाज किया जा सके, क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट का एक और Act है, ESI Act, जो plantation labour पर लागू नहीं होता है।

"Under section 1(4) of the ESI Act, the provisions of the Act apply, in the first instance, to all factories, other than seasonal factories."

Plantation industry को "seasonal factories" की category में रखा गया है। "Seasonal factories" में होने के कारण इनको ESI के benefit नहीं मिल सकते। वहां लिखा हुआ है -

"Seasonal factories have been defined in section 2(19A) of the Act and include plantation. Plantations are, therefore, not covered under the ESI Act, 1948. However, under section 1(5) of the Act, the appropriate Governments are empowered to extend the provisions of the Act to any other establishment or class of establishments, industrial, commercial, agricultural and otherwise."

किंतु दुर्भाग्य की बात है, इस section को नज़रअंदाज़ करके आज तक किसी राज्य सरकार ने इस पर कार्यवाही नहीं की है। राज्य सरकारों ने इनको भगवान भरोसे छोडा और plantation के, चाय बागानों के, कॉफी बागानों के या rubber plants के plantations को कंपनियों के भरोसे छोड़ दिया कि वहां के employee ने अगर कुछ लेना है, उनको कुछ अधिकार प्राप्त करने हैं, तो इनसे लें, वे हॉस्पिटल बनाएंगे। आपको पता होगा कि भारत रबर, चाय और कॉफी के क्षेत्र में अपने आपको नेता मानता था, क्योंकि इनका business अच्छा चलता है, किंतू आज हमारे competitor भी हैं। आज इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन, बंगलादेश और श्रीलंका हमारे साथ compete कर रहे हैं। वे price में compete कर रहे हैं और इसका जो world-wide export है, उसके price में, खास तौर पर चाय और कॉफी में। जब वे compete कर रहे हैं, तो हम और जो plantation associations हैं, ये social cost कम करने के लिए कहते हैं। जब हम इनको किसी Act के तहत नहीं लाते हैं, अगर उनको वह facility हम यहां से नहीं देते हैं और उनको मालिकों पर आश्रित रखते हैं.... जैसे आप North Bengal or Assam चले जाइए, तो आपको miles after miles चाय बागान तो दिखेंगे, पर जाकर पुछिए तो चाय बागान रुग्ण हो चुके हैं। कुछ बंद हो गए हैं और कुछ बंद होने के कगार पर हैं। चाय के पेड़ हैं किंतु उनका रखवाला कोई नहीं है। चाय के बागानों में काम करने वाले मज़दूरों के घर हैं किंतु उनको कहीं से तनख्वाह नहीं मिलती है। उसका कारण क्या है? जो social cost हम विधेयक पास करके बढ़ाते हैं, उससे उनकी बेचने की क्षमता भी कम होती जा रही है। 2005 की figures मेरे पास हैं कि per kg. चाय पर करीब साढे सात रुपया या पौने आठ रुपया social cost है। मार्केट में compete करने में उतना मार्जिन होता है और उतने मार्जिन में ही मार खा रहे हैं। Tea Board की auction हो, चाहे कॉमर्स मिनिस्ट्री देख रही हो, चाहे लेबर मिनिस्ट्री देख रही हो और यह विभाग चुंकि plantation का है, नियमतः यह विभाग कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत आता है और कॉमर्स मिनिस्ट्री को इस पर सोचना चाहिए।

(1X/SC पर क्रमशः)

-MP-SC-TMV/1X/2.40

श्री एस.एस.अहलुवालिया (क्रमागत) : उसमें आगे यह भी प्रावधान है कि जहां हम ईएसआई के माध्मम से मदद नहीं कर सकते, वहां पर जो statutory benefits हमें देने हैं जैसे health, education, housing, drinking water, sanitation and conservancy, child care and creches. ये प्लांटेशन लेबर को उपलब्ध कराने हैं, यह statutory requirement है और प्लांटेशन इंडस्ट्री को इन सारी चीज़ों की भरपाई करनी है। महोदय, क्योंकि यह एक सेंट्रल एक्ट है इसलिए इसमें राज्य सरकारें बहुत ज्यादा इंटरस्ट नहीं लेतीं। राज्य सरकारें निर्भर होती हैं कि प्लांटेशन के जो मालिक हैं, वे लोग करें। लेकिन जो इसकी administrative Ministries हैं - Commerce and Industry or Labour and Employment -उनको एक सेंट्रल स्कीम बनानी चाहिए जो सोशल वेलफेयर स्कीम हो और एक suitable mechanism होना चाहिए जिसके माध्यम से ये सारी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध हो सकें क्योंकि वे hazardous chemicals के साथ उसको हैंडल करेंगे, उस पर स्प्रे करेंगे, उन पत्तियों को छूएंगे या उसके स्टोरेज डिपार्टमेंट में जब ट्रक में माल आएगा तो उसको ढोकर या कंधे पर लादकर वहां उतारेंगे। फिर वहां से उसका जो रिसाव होता है, वह वहां की वाटर बॉडीज़ में जाता है, वहां के वाटर लैवल को खराब करता है। उसी पानी को वे पीते हैं, वे वहीं पर खाते हैं, नहाते हैं, सब कुछ करते हैं। इस प्रकार उन पर जो असर पड़ता है, उसके लिए हमारे पास कोई कानून भी नहीं है। हमने कानून बनाया था। हमने Bhopal gas की घटना होने के बाद एक कानून बनाया - the Public Liability Insurance Act, 1991 - जिसकी definition में हमने "handling of hazardous chemicals" के बारे में लिखा है -"handling in relation to any hazardous substance means, the manufacture, processing, treatment, package, storage, transportation by vehicle, use, collection, destruction, conversion, offering for sale, transfer or the like of such hazardous substances". ये जितने भी insecticides or pesticides or vermicides हैं, basically they are hazardous chemicals. इस विधेयक के तहत ये इनको स्टोर करने

की भी परिमशन दे रहे हैं, इसको यूज़ करने की परिमशन भी इसी ऐक्ट के तहत दे रहे हैं और इसको प्रोसेस भी उसी के तहत किया जा रहा है, उसकी पूरी हेंडलिंग हो रही है। लेकिन इस पूरे विधेयक में हम लेबर लॉ को ईएसआई के अंडर नहीं लाए कि वहां के लोगों को ईएसआई का सपोर्ट मिलेगा। हम इसमें यह भी नहीं लाए कि इनको Public Liability Insurance Act, 1991 के तहत लाएंगे और अगर उनको कुछ तकलीफ होती है तो वह insured होंगे और इंश्योरेंस की तरफ से उनकी हर तरह की liability क्लीयर की जाएगी। यह विधेयक अभी 2007 में बना था। पता नहीं उन्होंने क्यों इस विधेयक को, जो दूसरा 1991 का विधेयक है, नज़रअंदाज़ कर दिया है। इसको अगर उसका कवरेज मिल जाता तो शायद मामला और आसान हो जाता क्योंकि वहां की स्टोरेज जो है, ऐसे hazardous chemicals की जो storage है, that is covered under this. I don't know whether this Act is covering that or not because there is no mention about this Act in this Amendment Bill. महोदय, इसमें महिलाओं के बारे में कहा गया है। फैमिली की डेफिनेशन चेंज की गयी है और definition of 'workers' चेंज की गयी है by enhancing wage ceiling from Rs.750 to Rs.10,000 per month. This proposal also amplifies the definition of 'workers' to include contract workers in plantation employed for more than 60 days in a year. यह एक अच्छी पहल है क्योंकि इसके साथ उसकी जो statutory requirement है और जो statutory commitment हैं कि उसको subsidized रेट पर (1वाई-एमसीएम पर क्रमशः) राशन मिलेगा।

VK-MCM/1Y/2.45

श्री एस0एस0 अहलुवालिया (क्रमागत): उससे डिप्राइव मत कर दीजिएगा, कहीं उसको मत बोल दीजिएगा कि यह बी0पी0एल0 में नहीं आता है। तो बी0पी0एल0 में नहीं आता, इसलिए इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब 750 रुपए था, तब तो बी0पी0एल0 में आ रहा था, अब जब आप उसकी तनख्वाह बढ़ाएंगे और दूसरी चीजें बढ़ाएंगे तो उसको आप कहेंगे कि Now you are above poverty line.

आप उसको डिप्राइव करिएगा, क्योंकि ये स्टेट्यूटरी जो किमटमेंट हैं, बेनिफिट्स हैं उसमें भी प्लांटेशन इण्डस्ट्री "The plantation industry is required to meet substantial expenditure on these statutory and non-statutory social commitments which is increasingly finding it difficult to fund from its own resources". वह कहेंगे कि साहब, हम दे नहीं सकते, आप बी०पी०एल० की परिभाषा बदल दीजिए और वह मारा जाएगा। तो मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहूंगा कि जहां एक तरफ आप उसकी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं या उसको मिनिमम 60 दिनों का एम्प्लोयमेंट देने का किमटमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उससे यह अधिकार मत छीन लीजिएगा कि उसको जो सब्सडाइज्ड रेट पर राशन दिया जाता है वह बंद हो जाए, या उसको जो मेडिकल फेसिलिटी, एजुकेशन फेसिलिटी, मकान की व्यवस्था या पानी की व्यवस्था हैं, वे सारी छीन ली जाएं।

इसके साथ-साथ मैं यह भी मांग करुंगा कि यह आपने एक अच्छी पहल की है और इसमें अभी भी कुछ किमयां हैं, उन किमयों को मद्देनजर रखते हुए इसको एक पूरक विधेयक बनाएं। किन्तु वह साथ-साथ पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो सके और जो बंद चाय बागान हैं, खास करके पश्चिमी बंगाल के द्वार इलाके के और असम के, उनको खुलवाने का बंदोबस्त करें, तभी यह आपने जैसा कहा कि महान मजदूर दिवस के एक दिन पहले यह विधयक पास हो रहा है, तभी यह चिरतार्थ होगा कि वाकई आपने मजदूरों के हक में यह विधयक पास किया है, यही कहते हुए मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

(समाप्त)

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA (ORISSA): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise here to support the Plantations Labour (Amendment) Bill, 2010. I do congratulate the hon. Minister of Labour who has brought this Bill in this House. I also thank the Government, the hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh and Shrimati Sonia Gandhi for coming forward with this Bill before the Labour Day. Along with this, the Gratuity (Amendment) Bill will also be passed in this House.

While supporting the Bill, I just would like to mention some important points here. I do agree with Shri S.S. Ahluwalia. He has mentioned many Shri Ahluwaliaji has mentioned about improper medical care, things here. people dying without proper medical care and no ESI scheme. But I do not agree with him when he says that this Bill arises out of the recommendation of the Working Group constituted in the Planning Commission. This Amendment Bill is the outcome of the resolution of the Indian Labour Conference, the Standing Labour Committee and different recommendations by the Expert Committees like the A.W.Fergusen Committee, Dr. Sabysachi Sen Committee, the Inter-Ministerial Committee and the Madhavan Committee. Rather, for his information, this Inter-Ministerial Committee was constituted in the year 2003-04 when his Government was there. But the report came later. That is why this Amendment Bill has come. As we all understand, plantation crops such as tea, coffee, rubber, cardamom, etc., are grown mainly in Kerala, Tamil Nadu and Karnataka in right South and, maybe, Goa and some other areas, and in East also, mostly in Assam, West Bengal; then in the North East area, Himachal Pradesh, Uttarakhand and in some parts of Jharkhand and Orissa also tea and coffee plantation has started.

(Contd. By 1z/RG)

RG/2.50/1Z

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA (contd.): Now, coming to the industry as such, the tea industry, I should say, is not in a very good condition. The coffee and the rubber industries are in a better

condition because they have effective Coffee Board and the Rubber Board. But the position of the tea industry is, definitely, very bad. Many of the tea gardens have been closed down in West Bengal and Assam, and the workers are suffering. As has been mentioned by Shri Ahluwaliaji, I do agree with him on one point that there is exploitation. The point is that we have many labour laws in our country. Whether it is the Child Labour Act, or, the Payment of Wages Act, or the other labour laws, the Acts are there. But these are not being properly implemented. That is the main cause of exploitation. If these Acts were properly implemented, then, there would not have been such problems.

So far as child labour is concerned, this Government is, definitely, very much concerned about it. In 1991, when the Congress (I) Government was there, they took a decision to abolish child labour in hazardous industries. Then, of course, there is also the Supreme Court Judgement, and appropriate action is being taken. But, whether it is child labour or plantation labour or other labour, everything depends on the implementation of the Act, which is, unfortunately, not being done in our country. One thing is that in the Labour Department, adequate staff is not there. And, labour,

being the Concurrent subject, there is difference of opinion and confrontation between the Central Labour Department and the State Labour Department. In the absence of the effective implementation machinery and in the absence of a strong militant organization at the grassroots level and the lack of co-operation of the Government, the implementation of the Act is not there. That may be the cause of exploitation. No doubt, plantation workers are mostly exploited. It is the responsibility of the industry, or, the tea garden owners, to give medical care. Medical care is a very important need for the plantation workers. In fact, Shri Ahluwaliaji did not mention about it. Also, people are not getting their What about medical care? provident fund. They are not getting their annual leave. They are not getting their salary. I would impress upon the Labour Department and this Government that they should take appropriate steps in this regard. They should find out alternative arrangements and see to it that in places where the tea gardens have been closed down, without paying the workers their provident fund contribution, without paying their gratuity and without paying their salary, these workers get their due. As you know, Sir, the Inter-Ministerial Committee has given its recommendations. The principal recommendation of this

Committee was sharing of social infrastructure cost between the Central Government, State Government, the local Government and concerned industries, rationalization of AIT and bringing it on par with CIT, rationalization of various enactments and taxes imposed by the States, amendment of rules and review of the Plantation Labour Act of 1951, issue relating to provident fund rules, etc. So, one of the suggestions included sharing of social costs because in the tea gardens in some places, the social cost is not being given; the employers are also not in a position to give that. In that case, there is also a recommendation of sharing the costs by the State Government, the Central Government and the industry. So, this suggestion was recommended, but this has not been done till today. There was also a recommendation for the amendment of the Plantation Labour Act of 1951 in consultation with the trade unions. Accordingly, several discussions have taken place in the Standing Committee. I do not want to go into it.

(Continued by 2A)

2a/2.55/ks

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA (contd.): I want to make a request to the Labour Minister. There are many recommendations about plantation workers which have been left out. In the near future, the Government should bring

forward relevant amendments in the law so as to protect the interests of workers. Sir, the tea industry is facing problems. Even in the Inter-Ministerial Committee, there was a suggestion regarding sharing of the social cost. There was a suggestion that in case neither the employer nor the Government take the responsibility for payment of arrears and other dues to the workers, the management of the tea garden should be handed over to some sort of a Self-Help Group of workers with some financial assistance, so that the tea garden starts working and the interests of workers are also protected. Sir, I do not want to take much time of the House. I will take just a couple of minutes more and conclude.

Sir, the employers, the tea garden owners and the employers of plantation labour are not implementing the provisions of the Act; they are not taking the responsibility for workers' health; they are not giving Minimum Wages; they are not providing residential accommodation to workers; and they are also not making payment of the statutory dues. Sir, it is my earnest request that the Government must insist upon the tea garden managements, owners and employers to take appropriate steps for the implementation of the existing provisions of the Act. The Government should incorporate more provisions in the statute to protect the interests of workers.

Sir, there is also a board for plantation workers' welfare, like we have the Tea Board, the Coffee Board and the Rubber Board. But this board does not meet regularly. Even when it meets, it does not implement the provisions of the Act. In that case, what is the point of having this board? The Labour Minister should take up this matter and see to it that all these Boards meet regularly and make recommendations,

which should be accepted by the Government. As we are aware, it is these four or five States in the south and other States in the East and North-East which are growing most of these plantations. If possible, we should have regional boards to have close interaction with the people there, because the problems of each region and the issues involved may be different. These regional boards can discuss regional problems and issues in detail and take appropriate decisions.

The Government is looking after the healthcare aspects of the workers in the form of the Rashtriya Bima Yojana, the *aam admi* Bima Yojana. I must also congratulate the Government because, of late, they are taking appropriate steps so that the plantation workers get adequate benefits. I also support what the hon. Member said here about the ESI scheme. Both these social security schemes, the ESI and the Provident Fund Scheme, are doing very well in this country, but there is a lacuna in this Act. The workers as well as the employers feel that the workers are getting better medical care and so, there is a feeling that the management can be exempted from the provisions of the Act. I think this is wrong and we must also formulate a scheme wherein all the workers in this country are covered by only one scheme, the ESI Scheme, so that everybody gets the same medical benefit. Even in the case of Provident Fund, I know many employers who are being exempted from the provisions of the Provident Fund Act. They keep the Provident Fund with themselves. The workers get neither pension nor the Provident Fund money. That too happens. Sir, this Government, being a pro-labour Government, should take firm and strong steps so that all workers get the same social security benefits whether under the Provident Fund or the ESI. The plantation workers should be included in the ESI scheme too. That is my suggestion and I think the main problems of the plantation workers would get solved.

With these words, I once again support this Bill and expect that the Government would take appropriate steps to protect the plantation workers from further exploitation.

(Ends)

(Followed by tdb/2b)

TDB-LP/2B/3.00

SHRI TAPAN KUMAR SEN (WEST BENGAL): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you very much for giving me the opportunity to speak on this Bill. I rise to welcome the Plantation Labour (Amendment) Bill, 2008, which is quite well intentioned. But, at the same time, I must comment that this amendment is not adequate. The provisions of the Bill are not fully consistent with the Statement of Objects and Reasons, the purpose that has been talked about. I urge upon the hon. Minister to go into the matter and see to it that it is made consistent; otherwise this well-intentioned amended Act will continue to confine to mere some pages in the statute book as is the situation of the majority of the labour related laws in our country. They are mainly meant for violations, not for implementation. From 1990 onwards, a new element has been injected into the scenario that if somebody violates the law, he is considered an offender and he should be punished as per the law of the land. But, in respect of labour law violaters, they are considered to be very smart entrepreneurs and sometimes allowed to share breakfast on the dining table of who is who in the Government. That is our culture, and they are sometimes decorated with Padmashri and other awards. It is done because they are considered very smart entrepreneurs, who are carrying the country to a very big growth trajectory. So, in that kind of a

situation, with all good intentions, when the Union Labour Minister takes it up to repair a law, I think, the inbuilt safeguard has to be there for its proper enforcement. As my friend, Shri Rama Chandra Khuntia said, if it is not enforced properly, then the whole purpose of amending this Act will be defeated.

Sir, this particular Bill is targeted to address the issue of safety in the plantation section. It is not a fact. I do not agree with my friend, Ahluwaliaji, although he said it with good intentions, इतने दिन सोती रही, it is being discussed in the last 60 years. If I am correct, being basically a trade union official, in the last six decades, it is being discussed in different forums. But, unfortunately, it could not get the priority it deserved, and now it has been taken up. It is well enough. But, how has it been taken up? It has rightly identified the real problems and the serious damages it is causing to the health of the plantation workers. Surveys after surveys, made basically by the trade unions, are showing that the exposure to these chemicals and pesticides in our plantation sector is creating so much problem for the workers. It is sometimes creating mental retardation among the plantation workers, who usually come from the most backward and most weakest sections of the society, namely, the adivasis, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, migrant workers, etc. The serious spread of mental retardation because of its exposure to chemicals. It is not merely tuberculosis; it is one of the diseases. It is not merely skin disease; it is one of the diseases. It is also causing serious mental retardation which is leading to widespread drunkenness by which the workers are losing their hard-earned money and the whole family becomes a pauper and they run after

moneylenders, and ultimately the family falls in debt trap. So, such kind of a serious situation is being created there. Again and again, it is being pointed out. It was discussed in different forums, and, at last, it has been taken up. Just I have been told that in tea gardens, the spread of drunkenness was especially started by the trade unions and other social activist groups and it was found that because of that kind of exposure to this chemical, it created a kind of nausea. There is always a continuous feeling of nausea within the worker which pushes it to go for alcohol or country liquor. In Kerala, for cashew plantation particularly, there is exposure to a particular chemical called endosulfan, which is creating serious mental retardation in workers. Other chemical exposure, health hazards, I understand, some diseases and others. But, it affects mind also. This is such a kind of serious disease.

(Contd. by 2c-kgg)

kgg/2c/3.05

SHRI TAPAN KUMAR SEN (contd.): It has been taken well enough. But, again, the provision that has been made, I find it is just an enabling provision for the State to make some rules and telling some dos and do-nots to the employers. The penalty provision that has been kept is totally inadequate to compel the owner/employer to abide by those safety requirements. The law talks about appointment of a qualified trained supervisor to handle those chemicals. But, it does not talk about appointment of a qualified safety officer and a preventive safety department; it should have been there for these remote areas, plantation areas. How could you address the issue and implement this law? I think, these are the areas that should be seriously looked into.

Secondly, I would come to the issue of medical facilities. You are leaving it to the mercy of the State Governments. Normally, the plantations are located in such remote areas where State Government hospitals are not accessibly nearby. This is a reality. Garden group of hospitals are playing a very important role, this is also a reality. Presently, let me tell you, particularly after 1990onwards, in the managerial vocabulary that is being talked is, "In a tea garden or plantation, running a hospital is not a part of core competence and you throw it out; your business is to grow tea and sell it in the market; running hospital is not your competence, throw it out, outsource it." A dangerous trend has started in the plantation area and most unfortunately, when I went through the Standing Committee report, the Standing Committee Members from all parties, when they put specific questions to the Union Labour Ministry, they argued that it was not a viable proposition in many areas. In some areas, Garden group of hospitals are there. The Members insisted, "You are running a big empire; tea garden means an empire; you must have a hospital there, you are located in isolated remote areas and you must have a hospital there. If you have to do business, the benchmark has to be followed." I do not believe that our plantation industry is in crises. If you really go through the economics in a comprehensive term, the production is separated from marketing, production is separated from processing factory. The processing unit is earning profit, but the production unit is losing. On the ground that the production unit is losing, workers are being deprived of their benefits. This is the reality in most of the plantation areas. It is a business jugglery by which the same entrepreneur created three different companies --- one for production, one for processing and another for marketing.

Marketing and processing are earning profits, and the production unit is losing it or earning a very low margin. By this they make a plea, 'Garden is not viable, you cannot continue with the Garden group of hospitals, so we must have access to the State Government hospitals.' This is no doubt a very clever exercise but people can understand. That cannot be the reason, that cannot be the sole remedy. That can be one of the remedies. The State Government hospitals and others can supplement, but you have to compel them to bring under the Garden group of hospitals. The Garden group of hospitals must increase in number and that must take care of the workers. You have to supplement each other. You can understand the manner in which the Labour Ministry responded to the queries of the Standing Committee Members. It appears that they are indulgent to the idea that the Garden group of hospitals need not be maintained and the whole thing can be pushed to the State Governments. I think, this should not be an idea; this will defeat the very purpose of the enactment, the purpose of the Amendment. I urge upon the Minister to please take care of that.

The third point is again on enforcement. Sir, there is another Act, particularly the Tea Act, 1953 for the tea area. That has got certain teeth. That has got a provision to say that the licence may not be renewed if you are violating laws, including the labour-related laws. If the hon. Minister can let me know---the hon. Commerce Minister is also sitting here and I do not know whether he came prepared for this particular issue---how many complaints have come to the Central Government from different State Governments about non-compliance of the labour-related matters by the tea gardens and insisting for that provision to be invoked to leverage implementation of the Tea Act, 1953, of the conditions that have been there, to tighten them. (contd. by nbr/2d)

-KGG/NBR-SCH/2D/3.10.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (CONTD.): The economics of our plantation industry is not at all in crisis. The crisis is being projected to mint money, to mint profit and to rob the workers of their legitimate due. That is the reality. There is no crisis at all. So, keeping this in view, whether you are going to leverage the Tea Act, 1953, and this Act must have a reference of Tea Act there. I think, in this respect, the Commerce Ministry and the Labour Ministry must move in unison and only then the wealth that is created in our plantation industry can be properly go down, can be properly get distributed among the workers.

Sir, the last point is, I agree with my friend Mr. Khuntia when he said that there is Industrial Committee. It is a structured Committee. It does not meet. It is a Central Act. The major responsibility to implement the Act rests with the State Government. Unless there is an effective monitoring mechanism, particularly in plantation-like sector where the workers are extremely weak as they come from the weaker sections of the society where there is a problem of education, awareness and so many other things, and if there is no strong mechanism, they will continue to become the victims of exploitation. So, you must make the Industrial Committee operative. I have seen the geography of the plantation industry in our country. Unless these Committees are constituted regionally, it is very difficult. Sir, at least, two Committees -- one for South and the other for East and North-East -- have to be constituted. And, another one for the Northern region where plantation is gradually picking up in Himachal Pradesh, Uttarakhand and in so many other areas can also be constituted to closely monitor the implementation of these labour-related laws.

Sir, the last point is this. Sir, another problem which is really being faced by the plantation sector is the shortage of skilled labour.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Sen, you have exceeded your time by three minutes.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: I am concluding.

Sir, another most important point is that they are facing a very serious shortage labour, thanks to NREGA. Again, I would like to draw the attention of the hon. Labour Minister and also the hon. Commerce Minister who is sitting here that a very peculiar anomalous situation is prevailing with regard to wages for labour in the plantation sector, particularly tea industry. In the East and the North-East, the wage is Rs. 67. In South, it is Rs. 105. In East and the North-East, no DA element is there with the wage. In the South there is an element of DA ...(time-bell)...I am concluding. Sir, this is a very important point that I am dealing with. In the Eastern and North-Eastern region, there is ration. In South it is not there. I am told that since you are giving ration, the wage is very low; fine. I accept. That is why in East and the North-East it is Rs. 67 and I am getting ration. In South, it is Rs. 105 without ration. It is fine. Then, why do you deprive of me of DA. It is a double punishment. What is the basis for it?

The Wage Board for plantation was last set up in 1966. Thereafter, there is no Wage Board. I think, the time has come that unless you address this anomalous situation about the wages, the plantation industry will lose skilled workers, because they are able to find other better avenues. Again, those avenues are not so stable in this kind of critical economic situation. So, if that is important and you consider plantation sector as a very important segment of

country's revenue generation through export and other things, you have to give importance it deserves and it demands that we must constitute the Wage Board immediately to address the wage issue of the plantation workers and bring it to standard. I think that is also a very important aspect which you alone can make with a bit of successful initiative. I request, while framing the rules -- the State Government is framing the rules -- the Central Government, the Union Labour Ministry should take up, in consultation with the Commerce Ministry, to frame a Central set of rules which act as overall guidelines to the State to frame their respective rules. And, it will help a proper monitoring and enforcement. So, at least, a better effort can be made.

With these words, I conclude my speech. Thank you.

(FOLLOWED BY USY "2E")

PSV-USY/2E/3.15

श्री नन्द किशोर यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मंत्री जी ने आज जो "The Plantations Labour (Amendment) Bill, 2008" यहाँ प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूँ।

सर, बागानों में जो श्रमिक काम करते हैं उनके अधिकारों तथा उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए बागान श्रम अधिनियम, 1951 बनाया गया था। जब यह कानून बना उसके बाद से लगातार इन बागानों में काम करने वाले लोगों की और ऐसे संगठन, जो इन बागानों से संबंधित थे, उनकी यह लम्बी माँग थी, जो कानून मंत्री जी आज लेकर आए हैं। यह सही है कि चाहे चाय के बागान हों, रबड़ के बागान हों या इलायची के बागान हों, इनको अंग्रेजों ने इस देश की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से लगाया था। चाय बागानों में विशेष कर बच्चे और महिलाएँ भारी संख्या में काम करते हैं। उसका प्रमुख कारण यह है कि चाय बागानों में चाय की पत्तियाँ तोड़ने का काम होता है और चूँकि बच्चों और महिलाओं की

उंगलियाँ मुलायम होती हैं, जिसके कारण ये उस काम को बहुत तेजी के साथ करते हैं। इसीलिए भारी संख्या में चाय बागानों में महिलाएँ और बच्चे काम करते रहे। 1951 से लेकर आज तक, आज जो यह कानून संसद के सामने लाया गया है, इस कानून का उल्लंघन होता रहा है। केवल चाय बागान में ही नहीं बल्कि हमारे उत्तर प्रदेश में भदोही में कालीन बनाने का उद्योग है, उस उद्योग में भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बड़ी संख्या में काम पर लगाया जाता है। वहाँ कालीन बुनाई का जो काम होता है, चूँकि इनकी उँगलियाँ बहुत मुलायम होती हैं, इसलिए उनसे बुनाई करने में भी आसानी होती है। महोदय, इन बागानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजित करने का काम होता रहा। यद्यपि आज जो कानून आया है, इसके मुताबिक अब वहाँ महिलाओं को छः बजे सुबह से लेकर शाम सात बजे तक ही काम पर लगाया जाएगा, लेकिन इसके पहले पिछले 62 वर्षों तक लगातार, चाहे वे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे रहे हों या महिलाएँ रही हों, उनसे वहाँ देर रात तक काम कराया जाता था। अब जब यह कानून बन जाएगा तब मैं मानता हूँ कि अब पुरुषों को सप्ताह में सिर्फ 48 घंटे काम करना होगा और इसी तरह से 14 वर्ष के ऊपर के बच्चों से सप्ताह में टिर ही काम लिया जाएगा।

सर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि मूल अधिनियम की 33, 35 और 36 धाराओं के अनुसार पहले जब कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता था तो उसको केवल 3 महीने का कारावास या 5 सौ रुपए का जुर्माना किया जाता था, लेकिन आपने यह अच्छा काम किया है कि आपने इसको संशोधित किया है। अब अगर कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके लिए आपने कारावास की अवधि को 6 माह किया है और जुर्माने को भी बढ़ाकर 10 हजार रुपए किया है। इस काम में बच्चे, महिलाएँ या अन्य जो लोग भी लगाए जाते थे, उनके बारे में श्रम संबंधी Parliamentary Standing Committee ने अपनी रिपोर्ट भी दी थी। श्रम समिति ने अपने 38वें प्रतिवेदन में कहा था...।

(2एफ/डी०एस० पर क्रमशः)

श्री नन्द किशोर यादव (क्रमागत): कि बागान में कई यांत्रिक और रासायनिक खतरे मौजूद रहते हैं, जहाँ बड़ी संख्या में अकुशल और अर्द्धकुशल कामगार नियोजित हैं। रासायनिक उर्वरकों तथा कीट एवं खर-पतवार नियंत्रक रसायनों के लापरवाहीपूर्ण उपयोग तथा कुछ बागानों में त्रुटिपूर्ण कार्य प्रक्रियाओं के कारण स्वास्थ्य सम्बन्धी गम्भीर खतरों की संभावना है। कीटनाशकों तथा खर-पतवार नाशकों की कई किरमों का बागानों में प्रयोग किया जाता है। इन कीटनाशकों का परिवहन तथा भण्डारण सुरक्षित तरीके से नहीं किया जाता है। सांद्र पदार्थों को मिलाते समय कामगारों द्वारा बहुत-सी सुरक्षा सम्बन्धी सावधानियों की उपेक्षा कर दी जाती है। मापक-पात्रों तथा व्यक्तिगत सुरक्षा उपस्करों को उचित तरीके से उपयोग नहीं किया जाता है या बिल्कुल ही उपयोग नहीं किया जाता है, जिससे exposure सम्बन्धी गम्भीर खतरे होते हैं। इन रसायनों के अधिक उपयोग से बागान-उद्योग में कार्यरत कामगारों को त्वचा में खुजलाहट, चर्म रोग, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आदि बीमारियाँ हो जाती हैं।..(समय की घंटी)

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): नन्द किशोर जी, अब आप समाप्त कीजिए। श्री नन्द किशोर यादव: बस, अब मैं समाप्त कर रहा हूँ सर।

दूसरी चीज़ यह होती थी कि जहाँ ये कीटनाशक या रसायन रखे जाते थे, वहाँ उनकी सूची नहीं लगी रहती थी। आपने इस क़ानून के माध्यम से इसकी भी व्यवस्था की है। आप यह जो संशोधन विधेयक लेकर आये हैं, इससे बागानों में जो लाखों कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और वहाँ जो महिलाएँ काम कर रही हैं, इससे उनकी निश्चित रूप से सुरक्षा होगी। इसी बात के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

श्री गोविंदराव आदिक (महाराष्ट्र): धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष महोदय जो आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। मैं जानता हूँ कि समय की पाबंदी है इसलिए आपने जो समय निर्धारित किया है, उसी में मैं अपना भाषण खत्म करने वाला हूँ।

सर्वप्रथम मैं यूपीए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ और उसका अभिनन्दन भी करना चाहता हूँ कि उसने एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और पूर्वगामी विधेयक यहाँ लाने का प्रयास किया है। वैसे अगर देखा जाए तो पिछले 63 सालों में हमारे देश में वर्करों के लिए, लेबरर्स के लिए और श्रमजीवी जनता के लिए जितने क़ानून हमने बनाये हैं, शायद ही किसी प्रगतिशील देश में इतने क़ानून बनाये गये हों। इसका उल्लेख आई.एल.ओ. की एक रिपोर्ट में भी किया गया है कि लेबरर्स को security देने के लिए भारत में सबसे ज्यादा क़ानून तैयार किये गये हैं। उन्हीं में से एक क़ानून 1951 में हमने पारित किया था। उसमें आज संशोधन करने का निर्णय सरकार ने किया, सरकार को इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। कहते हैं - देर आयद, दुरूरत आयद। देर हो गयी है, लेकिन फिर भी आप इस संविधान संशोधन में जिन प्रावधानों को लेकर आये हैं, इसका स्वागत केवल हम ही नहीं बल्कि श्रमजीवी जनता के हर वर्ग में किया जाएगा, इसमें कोई आशंका नहीं है।

महोदय, इस क़ानून के तहत हमने देखा है कि जीवित प्राणी के लिए जो हानिकारक बन सकते हैं, ऐसे जो जीवाणु और द्रव हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए यह संशोधन किया जा रहा है। इसका फायदा जरूर प्लांटेशन इंडस्ट्री में होगा। प्लांटेशन इंडस्ट्री हमारे देश की एक बहुत ही अहम, बड़ी और महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है, लेकिन जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हमने इस इंडस्ट्री को बहुत neglect किया है। हमने इसमें काम करने वाले वर्कर्स की तरफ ध्यान नहीं दिया है। यह अच्छी बात है कि अब इस पर ध्यान देने का प्रयास शुरू हुआ है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। इसमें जो भी प्रावधान किये गये हैं, वे प्रावधान पूरे नहीं हैं, इनमें बहुत-सी खामियां हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन खामियों को दूर करने की आवश्यकता है। इसके बारे में जो भी बातें कही गयी हैं, मैं उनको दोबारा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं सरकार को यहाँ एक सुझाव जरूर देना चाहता हूँ। वह सुझाव इतना ही है कि इसमें pesticides और insecticide के लिए जो प्रावधान किये गये हैं, हम तो यह चाहेंगे कि इस इंडस्ट्री में इन pesticides, insecticides और herbicides का कम से कम उपयोग किया जाए। अगर उसके लिए कोई रोक लगा दी जाए तो वह सबसे अच्छा होगा।

(2g/NB पर क्रमशः)

NB/2G/3.25

श्री गोविंदराव आदिक (क्रमागत): बीमारी के फैलने के बाद, उसको नियंत्रित करना एक बात है और बीमारी न हो, इसके लिए पहले से ही preventive measures लेना दूसरी बात है। हम तो सरकार से यह कहेंगे कि इन preventive measures को लेने के लिए वह जरूर कुछ कदम उठाए। इससे सबको राहत मिलेगी।

दूसरी बात यह है कि इस इंडस्ट्री में बहुत से migrant labourers हैं, जिनका न यहां उल्लेख किया गया है और न ही किसी ने उनकी ओर ध्यान दिया है। एक तो permanent labourers हैं, उनके बारे में आप जो भी प्रावधान करेंगे, उनसे उन्हें फायदा होगा, लेकिन इनमें एक वर्ग ऐसे labourers का भी है, जो साल भर वहां काम नहीं करते हैं, वे केवल seasonal labourers के तौर पर काम करते हैं और season में काम करके निकल जाते हैं। जो लोग वहां permanent हैं, वे साल भर वहां काम करते हैं, उनके लिए आपने जो प्रावधान किए हैं, उनसे उन्हें जरूर फायदा होगा, लेकिन जो seasonal workers हैं, उनके लिए आप क्या प्रावधान करेंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे हम देख रहे हैं कि Plantation Industry में population of migrant labourers, बड़ी चिंता का विषय बन जाती है। जैसे हमारी Sugar Industry में भी जिन्हें हम harvesting labourers कहते हैं, ये भी migrate होकर आते हैं और इनकी समस्याएं कुछ अलग ही होती हैं। हमारे माननीय मंत्री जी यदि इनकी ओर कुछ ध्यान दें और इनके लिए भी कुछ प्रावधान करें, तो इन लोगों को भी राहत मिल सकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बिल को समर्थन देते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

(समाप्त)

श्री आर.सी. सिंह (पश्चिमी बंगाल): उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने आज 49 वर्षों के बाद इस बिल में परिवर्तन करने की जो पहल की है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। महोदय, आधी सदी के बाद कम से कम सरकार की नींद तो खुली है कि इस बिल

में थोड़ा संशोधन किया जाए, लेकिन नींद ऐसी खुली है कि जहां penalties देने की बात है, वे लोग जो rules को violate करते हैं, उनके लिए penalty के रूप में 2,000 रुपए या 10,000 रुपए की रकम रखी गई है, जो उनके लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे laws हैं, वे implement किए जा सकें।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां Tea Gardens में plantation होता है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा migrant labourers रहते हैं और उनके accommodation की कोई व्यवस्था नहीं होती है। न तो वहां पीने का पानी मिलता है, न ही वहां विद्युत की व्यवस्था होती है, न तो उनके बच्चों के लिए स्कूल होते हैं, न ही उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी होती है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस Act में इन सब चीजों का प्रावधान होना चाहिए - उनके health check-up का प्रावधान होना चाहिए और उनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए।

महोदय, कई माननीय मित्रों ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि जो chemicals हैं, जिनको untrained लोग काम में लाते हैं, उनको देखने के लिए वहां पर ऐसे supervisors होने चाहिए, जो trained हों और chemicals को handle करने के लिए उनके पास उपयुक्त जानकारी हो, तािक वे इन chemicals को ठीक तरह से handle कर सकें।

महोदय, यहां चिकित्सा की बात भी आई है। वहां पर हॉस्पिटल्स नहीं हैं, इसके कारण उन मज़दूरों का medical check-up नहीं होता है। इसलिए बागानों के नज़दीक ही ऐसे हॉस्पिटल्स की व्यवस्था होनी चाहिए, जहां पर उनका proper medical check-up हो सके और उनका treatment हो सके।

महोदय, मैं एक बात की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, विशेषकर पश्चिमी बंगाल में, जहां Tea Plantations हैं, वहां पर उनको weekly or monthly ration देने की व्यवस्था है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस महंगाई के दौर में भी उन लोगों को पिछले 60-70 हफ्तों से राशन नहीं दिया गया है। इसलिए उनको समय पर राशन दिया

जाए, इसको ensure करने के लिए कानून में आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पीने का पानी तक नहीं मिलता है। इसलिए वहां पीने के पानी की व्यवस्था को ensure किया जाए, इसकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां बहुत से plantations बंद कर दिए गए हैं और उन मज़दूरों के Provident Fund की 100 करोड़ रुपए से अधिक की रकम बकाया है। (2H/VNK पर क्रमशः)

2h/3.30/vnk-skc

(MR. DEPUTY CHAIRMAN IN THE CHAIR)

श्री आर.सी. सिंह(क्रमागत): चाय बागान के मालिक अपने-अपने बागानों को बंद करके मौज-मस्ती कर रहे हैं और हजारों वर्कर्स का 100 करोड़ से ज्यादा रुपया डूबा हुआ है, इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इन वर्कर्स का वह पैसा ठीक समय से मिल सके। डूअर्स और दार्जिलिंग में ऐसे 25-30 चाय बगान बंद हैं, जहां के मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। उनके पास न एपीएल कार्ड है और न ही बीपीएल कार्ड है। चूंकि उनके लिए राशनिंग की व्यवस्था थी, इसलिए उनको कहीं से राशन भी नहीं मिलता है। इसके कारण वे आज भूखमरी के कगार पर ही नहीं हैं, बल्कि वे भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, इसलिए इन वर्कर्स की ओर विशेष दिया जाना चाहिए।

सर, इनका जो minimum wages है, इसको डीए के साथ लिंक करना चाहिए। अगर महंगाई बढ़ती है, तो इन्हें कुछ राशन दिया जाता है, इससे सारे चीजों की भरपाई नहीं होती है, इसलिए इनके wages को डीए के साथ लिंक करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि वह कानून में इस बात को insure करने की कोशिश करें। इन्होंने कहा है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को काम पर allow नहीं किया जाएगा। इसके लिए मैं मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

सर, accident के केस में और incurable disease के केस में वहां के वर्कर्स को compensate किया जाए। इस तरह का प्रावधान इस एक्ट में लाना चाहिए। मैं आपके

माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वे इसके बारे में सोचें। अंत में, दोबारा मैं यह कहना चाहता हूँ कि उनके लिए प्रोपर मेडिकल चेक-अप की एक व्यवस्था होनी चाहिए, जो वहां पर नहीं है, जिसके चलते सैंकड़ों लोग बीमारियों से ग्रसित ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि बीमारियों से ग्रसित हो कर उनकी अकाल मृत्यु भी हो रही है। इसकी तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ कि वे इस ओर जरूर ध्यान दें। धन्यवाद।

(समाप्त)

SHRI KUMAR DEEPAK DAS (ASSAM): Sir, the Plantation Act, 1951 was enacted for the welfare of the labourers. This present Bill seeks to amend the Act. The Act has no provision for safety measures and precautions for the handling, utilization and storage of agro-chemicals. The Government has taken a welcome step by bringing in this Amendment Bill for the welfare of the labourers working in various tea, coffee and rubber gardens, etc. of the country.

Sir, it is known to everybody that Assam is the world's largest teaproducing State. We are also rich in rubber plantations. Since the British period, Assam has been engaged in tea plantation. The tea industry in Assam has now become almost a cottage industry. We have thousands of small tea growers. We need to pay special attention to the welfare and protection of the lakhs of labourers engaged in these tea and rubber gardens in our States.

Sir, I wish to congratulate the hon. Minister on the Plantation Labour (Amendment) Bill, 2008. I want to ask him whether his Ministry is satisfied with the welfare measures that have been extended so far to these labourers, who engage themselves and work for the prosperity and economic development of the country. I feel that it is not enough. There is exploitation. They do not get

proper wages. They are deprived of education and proper healthcare. There are no proper drinking water facilities in the gardens. Even the human rights are not respected. This Act would ensure them safety and protection. There are amenities for washing, bathing, etc.

(Contd. 2j/hk)

HK-MP/2j/3.35

SHRI KUMAR DEEPAK DAS (CONTD.): But, Sir, I want to know whether every garden is equipped with hospital and health unit. If there are hospitals and health units, are they equipped with doctors? I have the information that most of the gardens in Assam are not equipped with hospitals and doctors. Workers' healthcare is looked after by pharmacists and nurses. There should be a mandatory provision that every garden should be equipped with proper facilities of healthcare, hospitals and doctors. I, therefore, demand better implementation of this provision of Plantations Labour Act, 1951. I also demand the redressal of grievances raised by the labour community who are engaged in tea plantations in Assam. I wish the hon. Minister to visit our State and meet the tea garden community to redress their grievances relating to wages, bonus, etc. With these few words, I again thank you for giving me this opportunity. I welcome this Plantations Labour (Amendment) Bill, 2008.

श्री मंगल किसन (उड़ीसा) : डिप्टी चेयरमैन सर, The Plantations Labour(Amendment) Bill, 2008 का मैं समर्थन करता हूं। सर, यह बहुत अच्छा बिल है और यह पहले आना चाहिए था, लेकिन अब आया है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।

सर, भारत सरकार का major plantation Ministry of Forest and Environment में होता है। Tea plantations पर जितना खर्चा होता है, उससे हज़ार गुना ज्यादा, हर साल Ministry of Forest and Environment में खर्च होता है। वहां जो लेबर काम करते हैं, उनके लिए कोई protection नहीं है। वे लोग hire and fire में चले जाते हैं। इसीलिए पब्लिक सेक्टर या सरकारी सेक्टर में जो काम करते हैं, विभिन्न multinational companies भी massive way में plantation करती हैं। Ministry of Forest and Environment के तहत massive way में plantation किया जाता है। Ministry of Mines में भी जो प्राइवेट पार्टियां हैं, वे भी massive way में plantation करती हैं और त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में भी massive way में plantation होता है। इसलिए मैं आपसे एक ही दरख्वास्त करूंगा कि tea plantations में काम करने वाले मज़दूरों को कम से कम ESI benefit मिले और पब्लिक सेक्टर और multinational companies में जो plantation होता है, उन मज़दूरों के लिए भी कानून बनना चाहिए। साथ ही जो minimum wages दिए जाते हैं, ये बहुत कम हैं। उन लोगों को 1500-2000 रुपए महीने तक मिलता है, इसलिए इन plantation workers की तनख्वाह भी 6th Pay Commission के मुताबिक होनी चाहिए। आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। (समाप्त)

(2K/SC पर क्रमशः)

-mp/sc/3.40/2k

श्री श्रीगोपाल व्यास (छत्तीसगढ़) : धन्यवाद उपसभापित महोदय, वास्तव में माननीय मंत्री जी के कारण ही यहां पर दो मिनट बोलने के लिए मैंने समय मांगा था। अंग्रेजों के समय से जो श्रमिकों का शोषण चल रहा है, उसके बाद जागकर सरकार ने श्रमिकों की सुरक्षा, कंपनसेशन और बच्चों को काम पर जाने से रोकने के लिए कदम उठाए, उसका मैं स्वागत करता हूं। मेरा समय मांगने का कारण यह था कि आज अप्रैल के अंत में माननीय मंत्री जी ने "मई दिवस" की शुभकामनाएं दी हैं, इस पर मुझे बहुत आश्चर्य होता है। आप बाहर किसी

समारोह में "मई दिवस" के ऊपर बोलते हैं, वह अलग विषय है। आप इस देश के माननीय मंत्री हैं, इस देश में आप "विश्वकर्मा पुरस्कार" देते हैं, इस देश में सभी कारखानों में "विश्वकर्मा दिवस" पर पूजा की जाती है और आप "मई दिवस" की शूभकामनाएं देते हैं -मेरा "मई दिवस" पर विरोध नहीं है - "मई दिवस" का संबंध अमरीका की घटनाओं से है। जो लोग इसे मनाते हैं, उनसे मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन आप इस देश के मंत्री हैं। "मई दिवस" के बारे में जहां तक मुझे जानकारी है, उसे इस देश का "श्रम दिवस" घोषित नहीं किया गया है। ..(व्यवधान).. मेरा कुछ कहना नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, "मई दिवस" को "श्रम दिवस" के रूप में मानने की घोषणा नहीं हुई है। जो "मई दिवस" मनाते हैं, उनके साथ मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन इसका आरम्भ अमरीका की घटनाओं से हुआ, यह इस देश का नहीं है। उपसभापति जी, मैं अनेक स्थानों के कारखानों में गया हूं, पश्चिमी बंगाल में भी मुझे कई लोगों ने कहा है कि आप "विश्वकर्मा दिवस" पर छुट्टी घोषित क्यों नहीं कराते? भारत सरकार "विश्वकर्मा पुरस्कार" देती है। इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आप अपने बाहर के भाषण और अंदर के वक्तव्यों में कृपा करके इन सारी बातों को ध्यान में रखें। जो अच्छा काम आप श्रमिकों के लिए कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको जरूर बधाई देता हूं, लेकिन आप मंत्री हैं, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, इतनी ही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद।

(समाप्त)

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): माननीय उपसभापति जी, मैं आपका और पूरे सदन का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, विशेष तौर पर मैं श्री श्रीगोपाल व्यास जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यह कहा कि मई दिवस के विषय में यहां शुभकामना नहीं दी जानी चाहिए थी। ..(व्यवधान).. यदि यह उनके दल का अपना विश्वास है तो मैं नहीं कह सकता।

श्री श्रीगोपाल व्यास: मैंने दल की ओर से कुछ नहीं कहा।

श्री हरीश रावत: लेकिन यहां लाखों लोगों को रीप्रेज़ेंट करने वाले ऐसे मैंबर्स हैं, जिन लोगों ने इस दिशा में अपने जीवन के बहुमूल्य भाग को लगाने का काम किया है और इसीलिए मैंने सब लोगों की तरफ से, पूरे सदन की तरफ से जो कल "मई दिवस" है, उसके लिए बधाई देने का साहस किया। महोदय, यहां पर आठ सम्मानीय लोगों ने अपने विचार रखे। मैं अहलुवालिया जी को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं - वे यहां पर मौजूद नहीं है, उनके दल के माननीय सदस्य मौजूद हैं - मैं समझता हूं कि आज उन्होंने जो बातें यहां पर कहीं, उन्होंने काफी हद तक जो काम, जो दायित्व मेरा था कि एक्ट के अंदर जो हमने विभिन्न संशोधनों का provision रखा है, जिनको लेकर हम यहां पर आए हैं, उन्होंने उनकी चर्चा की और उनका समर्थन किया। सभी सदस्यों ने करीब एक मत से इन संशोधनों की आवश्यकता पर अपनी सहमति जताई। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि काफी विलम्ब हुआ। लेकिन जैसा तपन कुमार सेन जी ने कहा, यह विलम्ब कोई इरादतन नहीं था। लगातार प्रयास हुए हैं, मेरे पास इसका पूरा इतिहास है। 1985 से इस बात की कोशिश हुई कि इसमें संशोधन लाए जाएं, क्योंकि इस एक्ट का अलग-अलग स्वरूप है। सरकार की विभिन्न कमेटियों के माध्यम से, जिनमें सेक्रेटरीज़ की कमेटी भी है, इसका विवेचन किया गया। राज्यों से सुझाव आए, ट्रेड यूनियंस से सुझाव आए, लेकिन किसी चीज़ के कुछ संयोग होते हैं और आज शायद "मई दिवस" के पूर्व दिवस पर इस संशोधन विधेयक को इस सदन में आना होगा। पहले वे संशोधन, जो आवश्यक थे, नहीं हो पाए, 1989 में तो बिल भी यहां पर प्रस्तुत हुआ, लेकिन बाद में लोक सभा के dissolve होने के कारण वह विधेयक पारित नहीं हो सका।

(2एल-एमसीएम पर क्रमशः)

SC/MCM-GSP/2L/3-45

श्री हरीश रावत (क्रमागत): सर, समय को देखते हुए इसमें मैं दो बातों तक अपने उत्तर को सीमित करने का प्रयास करुंगा। एक तो जो हम विभिन्न संशोधन लाए हैं तथा दूसरे जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं, मैं उन पर भी कुछ चर्चा करना चाहूंगा। सर, जैसा यह

महसूस किया जाता था कि विशेष तौर पर एम्पलॉयर के विषय में एक्ट के अंदर जो परिभाषा थी, कानून के दरवाजे पर एम्पलॉयर उसका लाभ उठा लेते थे, इसीलिए हमने उसको व्यापक बनाया है। उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्टनर, लीजी और गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो भी प्लांटेशन के एडिमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े हुए हैं, उन सब को उत्तरदायित्व की सीमा के अंदर हम ला रहे हैं। दूसरे, जो परिवार की परिभाषा थी, उसमें मेल और फीमेल वर्कर्स के बीच में अंतर दिखाया गया था, उसको समाप्त करके चाहे मेल हों या फीमेल हों, उन पर यह एक्ट समान रूप से लागू होगा। जहां तक वेज सीलिंग को बढ़ाने का सवाल है, यह बड़ा कदम है और यकीनन कुछ शंकाएं जाहिर की गई हैं कि कहीं ऐसा न हो कि अभी तक तो बी0पी0एल0 की श्रेणी में थे और अब आई0पी0एल0 में आ जाएंगे तो कहीं बहुत सारी सुविधाओं से वंचित न हो जाएं। हमारा प्रयास रहेगा, हम राज्य सरकारों से बातचीत करेंगे कि जो प्लांटेशन वर्कर्स को दी जाने वाली सुविधाएं हैं वह उनके संदर्भ में देखी जानी चाहिए और उन सुविधाओं से जो उनको आज मिल रही हैं, वे उनसे वंचित न हों, बल्कि हम उनको कुछ नई सुविधाएं दे सकें, उनको देने का प्रयास करें। यहां श्री गोविंदराव जी ने कहा कि जो सीजनल वर्कर्स हैं यह उनको प्रोटेक्ट नहीं करता है, हमने उसी को देखते हुए इसमें, अगर एक साल में कोई 60 दिन भी कार्य कर रहा है तो उसको भी अब इस एक्ट के प्रोविजन का लाभ प्राप्त होगा, उसकी व्यवस्था हमने की है। जो शंका आपने जाहिर की है वह वास्तविक है और हमने प्रयास किया है कि उस शंका का निराकरण हो सके और जो कांट्रेक्ट वर्कर्स हैं उनको भी समान रूप से लाभ मिल सके। जो हमारा कांट्रेक्ट वर्कर्स रेग्यूलेशन एक्ट है, वह भेद नहीं करता है सुविधाओं के विषय में। अब वह राज्य सरकारों के ऊपर है कि वे उसको किस भावना के साथ लागू करने का प्रयास कर रही हैं। यहां पर एक बात की जो वास्तविक चिंता की थी और उसको हम बराबर महसूस भी कर रहे थे वह थी उम्र को लेकर। हमारा जो चाइल्ड लेबर (प्रोहिबिशन एंड रेग्यूलेशन) एक्ट साल की उम्र की बात करता है और इन बच्चों को हैजार्डस आक्यूपेशन में जहां केमिकल, पेस्टिसाइडस आदि का उपयोग होता है वहां यह उनके काम को प्रतिबंधित करता है और

कानूनन वह अपराध है। जबिक हमारे इस एक्ट के अंदर 12 साल का उल्लेख था, क्योंकि जब यह प्लांटेशन एक्ट इनएक्ट किया गया, क्योंकि हमारा चाइल्ड लेबर एक्ट बाद में संसद में पारित हुआ, उस समय राज्यों की सोशल इकॉनमी कंडीशन को देखते हुए 12 साल की उम्र का रखा गया था और इसीलिए हमको जैसे पहली आपर्च्युनिटी मिली है, उसको सुधारा है और उसको सुधारने का प्रयास किया है। इसमें मुख्य प्रयास है जिसका में विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहूंगा, जिसके विषय में हमने राज्यों से भी परामर्श किया और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सबसे भी बातचीत की, विभिन्न मंत्रालयों से भी बातचीत की और हमने एक नया चैप्टर इसमें जोड़ा है, उसमें हमने सब चिंताओं को, जो आक्यूपेशनल सेफ्टी से रिलेटिड हैं, जो हैल्थ से रिलेटिड हैं, दूसरे ऐसे सम्पर्क इश्यू से जुड़ी हुई हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश की है। अब यहां एक बड़ा सवाल हमारे माननीय सदस्यों ने खड़ा किया। उन्होंने कहा कि इसको मॉनिटर कैसे किया जाएगा, इसकी क्या एजेंसी है? इसीलिए हमने यह प्रोविजन किया है कि राज्य जिस समय रूल्स फ्रेम करें।

(2m/GS पर क्रमशः)

GS-SK/2M/3.50

श्री हरीश रावत (क्रमागत): इस समय इन बातों को ध्यान में रख सकें और मैं सभी माननीय सदस्यों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो शंका उन्होंने प्रकट की है, हमारे छ: ऐसे राज्य हैं जहां इनके प्लांटेशन्स हैं, उन छ: राज्यों को हम अपने मंत्रालय की ओर से माननीय सदस्यों की चिंताओं से अवगत कराएंगे।

उपसभापित महोदय, हम अपने मंत्रालय की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारा मंत्रालय राज्यों को रूल्स फ्रेम करते वक्त मदद करेगा, DG FASLI को हम इसके लिए इंस्ट्रक्शन्स देंगे कि वह संबंधित राज्यों के साथ सम्पर्क रखें, तािक जिस समय रूल्स फ्रेम किए जाएं, उस समय हम उन किमयों को दूर कर सकें, जिन किमयों का सम्मानित सदस्यों ने उल्लेख किया है। उन प्रॉविजन्स को लागू करते वक्त, उनको ध्यान में रखा जा सके, उनका समाधान ढूंढ़ा जा सके, क्योंकि आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि

प्लांटेशन बहुत फैला हुआ सेक्टर है और इसमें हमारे यहां से हैल्थ स्कीम या एक्ट के अंतर्गत जो प्रॉविजन्स हैं, वे उनको मिलने चाहिए। इनको मॉनिटर करना, इनको कंट्रोल करना कठिन है। यह काम राज्यों के लिए सरल है। हमारा जो यह एक्ट है, इसको लागू करने का दायित्व राज्य सरकारों के ऊपर है। इस एक्ट की भावना के साथ किसी तरह का विरोधाभास नहीं हो, इसीलिए हमने इस बात को रखा है और इसीलिए हमने कहा है कि जो राज्य सरकारें हैं, वे ही इसके लिए रूल्स फ्रेम करने का काम करेंगी, ताकि इसका इफेक्टिव रूप से इम्पलीमेंटेशन हो सके।

सर, जहां तक मेडिकल फेसेलिटीज़ का संबंध हैं, इस बात को हम और सभी माननीय सदस्य जानते हैं, जो शहरी क्षेत्र है, वहां पर तो कुछ मेडिकल सुविधाएं हैं, लेकिन जो दूर-दराज के क्षेत्र हैं, वहां पर मेडिकल सुविधाएं बहुत चिंतनीय स्तर पर हैं और प्लांटेशन्स में भी इसका अपवाद नहीं है। इस बात को हमने रियलाइज किया है और इसीलिए कानून के अंतर्गत दायित्व बनाया गया है कि जो एम्पलायर है, वह उन सुविधाओं को देगा और जो इंस्पेक्टर्स हैं, उनको मॉनिटर करने का दायित्व दिया गया है। राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे इस बात को देखें कि उनको वहां पर मेडिकल सुविधाएं मिलें, अगर उनको मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो जो डिफाल्टर एम्पलायर हैं, उनसे उनको पूरा करवाया जा सके, उनसे उसका चार्ज लिया जा सके।

जो हमारा कम्पनसंसन एक्ट है, वह प्रभावी तरीके से लागू हो सके, उसके लिए भी 32 (सी) के जिए से उपाय किए गए हैं। हमने यह कहा है कि जहां वायलेशन होगा, उस वायलेशन के मामले में रिपोर्ट करने के लिए अभी तक केवल जो aggrieved party थी, वह एम्पलाई माना जाता था, हमने कहा है कि अब ऐसा नहीं, यदि ट्रेड यूनियन का सदस्य भी उसके बारे में कम्पलेंट करता है, तो उसको भी उसी रूप में लिया जाएगा और उनको immunity दी जाएगी इस बात के लिए कि उनके खिलाफ कोई इस तरह का एक्शन नहीं लिया जा सके, जो उनकी सर्विसेज़ को प्रभावित करने का काम कर सकता है।

सर, यहां पर सभी सदस्यों ने गार्डन हॉस्पिटल का उल्लेख किया है और उन्होंने इस तरह की व्यवस्था को और स्ट्रेंथन करने की बात कही है। हम इस विषय में राज्य सरकारों से बातचीत करेंगे और साथ ही कामर्स मंत्रालय से भी बातचीत करेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री भुवनेश्वर कालिता : सर, हम आपकी बात से संतुष्ट हैं।

श्री हरीश रावत: आप संतुष्ट हैं, तो मैं आपका इशारा समझकर कन्क्लूड कर देता हूं। ...(व्यवधान)... माननीय उपसभापति जी, मैं इस विषय में माननीय सदन के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि हमने इस बात को वाणिज्य मंत्रालय के सामने उठाया है।

(2एन/एएससी पर जारी)

-SK/YSR-ASC/2N/3.55

श्री हरीश रावत (क्रमागत): मैंने वाणिज्य मंत्रालय से यह आग्रह किया है कि मेडिकल की सुविधाओं को री-चेक करने के विषय में कोई न कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। मैं सौभाग्यशाली हूं कि माननीय वाणिज्य मंत्री जी ने इस विषय में हमारे माननीय सदस्यों की चिंता को पूरे तरीके से सुना है। हम इस विषय में लगातार उनके सम्पर्क में हैं। यहां पर एक बात यह भी कही गई है कि सोशल सिक्युरिटी को व्यापक संदर्भ में किस तरीके से प्लांटेशन वर्कर्ज़ पर लागू किया जा सकता है। सौभाग्य से यह जो पांच-सात साल का अवसर है, पैरा ऑफ सोशल सिक्युरिटी में बहुत सारे प्रोविजन्स लेकर भारत सरकार आई है। मैं इसके लिए इस सदन के माननीय सदस्य पूर्व श्रम मंत्री श्री ऑस्कर फर्नांडिस साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जो हमारा नेशनल सोशल सिक्युरिटी एक्ट है, इसके तहत माननीय वित्त मंत्री जी ने एक हजार रुपए का नेशनल सोशल सिक्युरिटी फंड निर्धारित किया है। जो प्लांटेशन वर्कर्ज़ हैं, उनके लिए सोशल सिक्युरिटी की स्कीम बन सके, इसके लिए हम वाणिज्य मंत्रालय के सम्पर्क में पहले से ही हैं। वाणिज्य मंत्रालय इस विषय में हमारे विचार से सहमत है। हमने अपने स्तर पर नेशनल सोशल सिक्युरिटी बोर्ड के सामने इस बात को रखा था कि अपने प्लांटेशन वर्कर्ज़ को किस तरीके से सोशल

सिक्युरिटी स्कीम के अंतर्गत कवर कर सकते हैं। हम उसके विभिन्न पक्षों को देख रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, RSBY प्लांटेशन वर्कर्ज पर लागू की जा सके, उसको एक्सटेंड किया जा सके, हमने इसके लिए यह निर्णय लिया है। हम इस विषय में राज्य सरकारों से बातचीत करेंगे।

महोदय, मैं तो यह चाहता था कि मैं और माननीय सदस्यों के और बिन्दुओं का भी जवाब देता, मैंने सदन की भावना को देखते हुए मौटे तौर पर उन सभी पहलुओं को कवर करने की कोशिश की है, जो माननीय सदस्यों ने यहां पर उठाए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो सबसे गरीब लोग हैं, पीड़ित हैं और जो मोस्टली माइग्रेंट वर्कर्ज़ हैं, उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी हिफाजत कैसे की जाए। हमने माइग्रेंट वर्कर्ज़ के विषय में एक वर्किंग ग्रुप कांस्टिट्यूट किया था और उसमें बहुत सारे सुझाव दिए हैं। हम उनको भी अमल में लाने के लिए कदम उठा रहे हैं। यहां पर माननीय सदस्यों ने जो मिनिमम वेजेज़ की बात कही है, हमने मिनिमम वेजेज़ एक्ट में मिनिमम वेजेज़ के नेशनल फ्लो लेवल को बढ़ाने का काम किया है। अब हम यह भी सोच रहे हैं कि उसके प्रोविजन्स को किस तरीके से स्टेटुचरी बनाया जा सके, इसके लिए हम डिफ्रेंट स्टेक होल्डर्स से बातचीत कर रहे हैं, कंसलटेशन कर रहे हैं। इस बात की हर संभव कोशश की जा रही है कि इस सेग्मेंट को जो गरीब है, जो पस्त-मंदा है, हम उन तक पहुंच सके, सरकार पहुंच सके तथा पूरा देश उनके साथ खड़ा रह सके। इसी प्रयास की कड़ी के रूप में मैं इस संशोधन विधेयक को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

That the Bill further to amend the Plantations Labour Act, 1951, be taken into consideration.

The motion was adopted

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2-16 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Clause I. There is one amendment (No. 2) by the hon. Minister.

Clause 1 - Short title and commencement

SHRI HARISH RAWAT: Sir, I move:

2. That at page 1, line 3, *for* the figure "2008", the figure "2010" be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up the Enacting Formula. There is one amendment (No. 1) by the hon. Minister.

Enacting Formula

SHRI HARISH RAWAT: Sir, I move:

1. That at page 1, line 1, *for* the word "Fifty-ninth", the word "Sixty-first" be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI HARISH RAWAT: Sir, I move:

That the Bill, as amended, be passed.

The question was put and the motion was adopted.

(Ends)

(Followed by VKK/20)

-YSR/VKK-LP/20/4.00

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

श्री बुजभूषण तिवारी (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय के काम काज की चर्चा कर रहे हैं। यह जो कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय है, इसके जिम्मे सबसे ज्यादा काम वितरण का है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए, हमारे जो लक्षित लाभार्थी हैं, उन तक अनाज का वितरण कर अनाज पहुंचाना है। चीनी का, आयात-निर्यात का तथा अन्य सारे महत्वपूर्ण विषय इस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। आज देश में सबसे ज्यादा चर्चा महंगाई की है। महंगाई का जो कंपोनेन्ट है, वह अनाज का है, खाद्य का है। पहले यह इनफ्लशेन 17 दशमलव कुछ प्रतिशत था, आज 16.61 प्रतिशत के करीब आ गया है। इसमें एक प्रतिशत की कमी आई है। यह कमी इसलिए आई है, क्योंकि बाजार में अनाज आ रहा है, जिसको देखते हुए भी इसका दाम घटा है, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दो वर्षों से महंगाई कम नहीं हो पा रही है और वह भी विशेष तौर पर उन चीजों पर जो अनाज की हैं और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं। आबादी के बढ़ते हुए अनुपात को देखते हुए अनाज का उत्पादन घट रहा है। उत्पादन क्यों घट रहा है? डॉ. स्वामीनाथन ने ठीक ही कहा कि हम केवल उत्पादन के बढ़ाने की चिंता तो करते हैं, पंरतु जो किसान उपज पैदा करता है, उसको जो लाभकारी मूल्य है, वह लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है। अगर लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, तो उसकी खेती में दिलचस्पी क्यों होगी। लाभकारी मूल्य के लिए सरकार जो कहती है, महंगाई का जो कारण बताती है, उसमें शायद एक कारण यह है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसको बढ़ा देती है, परंतु यदि जमीनी हकीकत देखी जाए, तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वह किसानों को नहीं मिल पाता है। जो बिचौलिए या बड़े-बड़े ट्रेडर्स हैं, वे उसका हिस्सा ले लेते हैं। मैं और तो नहीं जानता हूं, मगर हमारे पास बिहार और उत्तर प्रदेश की जो सूचनाएं हैं, और मैं समझता हूं कि पंजाब और हरियाणा को छोड़कर यही स्थिति और भी सूबों में होगी, क्योंकि वहां पर अभी तक जो क्रय केंद्र हैं, वे क्रय केंद्र खुले ही नहीं हैं। वहां पर केवल बोर्ड लग गया है या कपड़े का बैनर लगा दिया गया है, मगर उनकी खरीदारी नहीं हो रही है। आपने ग्यारह सौ रुपया दाम तय कर दिया कि किसान को मिलेगा, लेकिन उस बेचारे को आठ सौ, साढ़े आठ सौ या नौ सौ रुपये

में, औने-पौने दाम में अपना अनाज बेच देना पड़ता है। यह बड़ी ही भयावह स्थिति है। आप जानते हैं और हम भी समझते हैं कि हमारे देश में, काफी बड़ी संख्या, लगभग साठ प्रतिशत से ऊपर होगी, मझोले और सीमांत किसानों की है। जो मझोले और सीमांत किसान हैं, वे ही सबसे ज्यादा अनाज पैदा करते हैं।

(AKG/2P पर आगे)

AKG-RSS/2P/4.05

श्री बृजभूषण तिवारी (क्रमागत): वे पैदा करने वाले भी हैं और उपभोक्ता भी हैं। उनकी यह स्थिति नहीं है कि वे अपने अनाज को रोक पाएँ। दूसरे जो बड़े लोग हैं, वे रोक सकते हैं। उनको तो बाजार में बेचना है। एक तो यह है कि जो खरीदारी है, चाहे वह central pool का हो, चाहे राज्यों का हो, चाहे विकेन्द्रित खरीद की व्यवस्था हो, हम जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते हैं, उसका यही मतलब है कि बाजार में कीमत कम-से-कम इससे गिरनी नहीं चाहिए, इसकी गारंटी हो। स्थिति यह है कि यही अधिकतम मूल्य बन जाता है। इसलिए जो न्यूनतम मूल्य है, वही किसान को नहीं मिल पाता। मैं समझता हूँ कि यह बहुत बड़ा कारण है और सरकार, विशेषकर मंत्री जी को और इस विभाग को इस पर बहुत ही अंकुश लगाने की जरूरत है और इसका कोई रास्ता निकालने की जरूरत है।

दूसरी बात यह है, आप जानते हैं कि खेती की स्थिति कितनी चिन्ताजनक है। उस चिन्ताजनक स्थिति पर अभी एक expert ने भी कहा है कि यह जो खाद्य सुरक्षा की समस्या है, वह अगले दशक में बहुत ज्यादा गम्भीर होगी, इसलिए हमको इस पर विशेष ध्यान देना है। यह हमारा सबसे neglected sector है। हम दूसरे सेक्टर्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन कृषि पर ध्यान नहीं देते हैं। हम कृषि पर ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए वह हमारी सारी दिक्कत का, सारी मुसीबत का कारण है।

अब दूसरी बात यह है कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) है, उस PDS की क्या स्थिति है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने वाधवा साहब की अध्यक्षता में एक Central Vigilance Committee गठित की। उसने अपनी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी। वह

अखबारों में छपी है। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में PDS का यह जो पूरा ढाँचा है, उसके लिए 'rotten and cancerous', इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। यह जर्जर है। उसने कहा है कि ऊपर से नीचे तक यह भ्रष्टाचार में इतना लिपटा हुआ है कि जिसके लिए यह सबसे ज्यादा जरूरी है, जो गरीब है, जो BPL का है, APL का है, उसको अनाज मिल ही नहीं पाता। अपनी रिपोर्ट में उसने कहा है, "Corruption is all pervasive in the entire chain involved in the PDS. Most of the functionaries under them in the Department are typically callous and resort to corrupt practices. The Central Government gives a whopping amount of Rs. 28,000 crores annually to the States to subsidize food for the poor, but till the recommendations of the Committee are put in place, the poor will go on suffering at the hands of corrupt officials." यह वाधवा कमेटी की रिपोर्ट का निष्कर्ष है। अब स्वाभाविक है कि इस वितरण प्रणाली को आप कैसे दुरुस्त करेंगे? तमाम प्रकार के suggestions आ रहे हैं - कूपन हो या और कुछ हो। मैं समझता हूँ कि जब तक आप इस PDS को, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तक यह जो सारी मुसीबत है, यह जो सारी दिक्कत है, इसका कोई निदान निकल नहीं सकता, क्योंकि आज जो बाजारवादी अर्थव्यवस्था है, वह इतनी निरंकुश, निर्भीक और निडर हो गई है कि उस पर आपका भी अंकुश नहीं है। यह जो बाजार की शक्तियाँ हैं, वे सरकार से भी डरती नहीं हैं। यह बाजार किसका होता है? यह गरीब का नहीं होता है, यह उसका होता है, जो ताकतवर होता है। उस ताकतवर के मुकाबले अगर गरीब की रक्षा करनी है, तो हमें किसी-न-किसी प्रकार से कोई ऐसा प्रावधान, कोई ऐसा mechanism, ऐसी व्यवस्था करनी होगी, ताकि जो लक्षित गरीब है, जो targeted sector है, उसको उचित दामों पर जो आवश्यक वस्तुएँ हैं, Essential Commodities Act के तहत हम उपलब्ध करा सकें।

(२क्यू/एससीएच पर जारी)

SCH-MKS/4.10/2Q

श्री बृजभूषण तिवारी (क्रमागत): अब आपके विभाग में एक Price Monitoring Cell है, जिसका काम बाजार पर नजर रखना है। इसके जिम्मे यह काम है कि अगर उसे यह आभास होता है कि बाजार में जो ट्रेंड है, वह बढ़त की तरफ है, तो वह उन चीजों के दाम बढ़ने से पहले ही उसकी रोक के लिए कोई आवश्यक कदम उठाता है। परन्तु आपका यह जो Price Monitoring Cell है, यह काम ही नहीं करता है। यह बैठा हुआ है। विभाग की जो स्टेंडिंग कमेटी है, उसने इसके बारे में बहुत ही सख्त टिप्पणी की है कि अगर आपने Price Monitoring Cell बनाया है, जिसके जिम्मे यही काम है, उसके रहते हुए भी आपके दाम अचानक बढ़ जाते हैं और बाजार पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है।

दूसरा, आपने एक High-powered Monitoring Board बनाया। इसी High-powered Monitoring Board के अंडर यह Price Monitoring Cell आता है। स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले दो वर्षों से इसकी कोई मीटिंग ही नहीं हुई है, जबिक इसकी मीटिंग नियमित होनी चाहिए क्योंकि यह बहुत ही High-powered Board है। इस तरह आपने ढांचा तो बना दिया, मगर उस ढांचे में कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, वह केवल बना हुआ है। इन सारे संगठनों के होने के बावजूद भी दाम पर आपका कोई नियन्त्रण नहीं है। आप सदन में और सदन के बाहर केवल तमाम प्रकार की नीतियों की घोषणाएं करते रहते हैं।

दूसरी बात यह है कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसके अन्दर भ्रष्टाचार है। आपका अनाज गोदामों में पहुंचने के बजाय, चोर-बाजारों या सेठों के पास पहुंच जाता है। उसके लिए भी सुझाव आया है कि आप किसी ऐसी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करें, तािक इस प्रकार से फूड ग्रेन्स का जो डायवर्जन है, उसे रोका जा सके। एक सुझाव और है कि आपको एक Quality Rating Improvement System शुरू करना चािहए। Non-formal सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आवश्यक वस्तुए कंट्रोल्ड दामों पर लोगों को उपलब्ध कराई जा सकें, इसकी व्यवस्था हो।

एक चीज़ और है - वायदा करोबार। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही सब कारक हैं, जो हमारी महंगाई को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। वायदा कारोबार के सारे दुष्प्रभावों को देखने के बावजूद भी यह सरकार उस पर किसी भी प्रकार का अंकुश लगाने की आवश्यकता महसूस नहीं करती। हमारे जो माननीय कृषि राज्य मंत्री जी है, प्रो. थॉमस जी, उन्होंने एक बार कहा, "Government is not in favour of imposing any ban on future trading of any commodity." यानी आप करना ही नहीं चाहते। आप केवल बैंकों के मौद्रिक कानूनों पर अंकुश लगाएं, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। जिस तरीके से वायदा करोबार अपने देश में बढ़ रहा है, वह बहुत चिन्ताजनक बात है। बैठे-बैठे, बिना सामान खरीदे, केवल कंप्यूटर के जिए खरबों रुपये की खरीदारी की जा रही है, तो फिर यह कैसे दूर होगा?

(2R-PSV पर जारी)

PSV-TMV/2R/4.15

श्री बृजभूषण तिवारी (क्रमागत): आप आँकड़े से कहते हैं कि हमने बहुत ज्यादा खरीद लिया। इसमें यह भी एक बड़ी विचित्र बात है कि अनाज का जो प्रोक्योरमेंट है वह प्रोक्योरमेंट तो आपके आँकड़ों के हिसाब से बढ़ जाता है, परन्तु FCI के अन्दर जो आपके गोदाम हैं जिनमें आपके अनाज इस तरीके से रखे जाते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे अनाज सड़ जाते हैं। इसी सदन में एक माननीय सदस्य ने उस सड़े हुए अनाज का एक नमूना लाकर पेश किया था। अब तो उसको जानवर भी नहीं खा सकता। अभी समाचारपत्रों में छपा कि पंजाब और हरियाणा के गोदामों में पिछले सालों का अनाज, जैसे गेहूँ और दूसरे जींस पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं और उनको रखने की जगह ही नहीं है। अब जब नई फसल आएगी तो उनको कहाँ रखा जाएगा? आज FCI की क्या स्थिति है? उसकी स्थिति यह है कि इसके establishment का खर्चा लगातार बढता जा रहा है और इसके साथ ही वहाँ बदइंतजामी अलग से है। इसके साथ ही हम जो फूड सब्सिडी देते हैं, खाद्य पर हम जो अनुदान देते हैं, उसका किसानों को कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हम जो खाद्य अनुदान देते हैं तो उसमें FCI के establishment का खर्चा भी शामिल है। जो टारगेटेड वर्ग हैं, उनको जो सस्ते दाम पर हम अनाज मुहैया कराते हैं, उसके फर्क को भी उसमें शामिल कर लिया जाता है। इस तरह सबसे बडी बात यह है कि यह जो आपका FCI है, उसमें एक तो rationalisation होना चाहिए, वहाँ के प्रबंधन को चुस्त-दुरुस्त करना चाहिए और साथ ही वहाँ के mismanagement के कारण जो हमारे अनाज सडते हैं जिससे हमारा अरबों-खरबों रुपए का नुकसान होता है उसको भी रोकने का हमें इंतजाम करना चाहिए। अब आप देखें कि अनाज रखने के लिए हमारे पास पर्याप्त गोदाम नहीं हैं और बहुत सा अनाज हम बाहर खुले में रखते हैं। 2008-2009 में उनकी खुद की owned capacity 77 परसेंट थी और वहाँ किराये पर अनाज रखने के लिए जो जगह ली गई, वह 89 परसेंट थी। उसी प्रकार से जो ओपन क्षेत्र है, उसमें भी जो owned capacity 13 प्रतिशत है और hired capacity 53 प्रतिशत है। इस तरह हम rent में भी पैसे देते हैं। इस प्रकार FCI का जो पूरा प्रबंधन है या

पूरा इंतजाम है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है और उसमें सुधार करने की आवश्यकता है वरना आपका सारा अनाज रह जाएगा ...(समय की घंटी)... वही हालत ware housing की है। उसकी भी यही स्थिति है। वह भी घाटे में चल रही है। सरकार की ओर से उसको जो लगातार अनुदान मिलता है उसमें से बहुत सा पैसा वह खर्च भी नहीं कर पाती है। उनकी भी cost आती है। इस प्रकार जब तक हम अनाज के प्रबंधन का ठीक इंतजाम नहीं करते तब तक हमारा कोई मामला ठीक नहीं हो सकता।

दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह चीनी की है, शुगर की है। मैं समझता हूँ कि शुगर का संकट भी सरकार की नीतियों का ही नतीजा है, क्योंकि 2006 से लेकर 2007 और 2007 से लेकर 2008 के दरम्यान हमारा उत्पादन बढ़ा, मगर 2008 के बाद से हमारा चीनी का उत्पादन या गन्ने का उत्पादन लगातार कम होता गया। उसके कम होने से कोई कारण हैं। सरकार तो यह मानती है कि यह एक चक्र है और इसमें उतार-चढ़ाव होता रहता है, मगर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। यह उतार-चढ़ाव होता रहता है, यह एक प्राकृतिक बात जरूर है...।

(2एस/डी0एस0 पर क्रमशः)

-PSV/DS-VK/4.20/2S

श्री बृजभूषण तिवारी (क्रमागत): परन्तु इसमें सरकार की नीतियाँ भी जिम्मेदार हैं। हमने जब 2008-2009 में गन्ने का दाम तय किया तो वह हमने पुराने दर के आधार पर किया। अगर किसान को गन्ने का लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तो वह गन्ने का उत्पादन क्यों करेगा? लिहाजा उसने गन्ने का उत्पादन बंद कर दिया, परन्तु इससे गन्ने के किसान को कोई फायदा नहीं हुआ। इसी दरम्यान जो चीनी मिल-मालिक हैं, मेरी सूचना के आधार पर, पिछले बीसों साल से उन्होंने जितना मुनाफा नहीं कमाया, उन्होंने उतना मुनाफा इस बीच में कमा लिया। क्योंकि तब यह हुआ कि चीनी का स्टॉक हमारे पास ज्यादा था और विश्व के बाजार में चीनी का दाम ऊँचा था तो हमने उसके export की इज़ाजत दे दी। हमने export के लिए तमाम प्रकार की सुविधाएँ दीं और टैक्स में भी छूट दे दी। (समय की घंटी)

श्री उपसभापतिः तिवारी जी, अब आप खत्म कीजिए।

श्री बृजभूषण तिवारी: सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हम यह करते हैं कि जब विश्व बाजार में दाम ज्यादा हों, तब हम आयात करें और जब यह हमारे यहाँ कम हो, तब हम निर्यात करें, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आयात-निर्यात की यह नीति गलत है। इस नीति के तहत उसका जो फायदा मिल-मालिक उठा रहे हैं तो इस sugar policy पर भी सरकार को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। चीनी का जो उत्पादन है, अगर वह नहीं बढ़ेगा तो हम कैसे सबको चीनी उपलब्ध करा पाएंगे?

जहाँ तक oil seeds की बात है, oil seeds का उत्पादन भी निरंतर घट रहा है। हम केवल बाहर से आयात करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी जो खाद्य-नीति है, वह केवल आयात पर ही आधारित है। अगर हमको स्वाबलम्बन करना है तो हम जो पैदा करें, उसका ठीक से वितरण हो, उसका ठीक से प्रबंधन हो, तभी हम सारी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि चूंकि यह जो कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। इसका काम बहुत बड़ा है। मैं मानता हूँ कि इस विभाग में पहले पाँच-पाँच मंत्री होते थे, लेकिन अब इन सारे कामों को मंत्री जी को अकेले देखना पड़ता है। इस प्रकार, उनके ऊपर बोझ बहुत बढ़ गया है। यह ऐसा मामला है जो जनता से जुड़ा हुआ है, गरीब से जुड़ा हुआ है और किसान से भी जुड़ा हुआ है। अगर यह इतना महत्वपूर्ण मामला है तो इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि किसानों को, चाहे वे गन्ना किसान हों या अन्न पैदा करने वाले किसान हों, अगर उनको लाभकारी मूल्य नहीं मिलता, अगर सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पाने के लिए क्रय-केन्द्रों की व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं होती तो मैं यह मानता हूँ कि खेती में किसी भी प्रकार से कोई सुधार नहीं हो सकता। अगर खेती में सुधार नहीं होगा, खेती का उत्पादन नहीं बढ़ेगा और अगर उसके उत्पादक को उचित दाम और लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि

आपकी सारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी और देश एक बहुत बड़े संकट से जूझेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

SHRI RAJEEV SHUKLA (MAHARASHTRA): Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you for allowing me to participate in a debate which deals with a subject of vital importance. Sir, consumer interest is paramount for each and every political party irrespective of which Government is in power. We all want to protect consumers. This Government is also taking a lot of steps to protect the interests of consumers, though there are certain impediments, there are certain compulsions before the Government. The 20 per cent shortfall in rains, global recession and the Minimum Support Price are the issues which cannot be ignored. Whenever the Government is criticized or whenever we talk about price rise, people forget that these three factors are also very important.

(Contd. By 2T)

RG/4.25/2T

SHRI RAJEEV SHUKLA (contd.): As regards the Minimum Support Price, Shri Brij Bhushan Tiwari was saying that whatever the Central Government was giving was not percolating down to the farmers in different parts of the country. Whose mistake is this? Is this the responsibility of the Central Government? The Central Government makes allocations; they provide the money. An allocation of Rs.28,000 crores was made for this purpose. If that is not percolating down, it means that the local administration and the State Governments should take the onus for that. This money must go to the farmers. If the Purchasing Centres are not being created, if the Procurement Centres are

not being created, or, they are not functioning properly, whose responsibility is that? The Central Government cannot directly go and open the Purchase Centres. They cannot directly give the money to the farmers. It is the responsibility of the local administration to take care of these issues.

Secondly, the Government has taken several steps in order to help the consumers, the poor people and the farmers. For instance, rice is being provided for the BPL families at Rs.5.65 per kg, and for AAY, it is provided at Rs.3 per kg. The price of wheat is Rs.4.15 per kg. for BPL and it is Rs.2 per kg. for AAY. There is 66 per cent rise in the MSP in case of rice and 42 per cent rise in case of cotton. This kind of catapult has been provided to uplift the economy of the poor people and the farmers. But the benefit has to go down to these people. Sir, the Government of India has taken a lot of steps in order to help the farmers and the consumers of this country. When this price rise issue came up, the Government reduced the import duty to zero for rice, wheat, pulses, edible oils, maize, butter and ghee. They also reduced the import duty on refined and hydrogenated oils and vegetable oils to 7.5 per cent. The Government allowed import of raw sugar by sugar mills at zero duty under OGL up to July, 2009 and extended this up to 31st December, 2010. Further more, import of raw sugar has been opened to private trade up to 31st December. The Government has also allowed import of white refined sugar by STC, MMTC, PEC and NAFED up to 1 million tonnes. The Government has withdrawn the export incentives on milk and milk products so that proper availability can be ensured and milk is available in abundance in the country. The Government has also withdrawn 5 per cent benefit under VKGUY for the export of oil cake/meal.

The Government reduced the customs duty on Anhydrous Milk Fat (AMF) to 30 per cent, as in the case of butter and butter oil. The Government has permitted import of 10,000 MT of Skimmed Milk Powder under TRQ for 2009-10. Therefore, the Government is taking all steps to ensure the availability of all goods and commodities to the people of this country.

Sir, I would like to give some suggestions to the hon. Minister. When Shri Subodh Kant Sahay was speaking the other day in the House, he gave a suggestion that in order to help the farmers, there should be corporate farming. Now, the agricultural sector should come forward and they should provide some help to the farmers because in villages, the farmers have got very small holdings, and day by day, their holdings are getting fragmented...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Is this your party's position?

SHRI RAJEEV SHUKLA: I am mentioning what Shri Subodh Kant Sahay said the other day. Now, if they can take their produce to the market, then, they can get remunerative prices. So far, what has been happening is that these middlemen are fleecing them by paying a low price, then, bring it to the cities and towns and sell them at 20 or 30 per cent prices more.

(Continued by 2U)

2u/4.30/vnk-ks

SHRI RAJEEV SHUKLA (contd.): So, I think this can only be reduced if some kind of a channel is created by the corporate sector. This is what he has advised. I think some thought must be given to the suggestion because, in China also, a lot many private companies are providing adequate money,

adequate resources and so on to all the farmers and the farmers are getting a higher value for their produce. Brindaji, don't laugh at this...

श्रीमती वृंदा कारतः मैंने तो सोचा कि आप तो केवल IPL के एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप तो corporate affairs के भी एक्सपर्ट हैं। यह कैसे हो सकता था। ...(व्यवधान)..

SHRI RAJEEV SHUKLA: I am an expert on everything. I am an expert on BPL also.

Then, Sir, Consumer Courts must be strengthened. So far, the role of Consumer Courts has been limited to certain areas. People are not aware of them. They do not know where to go to redress their grievances. There should be adequate public awareness about Consumer Courts. Publicity campaigns should be launched about how to approach a Consumer Court, what kind of cases they handle and complaints about what kind of grievances can be made to Consumer Courts. If we make Consumer Courts more effective, it would help the consumers.

(THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR) IN THE CHAIR)

Thirdly, Sir, whenever the Government reduces the customs duty or Excise duty on any product, the benefit is never passed on to the consumer. Once prices rise, they are never brought down. Prices may remain stable but they never bring them down. So, the benefit of reduction in Excise duty, customs duty, Sales Tax or VAT must be transferred to the consumer, the common man. Some kind of mechanism must be ensured for that.

Fourthly, cold chain must be created. I still remember, when Mr. N. K. Singh was Secretary to the Prime Minister, he had given this concept, that cold chain should be created. When he was the Revenue Secretary, even at that time he had given this innovative idea that there should be a cold chain throughout the country. I don't think much progress has been made on this concept. Preservation of food and various other such things is very important. Otherwise, foodgrains, vegetables, fruits worth thousands of crores perish and get wasted. So, cold chains must be created on a much larger scale.

As far as public distribution system is concerned, this system is purely in the hands of the State Governments. The State Governments should ensure that ration shops or Fair Price Shops function well and adequate supply is made for the consumer. There is a lot of black marketing indulged in by these Fair Price Shops. Provisions of the Essential Commodities Act, which is known as the '3/7' in most parts of the country, is not properly implemented by many district administrations. I think the State Governments must step in. They should ensure that the provisions of the Essential Commodities Act are

implemented and that the Fair Price Shops run well so that farmers and consumers are benefited.

With these suggestions, I conclude my speech, Sir.

(Ends)

श्री शान्ता कुमार(हिमाचल प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, यह विभाग बड़ा महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी आज इस देश में 26-27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं और लगभग 12-15 करोड़ लोग भूख और कंगाली के कगार पर रहते हैं। यदि यह कहा जाए कि यह विभाग भारत के करोड़ों गरीबों की जीवन रेखा है, Life line है, तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगी। सबसे गरीब लोग जो हैं, यह विभाग उनकी दो वक्त की रोटी की गारंटी है, इसलिए इस विभाग का काम बहुत महत्वपूर्ण है। अख़बारों में कई बार कुछ समाचार आते हैं, तो बहुत परेशानी होती है। आज कल हिन्दुस्तान टाइम्स "Tracking Hunger" के नाम से देश के गांवों के कुछ समाचार दे रहा है।

(2w/MP पर क्रमशः)

MP-TDB/2W/4.35

श्री शान्ता कुमार (क्रमागत) : इलाहाबाद के नज़दीक कितने गांवों का समाचार देते हुए अखबार ने लिखा है कि वहां गरीब बच्चे सलेटी-पत्थर का चूरा खाकर गुज़ारा कर रहे हैं। एक और जगह के बारे में लिखा कि वहां लोग महुआ फूल को सुखाकर, उसको पानी में उबालकर, थोड़ा आटा-चावल मिलाकर गुज़ारा कर रहे हैं। इस प्रकार के बहुत से समाचार कई बार अखबारों में आते हैं और पढ़कर परेशानी तब होती है, जब हमारे सामने ये आंकड़े आते हैं कि आज हमारे देश के भंडारों में लगभग 474 लाख टन अनाज पड़ा है, जबिक बफर स्टॉक के norms केवल 200 लाख टन हैं। बफर स्टॉक से दोगुना अनाज हमारे भंडारों में है और उसके बाद भी देश के गांवों से इस प्रकार के समाचार बहुत वेदना पैदा करते हैं। अभी-अभी UNICEF की रिपोर्ट आई है और इसमें कहा गया है कि भारत में 43 प्रतिशत बच्चे

कुपोषित हैं, जबिक बंगलादेश में 41 प्रतिशत, पाकिस्तान में 31 प्रतिशत और श्रीलंका में 23 प्रतिशत हैं। कुपोषक बच्चों की तादाद भारत में श्रीलंका, पाकिस्तान और बंगलादेश से भी अधिक है। फिर जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि कई बार इस देश के अंदर इतना अधिक अनाज खराब होता है और स्वयं माननीय मंत्री जी ने कहीं कहा था कि लगभग 2 लाख मेट्रिक टन अनाज हर वर्ष खराब हो जाता है। तो राज्यों के अपने गोदामों में जितना अनाज खराब होता है, उसका अंदाज़ा लगाएं - उससे भी बहुत चिंता हो जाती है। संयुक्त राष्ट्रसंघ की रिपोर्ट के मुताबिक जब दुनिया में सबसे अधिक भूखे लोग भारत में रहते हैं, तो उस स्थिति में, आज़ादी के साठ साल के बाद भी यह दृष्य है, जो कि बहुत चिंताजनक है और इस दृश्य पर विचार करते हुए मुझे तिमल क्रांतिकारी किव सुब्रमण्य भारती के कुछ शब्द आते हैं। उन्होंने कहा था-

"Let us annihilate the universe even if a single individual is denied food."

यदि एक अकेले व्यक्ति को भी भोजन नहीं मिलता है, तो फिर इस सृष्टि के होने का कोई मतलब नहीं है। इस क्रांतिकारी किव ने यहां तक कह दिया कि फिर इस universe को annihilate कर देना चाहिए, अगर एक व्यक्ति को भी भोजन न मिले। आज अगर सुब्रमण्य भारती भारत में आ जाएं और उनको बताया जाए कि एक नहीं, बल्कि बीस-पच्चीस करोड़ लोग ऐसे हैं, जो आधा-अधूरा खाना खाकर सोते हैं, तो वे क्या कहेंगे, समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग में जो मुख्य किमयां हैं, उनको युद्ध स्तर पर दूर करने की आवश्यकता है। इस विभाग में 4,62,000 गांवों में राशन देने की दुकानें हैं, बहुत बड़ा विस्तार है। 48,000 कर्मचारी इसी काम के लिए इस विभाग में हैं, लेकिन जैसा कि मुझसे पहले वक्ता कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की Wadhwa Committee की रिपोर्ट ने कहा है कि 42 प्रतिशत अनाज जो गरीबों के लिए है, रास्ते में चोरी हो जाता है। CVC, N. Vittal ने कहा था - 28,000 करोड़ रुपए की subsidy भ्रष्टाचार में चली जाती है। योजना आयोग की स्टडी में भी कहा गया है कि 48 प्रतिशत अनाज भ्रष्टाचार में चला जाता है। Transparency International ने "India Corruption Study" में कहा कि 67 प्रतिशत

अनाज भ्रष्टाचार में चला जाता है। स्वयं भारत सरकार के Economic Survey में इस बात को स्वीकार किया गया है कि चोरी होती है, मिलावट होती है, खुले बाज़ार में अनाज बिकता है। अब लगभग 60,000 करोड़ की subsidy में से यदि 50 प्रतिशत चोरी हो जाता है, तो उसका अर्थ यह है कि लगभग 30,000 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार में जाता है और यह वह पैसा है, जो देश के सबसे गरीब व्यक्ति को दो वक्त की रोटी देने के लिए सरकार देती है।

(2X/SC पर क्रमशः)

-mp/sc-kgg/4.40/2x

श्री शान्ता कुमार (क्रमागत) : यह बहुत भयंकर परिस्थिति है। जो योजना आयोग की Performance Evaluation of TPDS रिपोर्ट है, इसमें एक विचित्र बात कही गयी है -"Taking into account all the inefficiency of the PDS, it is found that Government of India spends Rs.3.65 to transfer Re.1 to the poor."गरीब व्यक्ति को एक रुपए का अनाज गांव में पहुंचाने के लिए यह विभाग 3 रुपए 65 पैसे खर्च करता है। अगर यह एक रुपया सीधा गरीब को दे दिया जाता तो 2 रुपए 65 पैसे हमारे बच जाते। यह inefficiency की सीमा है। एक और बात इसमें कही गयी है - " About 57 per cent of subsidized grain does not reach the target group of which a little over 36 per cent is in the supply chain." मैं यह पूछना चाहता हूं कि आखिर यह स्थिति क्यों है, हमारा तंत्र इतना inefficient, इतना भ्रष्ट क्यों हो गया है? इस बात पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। महोदय, यह जो भयंकर भ्रष्टाचार है, इसका एक सबसे बडा कारण यह है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कानून हैं, नियम हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने की भारत में कोशिश नहीं होती। यह केवल इसी विभाग की बात नही है, लगभग सभी विभागों की बात है। मैं अखबार में एक समाचार पढ़ रहा था कि चीन के अंदर दूध में मिलावट हुई, दो बच्चे मरे, अपराधी पकड़े गए और 6 महीने के अंदर दो अपराधियों को फांसी की सजा दी गयी। मैंने बड़े ध्यान से समाचार पढ़ा - "दूध में मिलावट करने वाले दो अपराधियों को फांसी की सजा" - लेकिन भारत की हालत क्या है? यहां पर लोक सभा पर आक्रमण करने वाले

अपराधियों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजा देने के बाद भी न फांसी देने की हिम्मत है, न नीयत है। यह एक अंतर है और उसका परिणाम यह है कि चीन ने गरीबी दर 60 परसेंट से घटाकर 16 परसेंट कर दी और हमारे देश में गरीबों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। मैं पूरी सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि हम सोचें कि इन सारी चीजों को हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? ऐसा लगता है कि इस देश में सब कुछ बिक रहा है। इन दिनों जो खबर आ रही है - कभी आईपीएल की खबर आती है, कभी किसी माधुरी गुप्ता की खबर आती है, कभी केतन देसाई की खबर आती है - देश को इस पर विचार करना होगा, भ्रष्टाचार को फांसी पर लटकाना होगा। यदि भ्रष्टाचार को फांसी देने की योजना नहीं बनायी तो वह भ्रष्टाचार इस देश को फांसी पर लटका देगा। कितनी विचित्र बात है कि इस विभाग के अंदर सब प्रकार के नियम और कानून हैं। मैं जब खाद्य मंत्री था, तब भी यह समस्या थी, इस पर विचार किया गया था और सरकार ने सभी विभागों से सलाह करके एक public distribution system control order निकाला था और मैंने स्वयं उस पर बड़े विस्तार के साथ सभी अधिकारियों के साथ बैठकर विचार किया था कि क्यों नहीं होगा, कहां गडबड होती है, कैसे हो सकता है? उस ऑर्डर में विस्तार से - महीने की पहली तारीख को अनाज यहां पहुंच जाना चाहिए, उसको यहां से यहां यह अधिकारी पहुंचाएगा, उसका वितरण होगा, पंचायतों को असोसिएट किया जाएगा, दुकान के बाहर लिखकर लगाया जाएगा - ये सारी बातें करने के बाद फिर यह कहा था कि उसमें यदि किसी प्रकार की कमी होगी तो फिर Essential Commodity Act के मुताबिक सजा मिलेगी। उसका जिक्र तो इस रिपोर्ट के अंदर है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि कितने लोग पकडे गए? अगर 30 हजार करोड़ रुपया चोरी में जाता है - उस गरीब के लिए, जो दो वक्त भूखा रहता है -उसमें कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, उसको राशन नहीं पहुंचाते हैं तो उनको पकड़ा क्यों नहीं जाता, उनको सजा क्यों नहीं दी जाती? कानून में कंट्रोल ऑर्डर है, सब कुछ है। यह सचमुच बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश के खजाने से गरीब की मदद करने के लिए पैसा निकाला जाता है।

(2वाई-एमसीएम पर क्रमशः)

SC/MCM-NBR/2Y/4-45

श्री शान्ता कुमार (क्रमागत) : और आधा पहुंचता नहीं और यह सब कहते हैं। मुझे जब यह पता लगा कि एक रुपए का अनाज पहुंचाने के लिए तीन रुपए 65 पैसे खर्च होते हैं, तो मुझे भरोसा नहीं हुआ। मैंने कहा कि इसकी ऑथंटिसिटी पता करें। तो पता लगा कि स्वयं देश के गृह मंत्री जी ने नेशनल डिफेंस कौंसिल की मीटिंग में यह बात कही है। अब देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि एक रुपए का अनाज पहुंचाने के लिए 3 रुपए 65 पैसे खर्च आते हैं, यह योजना आयोग का आकलन है, तो आप कार्यवाही क्या कर रहे हैं, सोच क्या रहे हैं? यह भी हो रहा है, वह भी हो रहा है, हम चुपचाप बर्दाश्त करते चले जा रहे हैं। इस स्थिति से निबटने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि सरकार खाद्य सुरक्षा कानून ला रही है, जो बहुत जरूरी है। अगर आप इस प्रकार सोच रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को पौष्टिक भोजन मिले, यह उसका अधिकार होना चाहिए, आपकी बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी बात है। आप कानून तो बना देंगे लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करेगा? यही व्यवस्था, इनएफिसिएंट करप्ट व्यवस्था, क्या यह ही इसको इम्प्लीमेंट करेगी? क्योंकि इसमें तो शायद खाद्य सुरक्षा की जो परिभाषा है 1996 के रोम सम्मिट के अंदर कि सभी को सब समय पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो, देश के सभी लोगों को सब समय पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो, यह व्यवस्था करने की बात आपने सोची है। लेकिन जब तक तंत्र ठीक नहीं होगा, प्रशासन ठीक नहीं होगा, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, भ्रष्टाचार करने वालों को सजा नहीं होगी, तो आप कितना भी कानून बनाएं, इस प्रकार के कानूनों से किसी भी प्रकार का लाभ देश के आम गरीब आदमी को नहीं होगा।

एक बड़ी हैरानी की बात है कि हम इतनी बातें सोच रहे हैं लेकिन देश में गरीब कितने हैं यह अभी तक पता ही नहीं है। सरकार की अलग-अलग एजेंसीज गरीबों की अलग-अलग संख्या बताने की कोशिश कर रही हैं। अर्जुन सेन गुप्ता के मुताबिक 77 परसेंट लोग गरीब हैं, एन0सी0 सक्सैना 50 परसेंट गरीब बतलाते हैं। योजना आयोग कहता है कि

6 करोड़ 52 लाख लोग गरीब हैं बी0पी0एल0 में, राज्य सरकारें कहती हैं कि 10 करोड़ 58 लाख हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम गंभीरता से नहीं सोच रहे हैं। आखिर सरकार की सभी एजेंसीज का कोई एक पैमाना होना चाहिए कि देश में कूल गरीब कितने हैं। हम खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं लेकिन जब आंकड़ों में इतना अंतर है तो यह सारा कैसा होगा, इस पर भी विचार करना चाहिए। इस विभाग में और भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, मैं उनके विस्तार में नहीं जाता। लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि अटल जी की सरकार के समय सब कुछ ठीक था, कहीं पर कोई कमी नहीं थी। खाद्य मंत्री के रूप में मेरी स्थिति यह थी कि यहां से अनाज भेजने के बाद हम प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों को टेलीफोन पर कहते थे कि जो अनाज भेजा है जल्दी खर्च करो, जल्दी बांटो, और नहीं तो फूड फॉर वर्क शुरू करो, क्योंकि और अनाज आ रहा है और उसको भेजना है। शायद देश में यह पहला मौका था कि खाद्य मंत्री के रूप में हम लोग प्रदेशों से लडते थे कि जल्दी खर्च करो, जल्दी ले जाओ, फिर भी खत्म नहीं हुआ तो अन्त्योदय अन्न योजना शुरू की, फिर भी भंडार भरे थे तो एक्सपोर्ट करना शुरू किया। सबसे बड़ा कारण यह था कि उस समय ईमानदारी से सरकार चलती थी, निर्णय देश का हित सोच करके होते थे। विदेशी कम्पनियों द्वारा अनाज के व्यापार में आने की कोशिश तब भी की गई थी। लेकिन उस समय की सरकार ने मना कर दिया। यह ठीक है कि उदारीकरण हो गया है, सब देशों में जाकर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यह देश गरीब है और मुझे याद है खाद्य मंत्री के रूप में मैंने बड़े जोर से अटल जी के सामने कहा था कि उदारीकरण के नाम पर वे कम्पनियां कह रही हैं कि हमको भी अनाज का व्यापार करने दो, लेकिन यह देश गरीब है और गरीब की रोटी हम किसी मल्टी नेशनल कम्पनी के पास गिरवी नहीं रख सकते। जब तक अटल जी की सरकार रही, विदेशी कम्पनियों को अनाज के व्यापार में नहीं आने दिया। ज्यों ही सरकार गई, विदेशी कम्पनियों को, बडी-बडी कम्पनियों को अनाज के व्यापार में आने का अधिकार दिया गया। उन्होंने अनाज खरीदा, एक्सपोर्ट किया और उसके बाद देश में जो हालत हुई, जिस ढंग से महंगाई बढ़ी वह आपके सामने है। किस समय किस चीज को एक्सपोर्ट करना है, किस को इंपोर्ट करना है।

(2z/gs पर क्रमशः)

GS-PK/2Z/4.50

श्री शान्ता कुमार (क्रमागत): यह बड़े महत्व की बात है। मुझे याद है, आदरणीय कृषि मंत्री जी सामने बैठे हैं, जब हमारे समय में सरकार को पता लगा कि प्याज थोड़ी-थोड़ी महंगी हो रही है, हमने कृषि विभाग से पता किया कि प्याज क्यों महंगी हो रही है, हमें बताया गया कि प्याज का उत्पादन कम नहीं हुआ है, बल्कि यह पता लगा कि कुछ देशों में प्याज की ज्यादा जरूरत है, इसलिए भारत के लोग प्याज को इकट्ठा करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने दो दिन के अंदर एक्सपोर्ट को बंद किया और बहुत से लोग डेलीगेशन लेकर आए, विशेषकर नासिक के लोग, लोक सभा में भी शोर मचा, वहां भी आंदोलन हुआ, तो उस समय हमने कहा कि कुछ लोगों को करोड़ों रुपये का फायदा पहुंचाने के लिए हम भारत के लोगों को महंगा प्याज नहीं खाने देंगे। हमने 24 घंटे में प्याज का एक्सपोर्ट बंद किया, लेकिन आपकी सरकार की हालत क्या है ? आपको पता था कि गन्ने का उत्पादन कम है, पता था कि चीनी कम होगी, इसके बावजूद भी 50 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट होती रही। महंगाई के कई कारण हैं, किस समय इम्पोर्ट करना है, किस समय एक्सपोर्ट करना है, इस बारे में तुरन्त निर्णय लिया जाए, तो बहुत सी बातें हल हो सकती हैं।

अंत्योदय योजना चल रही है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस योजना को आगे भी बढ़ाया है। यह योजना उस समय चलाई गई थी जब इस तरह के समाचार आ रहे थे कि सरकार के अनाज के भंडार भरे पड़े हैं, लेकिन कहीं-कहीं भुखमरी की हालत हो रही थी, इसलिए यह योजना शुरू की गई। मुझे इतना ही कहना है कि आप खाद्य सुरक्षा का कार्यक्रम करिए, लेकिन उसमें 35 किलो अनाज प्रति परिवार दिया जाना चाहिए। आप इसको कम मत करिए, आपने इसको पिछले दिनों कम किया था, यह अब बढ़ना चाहिए और उस समय दो रुपये और तीन रुपये प्रति किलो की जो बात थी, उसमें भी किसी तरह की बढोत्तरी नहीं होनी चाहिए।

में एक विशेष बात यह कहना चाहूंगा कि हमारी जो वितरण प्रणाली है, अब समय आ गया है कि इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन किए जाएं। इसको इतने वर्ष हो गए हैं। इसमें एक तो सख्ती की बहुत जरूरत है, इसमें एकाउंटेबिलिटी की जरूरी है, गलत काम करने वालों को सख्त सजा देने की जरूरत है। इस बार के इकोनोमिक सर्वे में भी शायद यह बात कही गई है कि क्यों न सीधे गरीब आदमी तक सब्सिडी पहुंचे। इस बारे में सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। शायद कई जगह पर पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू करने की कोशिश की गई है। इस वितरण व्यवस्था में बदलाव करने की जरूरत है। आप इसके बारे में सोचिए। यह जो बीच का तंत्र है यह 30-40 हजार करोड़ रुपये चोरी कर लेता है, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि गरीब आदमी को हम सीधे सारी की सारी सहायता पहुंचा सकें? यही हाल बाकी योजनाओं का है। लगभग 40-50 हजार करोड़ रुपया भारत की सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए हर साल भेजती है, लेकिन गरीबी बढ़ रही है, क्योंकि पैसा नीचे उन तक पहुंचता नहीं है। यह तो हमें कई बार बताया गया है कि एक रुपया चलता है, तो नीचे तक 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन आज तक यह किसी ने बताने की तकलीफ नहीं की कि ये 85 पैसे कौन खाता है ? उसको आप पकडते क्यों नहीं, उसको सजा क्यों नहीं देते ? जिस देश में गरीबी को दूर करने के लिए 40-50 हजार करोड़ रुपया खर्च किया जाता हो, लेकिन उस देश की गरीबी बढ रही हो, तो व्यवस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि सरकार गंभीरता से इस बात पर विचार करे। ओपन सिस्टम की बात है, खाद्य सिस्टम की बात है, सीधे गरीब को मदद दी जानी चाहिए। इस बारे में, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दुनिया के कुछ देशों ने एक प्रयोग किया है। मैं पढ़ रहा था कि ब्राजील ने यह प्रयोग किया है। ब्राजील में 60 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते थे, इसलिए उन्होंने ओपन सिस्टम शुरू किया। मुझे एक बात पढ़कर अच्छा लगा कि उन्होंने गरीब परिवार की महिला प्रमुख के नाम पर कूपन दिया। उन्होंने कूपन पुरुष को नहीं दिया, बल्कि महिला को दिया। यह प्रयोग वहां पर सफल हुआ है। फैमिली पर्स प्रोग्राम शुरू किया और कई कार्यक्रम शुरू किए। सीधे मदद ओपन सिस्टम के रूप में गरीब को दी,

कोई बीच में नहीं, कोई विभाग खाद्य देने वाला नहीं और उसका परिणाम यह निकला है कि छह साल में ब्राजील का कुपोषण 73 प्रतिशत कम हो गया।

(3ए/एएससी पर जारी)

ASC-PB/3A/4.55

श्री शान्ता कुमार (क्रमागत): शिशू मृत्यू दर 45 परसेंट कम हो गई और BPL की संख्या 12 परसेंट कम हो गई। कुछ अन्य देशों ने भी इस प्रकार के प्रयोग किए हैं। मैं आप से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह वितरण व्यवस्था इस देश के उस गरीब की जीवन रेखा है, जिसके बच्चे रात को भूखे सोते हैं। आज इस वितरण व्यवस्था को सख्ती से ठीक करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं जो देश में कंट्रोल आर्डर बना था, अगर यह इम्पलिमेंट हो जाए, तो बहुत हद तक व्यवस्था ठीक हो सकती है। इस पूरी रिपोर्ट में कहीं पर भी यह नहीं बताया कि इस कंट्रोल आर्डर को इम्पलिमेंट करने से कितने लोगों को सज़ा हुई और कितने लोग पकडे गए। ठीक है, आप यह बात कहेंगे कि इसको इम्पलिमेंट करने की जिम्मवारी राज्य सरकारों पर है, लेकिन करवाना तो आपको है और जो मदद देते हैं, वह तो आप ही देते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है कि यह व्यवस्था आउट डेटिड हो गई है। इस व्यवस्था को ठीक करने की काशिश करें और कुछ नया करने की सोचें तथा कूपन सिस्टम शुरु करें। दुनिया के ब्राजील जैसे छोटे देश ने इस सिस्टम को शुरु करके कुछ सफलता प्राप्त की है, तो हम भी इसको अपने यहां शुरु करें। मैं यही कहूंगा कि यह बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है और गरीब की जीवन रेखा है। आज इसमें बहुत चिंताजनक स्थिति है। 50 प्रतिशत से अधिक अनाज रास्ते से चोरी हो जाए, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कोई नहीं हो सकती। यह विभाग इसको रोकने की कोशिश करे। मुझे विश्वास है कि विभाग इस बारे में विचार करके, इसको ठीक करने की कोशिश करेगा। धन्यवाद।

(समाप्त)

श्रीमती वृंदा कारत (पश्चिमी बंगाल): सर, मैं शान्ता कुमार जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि यह मंत्रालय वाक्य में गरीबों के लिए जीवन रेखा का मेंडेट है। हकीकत यह है कि

आज यह जीवन रेखा, life line कमजोर हो रही है और यह सरकार की गलत नीतियों के कारण कमजोर हो रही है। इसमें सैन्ट्रल गवर्नमेंट के बजटरी एलोकेशन का सवाल है और स्वयं इस मंत्रालय की नीतियों का सवाल है।

सर, मैं यह मानती हूं कि विशेषकर पिछले दस सालों से जो देश की वितरण प्रणाली है, वह कमजोर हो रही है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि भ्रष्टाचार इसका मुख्य कारण है तथा उन्होंने वधवा कमेटी का भी जिक्र किया और वह सब सही है। सर, मैं यह मानती हूं कि इस वितरण प्रणाली को कमजोर करने का जो मुख्य कारण है, वह सरकार का टार्गेटिंग सिस्टम है। जब आप टार्गेटिंग सिस्टम लागू करेंगे, जब आप गरीबों को गलत मापदंड के आधार पर APL और BPL में बांटेंगे, जब आप खाद्य एलोकेशन को 70 प्रतिशत कम करेंगे, तो निश्चित रूप से वितरण प्रणाली न केवल कमजोर होगी, बल्कि चोपट होगी और वही हो रहा है। मैं केरल की मिसाल देती हूं। केरल की मिसाल इसलिए नहीं दे रही हूं कि आज हमारी पार्टी की सरकार है, लेकिन केरल पूरे देश के सामने एक मिसाल है। आज केरल में क्या हुआ, पूरे एलोकेशन में से 73 या 78 प्रतिशत काटने से फेयर प्राइज शॉप्स अन-वायबल हो गई, नॉन वायबल हो गई और वे बंद हो रही हैं। जो आपका एक नेटवर्क है, जो आपकी गरीबों तक पहुंचने के लिए जीवन रेखा है, आपने टार्गेटिंग करके, एलोकेशन काटकर, उसको चोपट किया है। मैं माननीय शरद पवार जी से यह साफ तौर से पूछना चाहती हूं कि जब हमने इस हाउस में दो साल पहले या तीन साल पहले सवाल किया था.....।

(क्रमश: 3B/LPपर)

-ASC/LP-SKC/5.00/3B

श्रीमती वृंदा कारत(क्रमागत): ..कि आप साफ बताएं कि आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? उस समय शरद जी ने कहा कि मैं इसके विपक्ष में नहीं हूं, लेकिन इसके लिए जो पैसे की जरूरत है, जो सब्सिडी बढ़ाने की जरूरत है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी चाहिए। मैं आज पूछना चाहती हूं कि यूनिवर्सजाइलेशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम, जो आज सबसे अधिक जरूरी है, क्योंकि जो आंकड़े यहां पेश किए

गए, हमारे देश में कुपोषण बढ़ रहा है, आज संगठित क्षेत्रों में काम करने वालों की संख्या बढ रही है, जिनकी कोई स्थायी आमदनी नहीं है, उनके लिए आप सब्सिडाइज राशन देने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं? अगर तैयार हैं तो आप कौन से मापदंड अपनाएंगे? बाजार में सब्जी, आलू के दाम क्या होने चाहिए, आज यह एक मजाक बन गया है। हम सौदेबाजी करते हैं कि बीपीएल में कितने लोग होने चाहिए। सर, इसकी सौदेबाजी हो रही है, जो गरीबों के साथ मजाक है। आज 6.52 करोड़ परिवार का आंकड़ा दिया जा रहा है। अभी हमें पता चला कि कुछ नेताओं ने कहा कि यह तो बहुत कम है, इसको बढ़ाना चाहिए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कहा कि हां, हां, इसको बढ़ाना चाहिए। वे प्लानिंग कमीशन के पास गए। प्लानिंग कमीशन के सामने, जो बताए गए हैं, चार अलग-अलग एस्टीमेट्स हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहती हूं। प्लानिंग कमीशन सबसे कम एस्टीमेट, जिसमें सबसे ज्यादा कमी है, तेंदुलकर कमेटी के एस्टीमेट्स, उस पर अभी कह रहे हैं कि तैयार हो रहे हैं, लेकिन ये कितने होने चाहिए, उसके बारे में आज भी बहस हो रही है। कोई कहता है कि 8.52 करोड परिवार कवर हो रहे हैं, कुछ कह रहे है 7 करोड़ कवर हो रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने मापदंड के आधार पर 10.05 करोड परिवार हैं। सर, मापदंड क्या है? यह मापदंड कोई वैज्ञानिक मापदंड नहीं है। सरकार की जेब से गरीबों के लिए कितना पैसा देना चाहते हैं, वही मापदंड है। इसलिए इस विभाग का जो मुख्य काम है, procurement and distribution, उसके यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रब्यूशन सिस्टम के जो framework होने चाहिए, मैं आपके द्वारा शरद जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि हमारी नीति में बीपीएल के एस्टीमेट के नाम पर जो सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसमें अधिकतर गरीबों को बाहर रखा जा रहा है, वे उसको बदलें, उसको सार्वजनिक बनाएं और उस आधार पर Food Security Act को लेकर आएं, वरना Food Security Act का कतई कोई अर्थ नहीं होगा। dubious estimates के आधार पर, जो विज्ञान से नहीं, सही मैथेडोलॉजी से नहीं, बल्कि सरकार के आर्थिक एस्टीमेट्स पर निर्भर करके दिये जाएं। सर, मैं यह मानती हूं कि अभी यह बताया जाता है कि इतना एस्टिमेट्स है, सब्सिडी का इतना बढ़ गया है, मैं फूड मंत्रालय के उन

ऑफीसर्स के साथ अपनी सहमित प्रकट करती हूं, जिन्होंने Standing Committee के सामने यह मांग की कि जो हमें चाहिए, वह हमें नहीं मिला। उन्होंने यह कहा , "The requirement of food subsidy is about Rs.72,234 crores, of which about Rs.14,952 crores is to be given to State Governments and the balance of about Rs.57,282 crores to the FCI. What we get was short by Rs.14,000 crores." Now, what will be its impact? I am paraphrasing here what they have said. "Its impact will be that we will be unable to pay the proper dues to the State Governments which are doing very good work in the decentralized procurement programme and we will also cause a lot of trouble for the FCI."

Now, if this is the situation, I would like to ask this to the hon. Minister.

State Governments ने decentralized procurement programme किया है।

(akg/3c पर जारी)

AKG-HK/3C/5.05

श्रीमती वृंदा कारत (क्रमागत): उसमें हमारा बंगाल भी है, तिमलनाडु है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, और भी हैं। इस प्रकार सरकारों ने प्रयास किया। लेकिन अगर सरकारों के सामने Central Government की यह समझ है कि हम पर्याप्त subsidy नहीं देंगे और पूरा बोझ स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डालेंगे -- सर, यह मेरा बयान नहीं है, यह खाद्य मंत्रालय के ऑफिसर्स का बयान है, जो Standing Committee की रिपोर्ट में दर्ज है -- इस problem को कैसे overcome किया जाएगा, मैं चाहती हूँ कि इस सम्बन्ध में मंत्री जी जरूर कुछ रोशनी डालें।

सर, इसी के सम्बन्ध में मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। Leakages के बारे में यहाँ बहुत सारी बातें हुई हैं। एक सुझाव आया है - direct cash transfer. अभी तीन प्रदेशों में pilot project है, शान्ता जी ने भी उसका ज़िक्र किया है। मैं उस direct cash transfer programme का स्पष्ट रूप में विरोध करना चाहती हूँ। क्यों? यह direct cash transfer

programme कतई food security की गारंटी नहीं हो सकता है। मैं आपको इसके तीन कारण बताती हूँ। पहली बात यह है कि सब जानते हैं कि हर परिवार में direct cash transfer की 10 emergencies रोज होती हैं। जब वह cash आएगा, तो क्या गारंटी है कि हम उस cash को food के ऊपर खर्च करेंगे? दूसरी बात यह है कि कौन-से आधार पर वह cash तय होगा? रोज तो दाम बढ़ रहे हैं। आप 35 किलो अनाज कौन-से दाम के आधार पर तय करेंगे? आज यह दाम है, तो कल बाजार में उसका दुगुना दाम है। उसको कौन तय करेगा? तीसरी बात यह है कि आप इसे महिलाओं के नाम पर जरूर दे सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि महिला उसको अपनी मर्जी से खर्च कर सकेगी, क्योंकि परिवार के अन्दर भी पुरुष प्रधान समाज में असमानता है। इसलिए वह कहाँ खर्च होगा, कैसे खर्च होगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, कई प्रदेश सरकारों ने मिसालें पेश कीं, जहाँ उन्होंने Self-help Groups को involve किया, जहाँ उन्होंने पंचायतों को involve किया और उनकी involvement के आधार पर उन्होंने Public Distribution System को मजबूत किया। इसलिए मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूँ। मंत्री जी की Annual Report में यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि इसमें मंत्रालय की क्या समझ है। लेकिन में चाहती हूँ कि मंत्री जी direct transfer या coupon transfer के बारे में पुनर्विचार करें। Leakages हैं, leakages को खत्म करना चाहिए। उसकी भी मिसाल हमारे देश में है। इसलिए please don't throw the baby out of the bath water which is going to happen. It will further destroy the Public Distribution System in this country.

Sir, the third point which I want to make is that -- it is very good and I want to congratulate the hon. Minister and his Ministry -- इन्होंने 2006-07 और 2007-08 में जो भारी गलती की और procurement के क्षेत्र से पीछे हटे, जिसके कारण बहुत सालों में पहली बार हिन्दुस्तान को import करना पड़ा और जिससे बड़ी-बड़ी कम्पनियों को, विदेशी कम्पनियों को फायदा हुआ, कम-से-कम उस गलती को - उन्होंने

उसे स्वीकार किया या नहीं, मैं नहीं कह सकती हूँ - लेकिन उसको सुधारा जरूर, क्योंकि आज हमारा procurement ठीक चल रहा है और अच्छा चल रहा है। यह एक अच्छी बात है। लेकिन मैं यह चाहती हूँ कि जब आप Minimum Support Price तय करते हैं, तो आप उस Minimum Support Price को अन्य commodities के साथ भी जोड़ लीजिए। बहुत सारी जगहों पर Minimum Support Price और अन्य agricultural essential commodities में हस्तक्षेप करके आप किसानों को मदद भी पहुँचा सकते हैं। आप corporate sector पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। हमारे साथी, राजीव जी ने corporate farming का सुझाव दिया, लेकिन यह बिल्कुल गलत सुझाव है। ख़ैर, मैं उस पर नहीं जा रही हूँ।

(3डी/एससीएच पर जारी)

KSK/SCH/5.10/3D

श्रीमती वृंदा कारत (क्रमागत): सर, मेरा सुझाव यह है कि आपका एमएसपी का जो पूरा कॉन्सैप्ट है, उसे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस समय मार्किट में प्राइसिज़ फ्लक्चुएशंस बहुत अधिक तेजी से हो रहा है। अब आप देखिए कि आलू पैदा करने वाले किसान को आलू के लिए केवल 40 या 50 पैसे फी किलो मिल रहा है, लेकिन फिर भी बाजार में आलू 10-11 रुपये किलो बिक रहा है। प्रदेश सरकार भी इसमें कुछ सब्सिडी दे सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को इन तमाम सवालों पर एक स्टैंड लेकर, एक नीति तय करके चलना चाहिए। कृषि क्षेत्र में जो एक्यूट डिस्ट्रेस है, अगर आपको उसे डील करना है, तो निश्चित रूप से एमएसपी को अन्य कमॉडिटीज़ पर भी बढाने की जरूरत है।

बफर स्टॉक के संबंध में जो बात कही गई थी, उससे मैं सहमत हूं, लेकिन साथ ही मैं यह भी जानना चाहती हूं कि आखिर इसका लॉजिक क्या है? जब आपके पास इतना बड़ा बफर स्टॉक है, फिर भी आप सब्सिडाइज्ड रेट्स पर एपीएल सैक्शन्स के लिए ऐलोकेशंस में 73% कटौती कर रहे हैं। तमाम स्टेट गवर्नमैंट्स बार-बार यह मांग कर रही हैं कि इसको रीस्टोर कीजिए, लेकिन आप बैकडोर से एपीएल के प्राइस बढ़ा रहे हैं। एक तरफ आप दावा

करते हैं कि आपने Central Issue Price दस साल तक नहीं बढ़ाया है दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमैंट्स को कह रहे हैं कि पहले हम 8.30 रुपये में दे रहे थे, लेकिन अब तुम्हें इसके लिए 14-15 रुपये देने पड़ेंगे। सर, इसलिए आपने जितना एडीशनल एलोकेशंस में देना चाहा, प्रोटेस्ट में स्टेट गवर्नमैंट्स ने उसका एक-चौथाई भी लिफ्ट नहीं किया। यह उन्होंने इसलिए किया कि आपने दाम के बारे में बगैर किसी की सहमति से एपीएल के लिए एडीशनल फूड ग्रेन्स के नाम पर एक तरफा रेट बढ़ा दिया है। यह स्टेट गवर्नमैंट्स के प्रति भी अन्याय है। इसके बारे में आप सोचिए। अच्छा आप हमें थोड़ा यह बताइए कि बफर स्टॉक्स को स्टोर करने के लिए स्टोरेज की कॉस्ट कितनी आती है? मैं यह मानती हूं कि सरकार की यह नीति तो नहीं हो सकती कि देश के चूहे भरपेट खाएं और हमारे बच्चे भूख से रोते रहें। सरकार की नीति यह तो नहीं हो सकती है।

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): वृंदा जी, कन्क्लूड कीजिए।

SHRIMATI BRINDA KARAT: I will take just five to six minutes. इसलिए सर, टाइमली आप इसको देखिए। बफर स्टॉक्स में फूड सब्सिडी का लोड बढ़ता जा रहा है, उसको कम करने के लिए आप एपीएल और बाकी सैक्शंस के लिए कुछ कीजिए। चूंकि समय कम है, इसलिए अब मैं शुगर पर आती हूं।

सर, शुगर के बारे में मेरे कुछ सवाल हैं। आपका एक Sugar Development Fund है। मैंने देखा कि उस Sugar Development Fund में एक अजीब पॉलिसी है कि आप किसानों को 4% सब्सिडी लोन्स में देना चाहते हैं, लेकिन आप उस सब्सिडी को शुगर मिल्स के द्वारा देते हैं। आज भी, पिछले तीन साल से किसानों का बकाया 2,700 करोड़ रुपया है। इसके लिए आपने कहा कि as season grows, it will get less, लेकिन फिर भी किसान सफर क्यों करें? इसलिए आप किसानों को कम रेट पर जो भी लोन्स वगैरह देना चाहते हैं, उसे डायरैक्टली किसानों को दीजिए।

दूसरी बात यह है कि आपने शुगर मिल्स को 3000 करोड़ रुपये दिए हैं। इसमें एक सवाल यह भी उठता है कि आपकी जो सिक शुगर मिल्स हैं, उनको तो आपने एक पैसा भी

नहीं दिया। आप कौन सी शुगर मिल्स को पैसा दे रहे हैं? वे शुगर मिल्स किस रूप में शुगर डेवलपमैंट कर रही हैं? अगर वे अपने मुनाफे का डेवलपमैंट कर रही हैं तो वह अलग बात है, लेकिन इसके बारे में कुछ स्पष्ट नीति बनाए जाने की जरूरत है।

एफसीआई के बारे में मैं यह समझती हूं कि उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। यहां पर हमारे कपिल जी भी बैठे हैं, इनको मालूम है कि The HRD Ministry owes Rs.3,000 crores to the FCI. अगर आप किसी और प्राइवेट बैंक से इस तरह का लोन लेते तो अभी तक आपका सब कुछ ज़ब्त हो जाता, आपका दफ्तर तक ज़ब्त हो जाता, लेकिन बेचारे एफसीआई वाले हैं, जिन्होंने आपको 3000 करोड़ रुपया दिया हुआ है। Rural Development Ministry का भी लगभग 300 करोड़ रुपया है। तो मेरा कहना यह है कि आज एफसीआई को मजबूत करने की जरूरत है। जहां करप्शन है, उसे हटाइए और जहां पर गलत नीति है, उसे हटाइए। Make the officers accountable. For example, the CAG has said that there is a loss of Rs.1300 crores because the FCI, where it That is a had capacity unutilized, still hired from private godowns. contradiction. The CAG has pointed it out. So, take action against FCI officers; make them accountable. But, please don't destroy the FCI by not paying its dues. At present, you have a sanctioned strength of 36,000 employees. You are still 3,000 employees below your sanctioned strength. Why? Where are the Quality Inspectors?

(continued by 3e - psv/gsp)

GSP-PSV-3E-5.15

श्रीमती वृंदा कारत (क्रमागत): आपने कहा कि कोई डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन कौन वहाँ जाकर इंस्पेक्ट कर रहा है? जो empirical evidence है, उससे यह दिखाई दे रहा है कि सारा कुछ डैमेज हो रहा है, लेकिन आपके FCI Inspectors कौन हैं, जो वहाँ जाकर चेक-अप कर रहे हैं? इस प्रकार इसको भी देखने की जरूरत है।

I have two more points. I come to the Consumer Affairs Department. Here, I have one point to make that the entire approach of the Consumer Affairs department in the explanation on price rise, I think, is quite objectionable. अगर यह सदन उस पूरी रिपोर्ट को पढ़े तो देखेगा कि इसमें जो कुछ दोष हैं वे सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट दूध की धुली हुई है, जबिक हर नीति सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है। Forward Markets Commission जो इनके मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, उसके चेयरमैन ने इस रिपोर्ट में जो कहा है, उसे मैं पढ़ना चाहती हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): अब समय नहीं है।

SHRIMATI BRINDA KARAT: "The Government cannot be the Godfather and watchman. Let the market be the watchman." सर, यह उन्होंने कहा है। Market watchmen होते-होते मार्केट के भरोसे में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन, मैं यह चाहती हूँ, क्योंकि Standing Committee on Agriculture ने भी स्पष्ट कहा कि futures trade में भी छोटे और मध्यम किसानों का कतई कोई फायदा नहीं है। आपने एक और कमेटी का गठन किया। उसको भी आप देख लीजिए। लेकिन आम किसान जानता है कि उनका उससे दूर से भी कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए, सर, मैं अपनी पार्टी की तरफ से reiterate करती हूँ और बहुत सारे जो भी सोचने वाले कुछ इकोनॉमिस्ट्स हैं, जो यह कहते हैं कि futures trade in essential commodities should be banned.

इसलिए, सर, मैं अपील सर करती हूँ कि यह एक ऐसा मंत्रालय है, जहाँ मंत्री जी की ओर से full time attention की जरूरत है। शरद जी, आप तो बहुत अनुभवी हैं, इसलिए दो-दो मंत्रालयों को देख रहे हैं। लेकिन, मैं मानती हूँ कि इस मंत्रालय के साथ और इस मंत्रालय के प्रति लोगों की जो मांग है, आशा तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन माँग जरूर है, उसकी तरफ आप जरूर ध्यान देंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। (समाप्त)

श्री गंगा चरण (उत्तर प्रदेश): आदरणीय महोदय, मैं उपभोक्ता मामले एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के कार्यों से संबंधित चर्चा पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अभी हमारे विद्वान वक्ताओं, माननीय श्री शान्ता कुमार जी और श्रीमती वृंदा कारत जी ने इस पर अपने बहुत अच्छे विचार दिए।

महोदय, मैं उपभोक्ता मामले से अपनी बात शुरु करता हूँ। आज देश में जितने भी खाद्य-पदार्थ बन रहे हैं, उन खाद्य-पदार्थों में सबसे ज्यादा मिलावट हो रही है। हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, रोज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से टेलीवीजन में देखते हैं कि कहीं इंसान के मुर्दा शरीर में लगाई जाने वाली क्रीम की मिलावट दूध में हो रही है।

(अएफ/डी०एस० पर क्रमशः)

-PSV/DS-SK/3f/5.20

श्री गंगा चरण (क्रमागत): जो मावा होता है, जिससे मिठाइयाँ बनती हैं, वह नकली मावा किंवटलों में बरामद हो रहा है। मरे हुए जानवरों की चर्बी से नकली देशी घी बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि हमारे माननीय मंत्री जी भी यह अखबारों में पढ़ते होंगे और टीवी में देखते होंगे। जब हम टीवी में देखते हैं और अखबारों में पढ़ते हैं तो हमारा मन भय से कांप जाता है कि हम क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि कस्बों से लेकर गांवों और बड़े शहरों में लोग बड़ी तादाद में बीमार हो रहे हैं। किसी की किडनी खराब हो रही है तो किसी का लीवर खराब हो रहा है। हार्ट अटैक और ब्लडप्रेशर की बीमारियाँ आम हो गयी हैं। बड़े लोग तो बड़े अस्पतालों में इलाज करा लेते हैं, लेकिन गरीब लोग बर्बाद हो जाते हैं। वे अपना इलाज नहीं करा पाते हैं और तड़प-तड़प कर मर जाते हैं। यह एक गंभीर मामला है। जब विदेशी लोग हमारे देश में आते हैं तो वे चिंतित होते हैं कि हम यहाँ की वस्तुओं को खाएँ या नहीं खाएँ, यहाँ का पानी पीएँ या न पीएँ? यह मिलावट सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में नहीं हो रही है। ऐसी तमाम कंपनियाँ हैं, जो दूध में यूरिया मिला रही हैं। उनका कहना है कि बगैर यूरिया मिलाये दूध रह ही नहीं सकता, वह फट जाएगा। अभी "इंडिया टीवी" ने "मुर्दा-क्रीम" के बारे में लोगों को बताया। लेकिन, केन्द्र सरकार कहेगी

कि यह राज्यों का विषय है। वह हर चीज़ में कह देती है कि यह हमारा विषय ही नहीं है, सारी जिम्मेदारी राज्यों की है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है तो इस पार्लियामेंट में ताला लगा दीजिए। यहाँ बैठने की जरूरत क्या है? मंत्रालयों और मंत्रियों के ऊपर इतना खर्च हो रहा है। सदन में चर्चा हो रही है और हम सारी जिम्मेदारियों से यह कह कर बच जाते हैं कि यह राज्यों का विषय है।

आप अखबारों में पढ़िए, हमारे उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन मायावती जी ने सबसे ज्यादा छापे डलवाये हैं। उन्होंने नकली वस्तुएँ बनाने वालों और नकली खाद्य सामग्री बनाने वालों को सबसे ज्यादा पकड़वाया है। उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए लगवाया है। किसी भी अन्य राज्य में उतना प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। ..(व्यवधान).. हमारे केन्द्रीय मंत्री को भी अपने स्तर से, जो मिलावट करने वाले लोग हैं, उनको दिल्ली में पकड़ना चाहिए। यहाँ तो आपका शासन है। यदि कहीं सबसे ज्यादा मिलावट होती है तो वह दिल्ली के बाजारों में होती है। यहाँ सबसे ज्यादा नकली चीज़ें मिलती हैं।

मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे संसद भवन में भी जो रेलवे डिपार्टमेंट का खाना आता है, उसमें भी मिलावट होती है और हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। ..(व्यवधान).. पिछली बार हमने सेंट्रल हॉल में खाना खाया और food poisoning हो गयी। यहाँ जो सी.जी.एच.एस. की दवाइयाँ हैं, वे भी नकली आ रही हैं। हम लोगों को नकली दवाइयाँ दी जा रही हैं। ..(व्यवधान).. हनुमंत राव जी, आप क्या बोल रहे हैं? ..(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): आपका समय नष्ट हो रहा है, आप बोलिए। आपके पास पाँच मिनट और हैं।

श्री गंगा चरणः सर, आपने वृंदा कारत जी को पाँच मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं। आप भेदभाव मत कीजिए। हम भी पाँच मिनट एक्स्ट्रा लेंगे।

सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मिलावट को कोई रोकने वाला नहीं है। जब हमने सारे दुधारू जानवरों की हत्या कर दी तो दूध कहाँ से आएगा? दूध जीवन के लिए एक ऐसी

चीज़ है कि बगैर दूध के कोई परिवार रह नहीं सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ, शहरों में तो जानवर पाल नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ रोक लगी हुई है तो शहरों में दूध की आपूर्ति कहाँ से होगी? जो दुधारू जानवर हैं, उनके protection के लिए सरकार कोई इंतजाम नहीं कर रही है।

(3g/NB पर क्रमशः)

NB/3G/5.25

श्री गंगा चरण (क्रमागत) : उनके लिए कोई चरागाह नहीं बनाए जा रहे हैं। जो चरागाह हैं, उनका अधिग्रहण करके फैक्ट्रियां बनाई जा रही हैं और चारों तरफ कंकरीट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री जी देश के बहुत बड़े नेता हैं और आपके पास बहुत बड़े-बड़े विभाग हैं। आपने किसानों का कर्ज़ा माफ करके, एक इतिहास रच दिया था। मैं कहना चाहता हूं कि आप एक नया इतिहास और रच दीजिए, चूंकि देश की अर्थव्यवस्था किसानों पर निर्भर है, इसलिए आप इस देश के दुधारू जानवरों का संरक्षण करिए, चरागाहों की रक्षा करिए और सरकार की तरफ से डेयरी फार्मों के लिए अनुदान दीजिए। मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूं कि मैंने एक गाय पाली। इस पर मेरे पड़ोसी ने कहा कि आप गाय नहीं पाल सकते, क्योंकि आपके घर से हमें गोबर की गंध आती है। मैंने उनसे कहा कि आपको गोबर की गंध बहुत बुरी लगती है, लेकिन आप जो यूरिया मिला हुआ दूध पीते हैं, नकली दूध पीते हैं, वह आम आदमी के शरीर को नष्ट कर रहा है, इसके बारे में आप कुछ नहीं सोचते हैं? तो यह एक मानसिकता बन गई है। मैं कहना चाहता हूं कि आप ऐसा प्रावधान करिए कि हर आदमी को एक दुधारू जानवर पालना पड़ेगा। आप इसके लिए कानून बना दीजिए कि हर परिवार को एक दुधारू जानवर पालना पड़ेगा। यदि कॉलोनी है, तो कॉलोनी का नक्शा तभी पास करिए जब उसमें डेयरी फॉर्म खोलने की भी व्यवस्था हो (व्यवधान)

श्री राहुल बजाज : क्या आपने BJP joinकर ली है?

श्री गंगा चरण: अब इसमें BJP join करने की बात कैसे आई? आप नकली दूध पी लेंगे, यूरिया वाला दूध पी लेंगे, लेकिन इसके लिए आप मुझे सांप्रदायिक कहेंगे? बजाज साहब, कम से कम आपको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए ... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): गंगा चरण जी, आप चेयर को address कीजिए। श्री गंगा चरण: मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे, जिनसे हम दुधारू जानवरों की रक्षा कर सकें। यह कोई धर्म का मामला नहीं है, यह किसी पार्टी का मामला नहीं है, यह हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सवाल है।

दूसरी चीज यह है कि जो मिलावटखोर हैं, उनके लिए हमें सख्त कानून बनाना पड़ेगा। जो दवाइयों और खाद्य सामग्री में मिलावट करते हैं, उनके लिए फांसी की सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, इससे कम सज़ा का प्रावधान नहीं होना चाहिए और इन मामलों के निपटारे के लिए Fast Track Courts का प्रावधान होना चाहिए, तािक 3 महीनों या 6 महीनों के अंदर ऐसे केसेज़ का फैसला हो जाए।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां वह sample जांच के लिए जाता है, वहां घोर भ्रष्टाचार है, इसलिए वहां सारी रिपोर्टें सामान्य हो जाती हैं। मेरी रिश्तेदारी में एक Food Inspector थे, उन्होंने सिंथेटिक दूध बनाने वाली एक डेयरी का sample लिया। चूंकि उस डेयरी का मालिक, एक बहुत बड़ा आदमी था, इसलिए उसने पुलिस से मिलकर, उस inspector को ही बंद करवा दिया। यह दिल्ली की घटना है। आज जो ईमानदारी से काम करे, उसे जेल हो जाती है और बेईमानों को पुरस्कार मिलता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर) : हमें जल्दी समाप्त करना है, इसलिए अब आप समाप्त कीजिए। मैं आपको २ मिनट का समय और दे रहा हूं।

श्री गंगा चरण: अब मैं PDS पर आता हूं। मैं अपने महान नेता, शरद पवार जी से यह कहूंगा कि वे कुछ महान काम और कर दें। वैसे कांग्रेसी बंधु तो आपको फंसाना चाहते हैं, वे लोग पीछे से कह रहे थे कि आपका तीसरा विभाग IPL का है। यह हम लोग नहीं कह रहे थे, आपके पीछे से ही आवाज़ आ रही थी ... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष जी, यह जो पेट की आग है, यदि यह नहीं बुझी और दिमाग में लग गई, तो यह सब कुछ जलाकर राख कर देगी। मैंने पहले ही कहा था कि आज माओवाद और नक्सलवाद बढ़ रहा है और आज़ादी के 60 सालों के बाद भी यदि हम गरीब को 2 जून की रोटी नहीं दे सकते हैं, तो हमारा सरकार चलाना व्यर्थ है।

(3H/VNK पर क्रमशः)

-NB/VNK-VKK/3h/5:30

श्री गंगा चरण(क्रमागत): उसके एक सप्ताह के बाद दंतेवाड़ा में इतनी बड़ी घटना घटित हुई थी। हम लोग अभी भी सचेत नहीं हो रह हैं। अपार दौलत स्विस बैंक में जमा कर रहे हैं और अपार दौलत अपने खजानों में भर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि गरीब को आपने दो जून की रोटी नहीं दी, तो यह दौलत बचने वाली नहीं है। यदि आप इसकी सुरक्षा चाहते हैं, तो गरीब के लिए दो जून की रोटी की व्यवस्था करें। ...(समय की घंटी)...। जो Food Security Bill आ रहा है, इसको जल्दी लागू कीजिए। Food Security Bill के लिए मेरे पास कुछ सुझाव हैं।

उपसभाध्यक्षः आपका समय समाप्त हो चुका है। आप समाप्त कीजिए।

श्री गंगा चरणः सर, मैं समाप्त कर रहा हूँ। जो बीपीएल कार्डधारक हैं, उनके लिए District Headquarter पर, तहसील हेडक्वार्टर पर और ब्लॉक हेडक्वार्टर पर मुफ्त भोजन की व्यवस्था करवाइए। इसके लिए आप NGOs की मदद लीजिए। यह सरकारी और NGOs की मिलीजुली व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कोई आदमी भूखा नहीं रह सके। गांव की न्याय पंचायत में जो स्कूल होता है, वहां भी बच्चों के साथ-साथ गरीब के लिए भोजनालय खुलना चाहिए। अभी जिस प्रकार शान्ता कुमार जी ने अपनी बात रखी कि कूपन सिस्टम होना चाहिए और दो रुपए प्रति किलो गेहूं, दो रुपए प्रति किलो चावल, दस रुपए प्रति किलो दाल उनको उपलब्ध कराई जानी चाहिए और सबसे बड़ी जो चीज है, वह यह है कि आप किसानों की सुविधाएं घटाते जा रहे हैं। Food Subsidy के लिए 55 हजार करोड़ रुपए है, FCI के लिए 10 हजार करोड़ रुपए है, इसी तरह Public Enterprises के लिए 56 हजार

करोड़ रुपए है ...(समय की घंटी)... मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप सारा पैसा, एक लाख करोड़ रुपए, किसानों को दे दीजिए।

उपसभाध्यक्ष(श्री तारिक अनवर)ः आप conclude कीजिए।

श्री गंगा चरणः सर, मैं conclude कर रहा हूँ। उसको अपनी बागवानी के लिए, अपने खेत की barricading के लिए, tube well लगाने के लिए, बिजली के कनेक्शन के लिए, मछली पालन के लिए, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आप सब्सिडी दे दीजिए और उस पर लेवी फिक्स कर दीजिए कि हम आपको दस हजार प्रति हेक्टेयर दे रहे हैं, लेकिन आपको हमें 25 परसेंट गेहूं पांच सौ रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से देना पड़ेगा। आप उनसे सस्ते दर पर अनाज, दाल, फल और सब्जी लीजिए और उनको गरीबों में बांटिए।

उपसभाध्यक्षः गंगा चरण जी, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री गंगा चरणः आप जब तक एग्रीकल्वर सैक्टर को develop नहीं करेंगे, तब तक इस देश की भूख मिटने वाली नहीं है। आप कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण करते चल जा रहे हैं और उस पर फैक्ट्रियां खड़ी करते जा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आप इसके लिए कानून बनाइए कि जो निवयों के किनारे की ravines वाली जमीन है, जो पथरीली जमीन है, जहां खेती नहीं होती है, जो उसर जमीन है, वहां फैक्ट्रियां लगाइए, वहां Colony बनाइए, लेकिन कृषि योग्य भूमि, जहां खेती होती हो, उसकी एक इंच भी जमीन का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। अगर आपने इसे नहीं रोका, तो आनेवाले दिनों में इस सवा सौ करोड़ की आबादी वाले देश को भूखमरी से कोई रोकने वाला नहीं है और नक्सलवाद तथा माओवाद को रोकने वाला कोई नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

(समाप्त)

SHRI S. ANBALAGAN (TAMIL NADU): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for permitting me to participate in the Discussion on the Working of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution on behalf of All India Anna Dravida Munnetra Kazagham. Sir, the Ministry of Consumer Affairs, Food and

Public Distribution is the nodal Ministry for taking corrective steps and containing prices of commodities such as foodgrains, pulses, edible oil, sugar, milk and vegetables. Market prices of all these commodities have sky-rocketed in the recent time. My question is: Should the Government not take steps to cut down the price of essential commodities? What is the reason, I don't know.

(Contd. By RSS/3J)

RSS/3J/5.35

SHRI S. ANBALAGAN (CONTD.): There is a Price Monitoring Cell in the Ministry which merely watches the price rise of essential commodities while people are facing severe hardship. Functioning of this Cell should be thoroughly reviewed and corrective steps should be taken by the Ministry. The present situation of price rise of food items benefits neither the farmers nor the consumers. Big traders are the only beneficiaries of the prevailing situation. In the name of liberalization, fixation of prices of even the essential commodities has been left to the market forces. The Government has systematically diluted the provisions of the Essential Commodities Act, which has given free hand to the middle men, such as wholesale traders and retail merchants to arbitrarily fix the prices of the essential commodities, such as foodgrains, pulses, edible oils, sugar, milk, vegetables etc. I request this House to look into the matter and make the Essential Commodities Act an effective instrument in controlling the prices of essential commodities.

In the Demands for Grants of the Department of Food and Public Distribution, a provision of Rs. 200 crores has been made for giving subsidy to the sugar mills for maintenance of buffer stocks of sugar. Last year, the sugar

production in the country was less and large quantity of sugar was imported to meet the demand. In such a situation, how were the buffer stocks maintained by the sugar mills? This should be explained by the Ministry. Moreover, there are complaints that the sugar mills could not properly maintain the stocks of levy sugar. If it is the case, why should they be given the responsibility of maintaining buffer stocks of sugar? The sugar production in the country witnesses periodic highs and lows as a cycle. During the years of bumper production, the Union Government encourages the export of all the excess sugar. No buffer stock is maintained, as is done in the case of wheat and rice. This is one of the main reasons for the abnormal price rise of sugar in the country. My request is that buffer stocks of sugar should be maintained by the Government agencies, such as, the Food Corporation of India.

A provision of Rs. 40.40 crore was made in 2009-10 for monitoring and research in foodgrains management and strengthening of the Public Distribution System. However, it was reduced to Rs. 14.60 crore at the revised estimate stage. I would like to know the actual expenditure in this regard. Again, a provision of Rs. 29.69 crore has been made for this purpose during this financial year as well. Strengthening of the PDS is an important area where the Government has to work with full vigour. They are unable to spend funds even on research in this area. Such a situation raises serious doubts about the credibility of the efforts made in this regard. I urge the Ministry to make concerted efforts for strengthening this system in the country.

Sir, a concept note on the proposed National Food Security Act was circulated in the month of June last year. This Act is very essential to entitle by

law each BPL family to a certain quantity of foodgrains each month at subsidized prices. I urge the Government to act expeditiously in the matter and introduce the Bill in the Parliament at the earliest.

(contd. by

3k)

MKS-SC/5.40/3K

SHRI S. ANBALAGAN (CONTD.): Sir, there is another important point. The enumeration of BPL families has not been done with right parameters. The present outdated parameter which is being applied to select BPL families should be dropped so that the gains of PDS can reach the targeted poor, Sir. Thank you, Sir.

(Ends)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): Thank you very much, Mr. Anbalagan. Shri N.K. Singh.

SHRI N.K. SINGH (BIHAR): Thank you, Sir. A lot of what I have to say today is more descriptive than prescriptive.

Let me begin by conceding really that the mismanagement of the overall price economics in this country may not be as salacious as the IPL scandal or, perhaps, as suspicious as the telephone-tapping scandal, but, certainly, in terms of its impact, it affects vastly a greater number of people than the other two issues on which the House has been engaged.

Let me also say, Sir, that when the hon. Minister, for whom I have great respect, assumed the office of the Minister in charge of Agriculture, Animal Husbandry, Consumer Affairs and Public Distribution, I felt that at long last,

these issues would get a holistic attention. I had, for a long time, Sir, when I was in Government, felt that, perhaps, the absence of an integrated approach, really, was one of the principal factors behind why the issue of price rise and consumer distribution could not get the kind of overall integrated attention which that Ministry needed. Unfortunately, whatever that expectation may have been, the fact remains, in line with what some of my other preceding speakers have said, that the issue of price rise has not received the kind of an integrated attention which the Prime Minister had enabled the Ministry to take considering that he joined together all fragmented parts of responsibilities for one unified approach. I concede, Sir, there is a Committee of Secretaries, under the Cabinet Secretary, which meets quite frequently and monitors prices. There is also a Cabinet Committee under the Prime Minister, which meets often. The Minister has created a Cell in the Consumer Affairs Department to do it. There is also a Board which does it. I do not want to go into the statistics of how many times each has met, whether the meetings have been coordinated or not, but the fact remains, Sir, that the Cell which the Minister created has become a statistical Cell. It had little ability to do long-term demand-supply projections; it has not been able to marry and symmetrise really domestic trends of production, international trends of production, and, in any case, Sir, unfortunately, is not empowered to take the vital decisions which are needed for the price management behaviour.

So, my first plea with him, Sir, is, looking at the fact that he has now integrated responsibility -- and I totally agree with Brindaji who paid compliments to his great ability to try and mismatch many multifarious

responsibilities -- would you want to have a look that the country should buy at the right time, you should cell at the right time, not buy when international prices are misallowing and not sell when the long-term or the medium-term trends in production do not allow. How can we have a better harmonization of food intelligence and management of short-term food economics where you maximize the gains with the viewpoint of the country? The Minister is fully capable of this.

My second broad point is, urge him, Sir, to decide. Decide on what? Decide on five important things: decide in respect of the Food Security Bill, which is an overarching consideration for the Social Securities Programme on the five important things which need to be decided. One, number of BPL families. Now, Wadhwa Committee - 20 crores; State Government estimates - 10.5 crores; Tendulkar Committee, which Planning Commission likes, - 9.25 crores; World Bank - 7.5 crores; Arjun Sengupta - 20 croes; N.C. Saxena - 12.5 crores; Planning Commission - 7 crores.

(Contd. by TMV/3L)

-MKS-TMV-MCM/3L/5.45

SHRI N. K. SINGH (CONTD.): Mr. Minister, please decide.

As regards the estimated bill on food subsidy, it is Rs.1,17,000 crores as per Wadhwa Committee, Rs.61,000 crores as per State Governments, Rs.54,000 crores as per Tendulkar Committee; Rs.44,100 crores as per the World Bank, Rs.1,17,000 crores as per the Arjun Sengupta Committee, Rs.73,500 crores as per the N. C. Saxena Committee and Rs.41,000 crores as per the Planning Commission. Please decide, Sir.

As regards the current allocation as per all these five parameters, a mere Rs.35,000 crores.

As regards the additional cost to meet the food requirements, Rs.82,000 as per the Wadhwa Committee, Rs.26,000 as per the State Governments, Rs.18,000 crores as per the Tendulkar Committee, Rs.8,600 crores as per the World Bank, Rs.82,000 crores as per the Arjun Sengupta Committee, Rs.38,000 crores as per the N.C. Saxena Committee and Rs.5,660 crores as per the Planning Commission. Please decide, Sir.

The next big issue which you have to decide is: What do you mean by poverty? It is as old, Mr. Minister, as the first time when this word was used by the Dadabhoy Naoroji Committee. When the first time the Congress used the word "poverty" it meant the minimal amount of nutrition which a person needs for survival. Since then all over the world it has been a trend of sophistication. The Supreme Court feels that the right to live is fundamental and if the people are healthy enough to be able to absorb the food, the food security does not mean anything. So, should food security imply a mere calorie intake or should it include vitamins, minimum amount of health, minimum access to clean drinking water and sanitation facility to be able to give a minimum dignity to life? What constitutes poverty? Please decide, Sir.

The next big thing for you to decide, Sir, is this. As we move on, apart from the scope of the Bill which, of course, we hope will be universal because the right to food is a universal right -- I agree in this with some of the critiques which you have made -- if you certainly wish to restrict it, please don't restrict the access to the public distribution system. Please make that universal even

when you begin to circumscribe your methodology and your definition to include one of your preferred models on which there has been so much debate.

The next thing, apart from poverty numbers and all that, which you need to decide is differentiated modality. There is a lot of debate on whether you are going to have a differentiated modality, treat some people who are getting a minimum access to food and people who are much poorer have got much larger access to food. There is a lot of public debate on it. Please decide, Sir.

The next big thing which you need to decide is revamping the Public Distribution System *versus* trying more innovative methods to be able to administer the food programme. I agree that you can't dismantle today's Public Distribution System (PDS) and that needs to be strengthened. That includes a whole slew of things. I need not go into it. It needs better laws. For instance, my good friend here has pointed out that at a time when the prices were going up, the conviction rates under the Essential Commodities Act were coming down. At a time, for instance, when the people were facing hardships, blackmarketeering, hoarding and such kind of things were really going up. It is not merely the responsibility of the State Government. If for debt recovery we can have a Fast Track Court, why can't we have a Fast Track Court when it comes to the administration of the Essential Commodities Act? So, I think, certainly the regulatory culture there needs to be substantially strengthened.

Beyond this, this is a slight variation of what Shrimati Brinda Karat, whom I admire, had spoken. I do believe that a time has come when we need to experiment with different models. I think, we certainly need to experiment on the issue of food coupons which can give the consumer a greater diversity of

choice, which can build a degree of competition when he goes to fair price shop and which enlarges the bouquet of the consumer choice. A time has come, Mr. Minister, when you may consider experimenting with the food coupon system like the Brazilian model about which Shanta Kumarji mentioned. The Brazilian programme is not only a familiar programme which covers the entire ambit of the anti-poverty programme but also hunger programme which is making a conditional availability of cash for purposes of buying food in a manner which we consider suitable. Brazil has found that it has been a very successful model. A time has come to do the treble things for strengthening the public distribution system by improving the regulatory framework and structure and being able to experiment more innovative ways to be able to bring in the fresh window and fresh culture based on best international practices.

(Followed by 3M/VK)

VK-GS/3M/5.50

SHRI N.K. SINGH (CONTD): These are challenging responsibilities. They have, Mr. Minister, remained in public domain and discussed for too long. The time has come and the compulsions have come to decide on the broader issue of poverty in which, in a country, which is deeply stripped of social security measures, a country where the social safely net is next to negligible, the only big social safety net which we are looking for is the Right to Food Programme. These six important critical decisions are pending. Please decide. Thank you.

(Ends)

श्री आर.सी. सिंह (पश्चिमी बंगाल) : सर, एक बात मैं समझ नहीं पाता हूं कि मेरी पार्टी का समय पांच मिनट ही क्यों होता है ?

श्री राजीव प्रताप रूडी: पार्टी के हिसाब से टाइम मिलता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर) : आपकी पार्टी छोटी है।

श्री आर.सी. सिंह: सर, हमसे छोटे दल का समय ज्यादा होता है।

उपसभाध्यक्ष : ऐसा नहीं है। पार्टी की स्ट्रेंथ के हिसाब से समय मिलता है। आपकी पार्टी का समय पांच मिनट का है।

श्री आर.सी. सिंह: सर, चाहे तेंदुलकर जी की कमेटी हो, चाहे सक्सैना जी की कमेटी हो, चाहे अर्जुनसेन गुप्ता जी की कमेटी हो, विभिन्न कमेटियों के माध्यम से, विभिन्न समय गरीबों का पैमाना अलग-अलग तरीके से आया हुआ है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम था, उसके माध्यम से भी, अगर थोड़ी राहत लोगों को मिलती थी, तो उसको भी डिसरेप्ट कर दिया गया। कुछ ऐसे लोग हैं, जो गरीबों में भी गरीब हैं, सक्सैना जी के हिसाब से करीब 20 प्रतिशत लोगों का राशन कार्ड नहीं है, इसलिए उनको न एपीएल की सुविधा है और न बीपीएल की सुविधा है। इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं कि उनको भी राहत मिल सके, जिनके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है।

सर, मैं समझता हूं कि सरकार अपनी इकनॉमिक लिबरल पॉलिसी के अंतर्गत सारी कार्यवाही कर रही है। जो फूड सिक्योरिटी लोगों को देने की बात है, सरकार उससे दूर भागती जा रही है, अर्थात उसे धीरे-धीरे अस्वीकार कर रही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि यह बुनियादी जरूरत है और इस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं, वे भी इससे महरूम रह जाते हैं, उनको राशन नहीं मिल पाता है, इसकी व्यवस्था भी सरकार की ओर से होनी चाहिए।

सर, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो बड़े हाउसेज़ हैं, सरकार उनको पांच लाख करोड़ का रिलीफ दे सकती है, लेकिन इस पीडीएस सिस्टम को सभी तक पहुंचाने के लिए एक

लाख करोड़ रुपया बजटरी सपोर्ट में, इमदाद में सरकार नहीं दे रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पीडीएस सिस्टम में उनको एक लाख करोड़ रुपये की सहायता मिले और पीडीएस सिस्टम को सबके लिए चालू कर दिया जाए, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके।

सर, मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारे देश में फूडग्रेन्स की कमी नहीं है, लेकिन इसकी वायदा बाजार के चलते आर्टिफिशियल कमी है। अगर वायदा बाजार को रोका जा सके, तो इस देश में फूडग्रेन्स की कोई कमी नहीं है, फूडग्रेन्स को कंट्रोल रेट पर आम लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, इसलिए इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। श्रीमती वृंदा कारत जी ने केरल की बात कही कि 85 परसेंट उनको जो राशन मिलता था, उसमें कटौती की गई। मेरा निवेदन है कि इस तरह की कटौती नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वहां पर सरकार कंट्रोल रेट पर दो रुपये किलो के हिसाब से राशन देती है, जो कि आम लोगों को मिलता है।

मैं एक बात शुगर के बारे में कहना चाहूंगा fair remunerative price of sugar के जिए यह उनको दी जाए और इसकी दर को ठीक किया जाए और उनसे लेवी सिस्टेमेटिकली ले ली जाए और पीडीएस सिस्टम के माध्यम से इसकी सप्लाई की जाए, तो इससे आम लोगों को राहत मिल सकती है। सर, सरकार ने यह ठीक निर्णय लिया था कि गांव में ग्रामीण बैंक खोलेंगे और विशेषकर ट्राइबल क्षेत्रों में स्थापित करेंगे। उस समय 4845 ग्रामीण बैंक खोलने की बात थी, जिसके माध्यम से लोगों को रिलीफ दी जा सकती थी या वहां पर प्रिक्योरमेंट की व्यवस्था की जा सकती थी।

(3एन/एएससी पर जारी)

ASC-RG/3N/5.55

श्री आर.सी. सिंह (क्रमागत): यदि सरकार इस बारे में ध्यान दे, तो मैं समझता हूं कि यह काम काफी आसान हो सकता है। आज शूगर के दाम इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, जब मंत्री महोदय कहेंगे तो कहीं फिर दाम न बढ़ जाएं, इस बात का डर लगता है। इसलिए इसको

ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट किया जाए और आम लोगों को पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम, PDS द्वारा दिया जाए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(समाप्त)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): Dr. Barun Mukherjee. Not present. Shri Kumar Deepak Das.

SHRI KUMAR DEEPAK DAS (ASSAM): Sir, thank you for giving me an opportunity to share my thoughts in this important discussion on the working of the Ministry of Food, Consumer Affairs and Public Distribution. The prices of essential commodities are increasing high day by day. The Central and State Governments, like the Assam Government, has failed to prepare an effective road map for the arrest of future hike. It is due to the absolute lethargic attitude of the Government to Public Distribution System. The businessmen often go in for hoarding of PDS items. The Fair Price Shops are not under control. They are having their quotas of sugar and kerosene; they hoard them to earn more. There are not even any periodical checking systems of Fair Price Shops by the departmental officers concerned. Ration card holders never get information about the availability of PDS items. Again, most of the traders, who are approved by the Government, do not display the stock position of such items. In every district, authorities are getting short supply of the items of the Food Corporation of India. And, whatever it supplies, it is not timely. There must be a system of buffer stock of PDS items in every FCI godown. The concerned Ministry has failed to understand that PDS is an important measure to protect the poor against inflation and to keep the price of essential commodities under check. It must ensure regular supply of essential commodities at reasonable

prices. The Government arranges import of edible oils for their distribution through Fair Price Shops, because production of such items is not adequate. The Government should also take more effective steps to promote and support PDS and strengthen the consumer protection movement.

An estimated population of 30.17 crores is living below the poverty line, out of which 22.09 crores of people are in rural areas. Assam's position in terms of BPL population stands at 36.09 per cent against the national average of 26.1 per cent in 1999-2001. On the other hand, Assam's per capita income is the lowest. In 1998-99. Assam had a per capita income of Rs.8,700 against the national average of Rs.14,712. We need special attention from the Centre in this regard so that the common people get more facilities and more opportunities to lead their lives perfectly.

In order to provide support to the farmers in marketing their produce, the Government should address the issue of opening of retail trade. It will help in bridging down the considerable difference between farmgate, wholesale and retail prices. But the Government, on the other hand, has given an opportunity to engage the multinational companies in the retail trade. (Continued by 30)

TDB-LP/30/6.00

SHRI KUMAR DEEPAK DAS (CONTD.): That is not understandable to us. Sir, what I feel is, the Government has failed to understand better the nature of the problems and respective roles to be played by the Government of India and the State Governments in containing the price increase. The Government has failed

to better targeting and strengthening the PDS, better procurement, and better off-take of the commodities.

Sir, there is need to implement agricultural market reforms. The Government has failed to involve cooperatives and other institutions to reduce the gap between wholesale and retail prices, in true sense to stabilize prices. Sir, there is a need to amend the Essential Commodities Act of 1955 and properly implement it. There is also a need to take some effective steps to stop illegal hoarding. Sir, I urge upon the Government to take steps to bring out the hoarded stocks, and make it available to the common people at reasonable prices. Sir, with these few words, I conclude my speech. Sir, I thank you very much for having given me the opportunity to speak on this subject. (Ends)

श्री वी. हनुमंत राव : सर, कल भी सात बजे तक बैठे थे, अभी छह बज रहे हैं..(व्यवधान)..

डा. राम प्रकाश : खाली बेंचेज के सामने बात करने का क्या फायदा।.(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर) : अभी पांच-छह स्पीकर्स हैं।

डा. राम प्रकाश : सर, पांच-छह स्पीकर का क्या मतलब है, अभी सदन एक हफ्ता चलेगा ..(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष : आज सभी स्पीकर्स बोल लेंगे, मिनिस्टर का रिप्लाई मंडे होगा। चार-पांच स्पीकर्स हैं, ये खत्म कर लेंगे। ..(व्यवधान)..आप बैठिए। डा. राम प्रकाश जी।

--

 $[\]ensuremath{^{*}}$ Pp 673 Onwards will be issued as a Supplement.

TDB-LP/30/6.00

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (CONTD.)

डा. राम प्रकाश (हरियाणा) : श्रीमन्, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की गई थी। केंद्रीय सरकार पी.डी.एस. के माध्यम से गरीबों को सस्ता अनाज मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों को भारी सब्सिडी देती है, लेकिन फेयर प्राइस दुकानों के बेईमान मालिकों, भ्रष्ट अधिकारियों, इन दुकानों तक माल ढोने वालों, तंग करने वाले ट्रांसपोर्टर्स ने और सिद्धांतहीन मिल मालिकों ने इस सिस्टम को तहस-नहस कर दिया है। भारी मात्रा में खाद्यान्न ब्लेक मार्किट में बिक रहा है। एफ.पी.एस. डीलर, पी.डी.एस. डीलर और खाद्य विभाग के कर्मचारियों में मिली-भगत है। सही रिकॉर्ड नहीं रखे जाते हैं, रिजस्टर में झूठी एंट्रीज होती हैं तथा राजनैतिक लोग भी दखलंदाजी करते हैं। इस प्रकार उपभोक्ता तक न अच्छा खाद्यान्न पहुंचता है और न ही पूरी मात्रा में खाद्यान्न पहुंचता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायमूर्ति वधवा पैनल के अनुसार पी.डी.एस. पूरे तौर पर चरमरा चुका है। राजस्थान, झारखंड में स्थिति बहुत नाजुक है, बिहार में महीने का राशन तीन-चार महीने के बाद मिलता है, गुजरात में एफ.पी.एस. डीलर्स को अफसरों को रिश्वत देनी पड़ती है, उत्तराखण्ड में अनाज महंगे भाव पर दिया जा रहा है तथा उड़ीसा में राजनीतिक हस्तक्षेप है। जस्टिस वधवा के अनुसार ऐसी स्कीम को जारी रखना अपराध है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में ..(व्यवधान)..

श्री राजीव प्रताप रूडी: राम प्रकाश जी, दिल्ली और अन्य प्रदेश, जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, उनका नाम भी लेंगे तो अच्छा लगेगा।

डा. राम प्रकाश: सभी का नाम लेंगे, मैंने आपको कुछ नाम दिए हैं, जो उन्होंने कहे हैं। उनको दिया जाने वाला हजारों,करोड़ों रुपया बी.पी.एल. परिवारों को न मिलकर काला बाजारियों, बिचौलियों और भ्रष्ट अफसरों की भेंट चढ़ रहा है। इसमें आमूलचूल सुधार की आवश्यकता है, अन्यथा खाद्यान्न सुरक्षा का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा। इस नाते मेरे कुछ

सुझाव हैं। सर्वप्रथम डिपो होल्डर्स की स्थिति सुधारनी चाहिए, क्योंकि यह गरीब तक पहुंचने का माध्यम है। अकेले हरियाणा में लगभग दस हजार डिपो होल्डर्स हैं। सारे भारत में लाखों हैं। तमिलनाडु और त्रिपुरा में वितरण भत्ता, अन्न भंडारण मे लिए मकान का किराया आदि लगभग

दस हजार रुपया इन लोगों को मिलता है।

(akg/3p पर जारी)

AKG-KGG/3P/6.05

डा. राम प्रकाश (क्रमागत): लेकिन कई प्रदेशों में यह केवल एक हजार रुपए है। अलग-अलग प्रदेशों में गेहूँ, मिट्टी के तेल, आदि पर कमीशन अलग-अलग है। इसे एक समान नहीं, तो तर्कसंगत जरूर बनाया जाए, अन्यथा खाद्यान्न black में बिकता रहेगा और डिपो होल्डर उससे अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकेगा।

दूसरा सुझाव यह है कि इस विषय पर एक अध्ययन कमेटी बनाइए, जो सब प्रदेशों के PDS का अध्ययन कर सिस्टम में किमयाँ और अच्छाइयाँ बताए। जो healthy practices हैं, वे लागू किए जाएँ।

तीसरा सुझाव है कि खाद्य सामग्री प्रति व्यक्ति के हिसाब से दीजिए, न कि प्रति परिवार के हिसाब से। गेहूँ के बजाय आटा देने पर विचार किया जा सकता है। Black का गेहूँ store हो सकता है, आटा store नहीं हो सकता। भण्डारण की क्षमता बढ़ाने पर भी विचार करने की जरूरत है। भण्डारण के नए तरीके इस्तेमाल करने चाहिए, तािक गेहूँ तीन साल के बाद भी खाने के कािबल रह सके। हरियाणा और पंजाब में गेहूँ और धान की खरीद पूरे देश का लगभग 80 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में भी कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। पंजाब और हरियाणा का पूरा माल नहीं उठ रहा है। इसलिए सर्वत्र भण्डारण क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। इस समय पंजाब की भण्डारण क्षमता 184 लाख मीट्रिक टन है और हरियाणा की 94 लाख मीट्रिक टन है। PDS के अधीन जितना खाद्यान्न

प्रान्तों को देना तय हुआ है, प्रान्तों ने उससे कम उठाया है। 20 अप्रैल को लोक सभा में जो आँकड़े दिए गए, वे इस बात को स्पष्ट करते हैं कि आवंटन अधिक और उठान कम रहा है।

मेरा अगला सुझाव यह है कि उपभोक्ता की पहचान के लिए biometric system लागू किया जाए। खाद्यान्न बाँटने के लिए biometric system, अर्थात् जैवगुण प्रणाली के जिरए राशन की वस्तुएँ देने पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। दिसम्बर 2008 से हरियाणा में smart card आधारित सुपुर्दगी प्रणाली को मंजूरी दी गई है। इसमें राशन कार्ड धारक परिवारों के वयस्क सदस्य जैविक गुण smart card में होंगे। The smart card will contain biometric features of adult members of the ration card holder families. इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

अगली बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि BPL परिवारों की पहचान का तरीका बदलिए। देश की जिस तरह की भद्दी तस्वीर देने का प्रयास किया जाता है, न तो उतनी गरीबी है और न स्थिति संतोषजनक है। स्थिति दोनों के बीच में है। ऐसे मकान, जिन पर BPL परिवार लिखा हुआ है, उनके अन्दर ट्रैक्टर खड़े हैं। मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ। पक्के मकान हैं। इसलिए केलोरी के आधार पर BPL परिवार को निश्चय करने के मापदण्ड को बदल कर आप कोई और मापदण्ड बनाइए। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। जिसका मकान पक्का हो, जिसके दो कमरे पक्के हों, उसका नाम BPL से काट दीजिए। जिसके पास मोटरसाइकिल हो, ट्रैक्टर हो, उसे काट दीजिए। आपके आँकड़े पूर्ण तौर पर भ्रान्ति पैदा करने वाले हैं, जिनकी वजह से सारी स्कीम तहस-नहस हो रही है। यदि प्रयास करने पर भी सिस्टम न सुधरे, तो इस सिस्टम को समाप्त कर उपभोक्ता को food coupons या सीधे subsidy दी जानी चाहिए, तािक वह हर महीने निर्धारित दुकानों या open market से अनाज खरीद सके। इससे बिचौलियों से छुट्टी मिलेगी। इस प्रकार PDS को subsidized भाव पर खाद्यान्न नहीं मिलेगा, बल्कि PDS store कूपन ले लेंगे और फिर स्थानीय बैंक में जमा करा कर उसके बदले में धनरािश लेंगे। उपभोक्ता किसी भी store से खाद्यान्न लेने के

लिए स्वतंत्र होगा। इससे PDS stores को अच्छा अन्न उपलब्ध कराना पड़ेगा, नहीं तो वे इस दौर के अन्दर पीछे रह जाएँगे।

(अक्यू/एससीएच पर जारी)

SCH/6.10/3Q

खॉ. राम प्रकाश (क्रमागत): मैं एक बात इस देश में अन्न के उत्पादन के बारे में कहना चाहता हूं। जीन संवर्धित बीजों की जो बात की जा रही है, उससे हमारी जैव सम्पदा पूर्ण तौर पर नष्ट हो जाएगी। हमारे अपने बीज नहीं रहेंगे। हम मल्टीनैशनल कंपनियों पर आश्रित हो जाएंगे। जब हमारे पास अपने बीज नहीं होंगे, हमें बाहर की कंपनियां बीज देंगी, ऐसे में अगर वे गेहूं का बीज समय पर नहीं देंगे, तो हम गेहूं की फसल नहीं बो पाएंगे। हमारा किसान केवल मजदूरी करता रह जाएगा। हमारे यहां अनाज का संकट पैदा हो जाएगा। मैं एक बात समझता हूं कि कुछ चीज़ों का इस्तेमाल विदेशी लोग अपने खाद्य पदार्थ के तौर पर नहीं करते, जैसे बीटी बैंगन है। अमरीका में इसे इन्सान नहीं खाता, यूरोप में इसे इन्सान नहीं खाता, यह केवल मात्र उन पशुओं को खिलाया जाता है, जिनको मार कर वे उसका मांस इस्तेमाल करते हैं। अगर हम हिन्दुस्तानियों को भी वे गिनिपिग मान कर उनके ऊपर एक्पैरिमैंट करना चाहेंगे, तो यह गलत होगा।

अभी बिहार में क्या हुआ? एक कंपनी ने मक्का का बीज दिया, उससे हरा पौधा तो खड़ा हो गया, लेकिन उस पौधे के ऊपर दाना नहीं आया। वहां की सरकार ने किसानों की भरपाई की, लेकिन मैं कहता हूं कि सरकार उसकी भारपाई क्यों करे? जिस कंपनी ने बिना तजुर्बा और बिना प्रयोग किए लोगों को वह बीज दिया है, उस कंपनी के ऊपर इस बात की सजा होनी चाहिए। हम उसे सजा देते नहीं हैं, उसे तो बचा लेते हैं, लेकिन जिस गरीब आदमी का पैसा हमारे यहां टैक्स के रूप में आता है, वह सजा पाता है। हम नये बीजों का अनुसंधान करें, हिन्दुस्तान की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ अनुसंधान करें, ताकि बीज के बारे में हमारी आत्मनिर्भता बनी रहे।

मैं अपनी बात लम्बी नहीं करना चाहता हूं। यहां पर शुगर के बारे में भी काफी बात हो रही है। पहले इस देश में शंकराचार्यों की चर्चा होती थी, लेकिन आज इस देश में शक्कर आचार्यों की चर्चा होती है। गरीब के साथ जुड़ा हुआ जो महकमा है, उसमें गंभीरता के साथ हमें आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रदर्शित करता हूं। धन्यवाद।

(समाप्त)

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): श्री राजीव प्रताप रूडी जी, आप कम समय लें क्योंकि हम 6.30 बजे तक समाप्त करना चाहते हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी (बिहार): आप जैसी आज्ञा दें।

उपसभाध्यक्षः अपनी बात कुछ संक्षेप में रखें। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आपके पास समय नहीं है, लेकिन जितना जल्दी समाप्त कर सकें, उतना अच्छा है।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, सदन में सभी सदस्यों ने बहुत विस्तार से जन वितरण प्रणाली, विपणन व्यवस्था और इस मंत्रालय के बारे में भी चर्चा की। मैं इससे थोड़ा हट करके कुछ भिन्न बोलना चाहूंगा।

महोदय, पिछले कई माह से हम लगातार महंगाई के बारे में चर्चा करते रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आजकल इस देश के लोगों या राजनेताओं में महंगाई के प्रति कोई संवेदना ही नहीं रही है, एक प्रकार से सब कुछ समाप्त हो गया है। इसलिए आवश्यक हो गया है कि हम लोग उस परिभाषा को अब कुछ दूसरी दिशा में लेकर जाएं। जब हम महंगाई की बात करते हैं तो देश के लोगों को सामान्य प्रतीत होता है कि महंगाई तो जीवन का एक भाग है और एक सामान्य सी बात है। महंगाई के प्रति जो पीड़ा दिखनी चाहिए, वह नहीं दिखती है। तब आखिर इस विषय को हम लोग कैसे आगे लेकर जाएं? इसी चर्चा के साथ आज आपके सामने मैं कुछ विषय रखना चाहूंगा।

कहीं न कहीं महंगाई, गरीबी और विपणन आपके विभाग के ही अंग है। इस विषय को मैं इसलिए रख रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि लगातार हम लोग गरीबी के बारे में यह

बात करते हैं कि इस देश में कौन गरीब है। कई बार हम सभाओं में जा कर या पढ़े-लिखे लोगों के बीच भी इस विषय पर बात करते हैं। अभी थोड़े समय पहले मैं कुछ आईपीएस प्रोबेशनर्स के बीच बैठकर उनको कुछ लैक्चर दे रहा था, उस समय मैंने उनसे गरीबी की चर्चा की। मैंने उनसे पूछा कि हम लोग रोज़ यह चर्चा करते हैं कि गरीब कौन है और रोज़ हम यह कहते हैं कि देश में गरीबी है, लेकिन आखिर गरीबी है क्या? उस चर्चा में सरकार की परिभाषाएं भी आईं। जब हम गरीबी की बात करते हैं, तो हम उस गरीब के मकान की बात नहीं करते हैं, उसके स्वास्थ्य की बात नहीं करते हैं, उसके यातायात की बात नहीं करते हैं, उसकी छत की बात नहीं करते हैं, लेकिन यह बात करते हैं कि वह कितना पेट भर करके जीवन चला सकता है। इसके आलावा कुछ और बात नहीं करते हैं। उसमें भी जब जोड़-तोड़ कर यह देखते हैं कि एक इंसान कैसे जी सकता है, तो सरकार ने आंकड़ा लगाकर बताया कि जिसे ग्रामीण क्षेत्र में दिन भर में 2400 कैलोरी खाने को मिल जाए और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी मिल जाए, वह गरीबी रेखा के नीचे है और इससे ऊपर कैलोरी पाने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के ऊपर है।

(3r-psv पर जारी)

-SCH/PK-PSV/3R/6.15

श्री राजीव प्रताप रूडी (क्रमागत): सर, इस 2400 कैलोरी की कीमत क्या है, यह सबसे बड़ी बात है। अगर हम इसे देखें तो पाएँगे कि इस 2400 कैलोरी की कीमत शहरी क्षेत्र में 19 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 15 रुपए है। सरकार स्वयं वर्षों से यह कहती आ रही है कि इस देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 25 करोड़ लोग हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग एक-चौथाई लोग 15 रुपए या 17 रुपए से कम में जीते हैं। महोदय, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि 25 करोड़ लोगों में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो एक रुपया, दो रुपए, तीन रुपए या पाँच रुपए में भी जीते हैं। यह संख्या उन 25 करोड़ लोगों की है, जिनकी चर्चा हम नहीं कर पाते हैं। महोदय, हम तो सिर्फ इसको परिभाषित कर रहे हैं, क्योंकि जब हम रोज गरीबी की बात करते हैं और जब 15 रुपए में आधा लीटर दूध भी ढंग से नहीं मिल पाएगा, तो

एक इंसान अपने परिवार को 12 रुपए, 15 रुपए या 10 रुपए में कैसे चलाएगा? इस देश में आजादी के 60 वर्ष बाद भी आज 25 करोड़ लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 15 रुपए, 12 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए या 2 रुपए होगी। इनमें कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्हें एक रुपया की भी आमदनी नहीं होती होगी। ये वही लोग हैं, जिनके बारे में हमारे पुराने मंत्री श्री शान्ता कुमार जी ने कहा कि वे स्लेट खाते हैं और उनमें से बहुत से गरीब लोग ऐसे भी हैं जो पत्ते खाते हैं। मैं नहीं समझता कि इस सदन में हमारे जैसे लोगों के बोलने से कितना प्रभाव पड़ेगा।

सर, सारी दुनिया इसको परिभाषित करती है। हम लोगों ने एक गरीब की आमदनी शहरी क्षेत्र में साढ़े चार सौ रुपए महीना और देहाती क्षेत्र में सवा तीन सौ रुपए महीना निर्धारित की। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ऐसे 25 करोड़ लोग हैं। अब हम इससे आगे बढ़ें। इस बारे में विश्व बैंक क्या कहता है? वह पहले इसके लिए एक डॉलर कहता था। एक डॉलर का मतलब 42 से 45 रुपए हुआ। यानी जिसकी आमदनी 42 से 45 रुपए से कम हो तो वह गरीबी की रेखा के नीचे है। विश्व बैंक ने भी उस परिभाषा को बदल कर कहा कि अब यह एक डॉलर 20 सेंट है। उस हिसाब से अब इस देश में 60 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। उनकी जो नई परिभाषा आने वाली है, वह 2 डॉलर की है। अगर इसे दो डॉलर कर दिया जाए तो इस देश के 80 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं।

महोदय, इस देश में गरीबी की परिभाषा क्या है? दूसरे देशों में जब हम गरीबी की बात करते हैं, तो वह गरीब कौन है? वहाँ गरीब एक ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में गरम पानी जाता है, जिसके सर के ऊपर छत है, जिसके पास इंश्योरेंस का पैसा है, जिसके पास शौचालय है, जिसके पास स्वास्थ्य की सुविधाएँ हैं और इन सब सुविधाओं रहने के बाद भी उस देश के लोग आकलन करते हैं कि इसके बाद गरीब कौन है। हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई मानक नहीं है। यहाँ गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों में vulnerable section कौन है? वे शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं। इन 25 करोड़ लोगों में सबसे vulnerable section कौन हैं? इसमें 51 प्रतिशत लोग शैड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं, 47 प्रतिशत लोग शैड्यूल्ड कास्ट्स के हैं, 50

प्रतिशत शहरों में काम करने वाले urban labourers हैं और 47 प्रतिशत देहात में काम करने वाले मजदूर हैं। इस प्रकार अगर इन आँकड़ों से गरीब के भीतर गरीब की पहचान की जाए तो आज इस देश में कोई भी सामान्य राजनेता सर उठा कर नहीं चल सकता।

महोदय, अब जिस तरह से हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, उसको देखते हुए 2020 तक हमारी संख्या लगभग 1.5 बिलियन के आसपास पहुँच जाएगी और उसके बाद 2050 तक दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी हमारे देश की हो जाएगी। एक तरफ यह तो हो ही रहा है। हमारा देश कमाल का है। शरद पवार जी मुम्बई में रहते हैं। आज दुनिया का चौथा सबसे अमीर व्यक्ति भारत का मूल निवासी है। इस संबंध में हम मित्तल साहब की भी चर्चा करते हैं। दुनिया का पाँचवाँ सबसे अमीर आदमी, मुकेश अंबानी, हमारे भारत का ही निवासी है। दुनिया का छठा सबसे अमीर आदमी, अनिल अंबानी, भारत का ही है। अगर उसके बाद इसकी सूची देखी जाए तो दुनिया का छठा सबसे अमीर आदमी, भारत में, के0पी0 सिंह जी हैं। दुनिया के 52 सबसे अमीर लोग ऐसे हैं, जो billionaires हैं। उस चित्र के लिए कई बार सदन में चर्चा भी होती है। यहाँ कई लोग उनकी बात करते हैं, लेकिन इन 25 करोड़ लोगों की आवाज उठाना और इस सदन की संवेदना जगाना बड़ा कठिन है। अगर उन्हें कोई पीड़ा हो, उन पर टैक्स की कोई कटौती हो, उनके विस्तार का कोई कार्यक्रम हो या उनके लिए सरकार में-- मैं उस पर अधिक चर्चा करना नहीं चाहूँगा। इस सब के बाद अगर इस परिभाषा को छोड़ भी दिया जाए, क्योंकि यह परिभाषा तो सरकार मान कर चलती है। यदि इस परिभाषा पर 19 प्रतिशत महँगाई लाद दी जाए तब इस देश का क्या होगा, इस देश के गरीब का क्या होगा और इस देश के गरीब के बारे में चर्चा कौन करेगा?

माननीय मंत्री जी, आप तो हमसे बहुत बड़े हैं। अभी सदन में पीठासीन उपसभाध्यक्ष महोदय जिस पार्टी से हैं, उस पार्टी के आप अध्यक्ष हैं। आपका बड़ा अनुभव है। आप जिस उम्र में हैं, उसे देखते हुए मैं आपका बेटा-तुल्य होउँगा और आपके परिवार के लोग मेरी ही उम्र के होंगे।

(अएस/डी०एस० पर क्रमशः)

-PSV/DS-PB/3s/6.20

श्री राजीव प्रताप रूडी (क्रमागत): पता नहीं आपको इन 60 वर्षों में इस देश की राजनीति देखने के बाद कैसा लगता है। मैं तो बिहार में विधायक था और विधायक के बाद सांसद बना। मेरा लगभग 22 वर्षों का active political career है। हालांकि मैं कुछ अंग्रेजी टीवी चैनल्स पर जाकर बोलता हूँ, लेकिन में ठेठ बिहार से आता हूँ और उस माहौल में ही पल-बढ़ कर यहाँ आया हूँ। इस देश में 40-50 वर्षों की राजनीति को देख कर पता नहीं आपको कैसा लगता है, मैं तो अब अपने आपको नाकामयाब मानता हूँ। इस देश के प्रत्येक दिन की घटना को देख कर मुझे यह लगता है कि हमारे जैसे लोग अब इस देश में कुछ नहीं कर सकते हैं। पता नहीं आपको कैसा महसूस होता है, क्योंकि इस देश की विफलता के बड़े कारण इस देश के राजनेता और राजनीति हैं। We have failed the nation. Irrespective of what we may talk today, the country has been failed by the political set-up. मैं बीजेपी या कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। But the country at some point of time has to realize that this political set-up, this political system, we as politicians, have certainly failed. आज इस देश में जहाँ 60 करोड़ लोग खाना खाने को मोहताज हों, वहाँ इस लोकतंत्र पर एक बडा प्रश्नचिन्ह खडा होने वाला है। वह प्रश्नचिन्ह खड़ा हो चुका है, चाहे वह हमें दिख नहीं रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में इन सारे सवालों के जवाब इस देश की जनता निश्चित रूप से मांगेगी। हम यहाँ इस सदन में बैठकर अगर इस विषय पर आंसू न बहाते हों तो यह आश्चर्य का विषय है। आज कितने घरों और जगहों में गरीबी की अलग-अलग परिभाषा है। महोदय, मैं गरीबी पर ही बात करूंगा। मैं महंगाई को छोड़ देता हूँ, उस पर आपको जो भी करना है करें। मैं गरीबी की बात कर रहा हूँ। गरीबी इस देश के लिए संकट है। यह दूसरी बात है कि हमारी जो भी नीतियाँ हैं, सरकार में रह कर हम लोग जो भी नीतियाँ बनाते हैं, आज हम गरीबों को लगभग 52000 करोड़

रुपये सब्सिडी के रूप में देने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन यह चलने वाला नहीं है। हम यह कब तक चलाते रहेंगे?

अब आप यह देखिए कि वर्ल्ड बैंक ने famine का किस तरह से definition दिया है। Famine की परिभाषा के रूप में वह कहता है कि अगर शरीर का BMI 18 प्रतिशत से कम हो और जिस देश में ऐसे 40 प्रतिशत लोग हों, वह देश गरीब है और भारत उस परिभाषा में आता है। यहाँ BMI इतना कम है कि देश की 90 प्रतिशत जनता को हम अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा में गरीब मानते हैं। इन 60 वर्षों में हमारी यही उपलब्धि रही है। आप इस देश की विडम्बना, गरीबी, के आंकड़े को देखिए। प्लानिंग कमीशन कहता है कि हमारे यहाँ 28 प्रतिशत, यानी लगभग 28 करोड़ लोग गरीब हैं। इस सदन में एन.सी. सक्सेना की जो रिपोर्ट आयी थी, वह कहती है कि इस देश में 50 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। अर्जुन सेनगुप्ता की जो रिपोर्ट थी, जिसमें 20 रुपये को मानक माना गया था, वह कहती है कि इस देश में 77 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तेंडुलकर समिति की रिपोर्ट कहती है कि 37 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित वाधवा समिति के विषय पर जाएँ तो उसने यह कहा कि लगभग 70 प्रतिशत लोग इस देश में गरीबी रेखा के नीचे हैं। आखिर हम क्या मानें? गरीबी की कितनी परिभाषाएँ हैं? दुनिया भी यह मानती है कि हम गरीब हैं, लेकिन इसके लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं, यह अपने-आप में एक बडी चिन्ता का विषय है।

मैं सरकार के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन यूपीए-। से यूपीए-॥ के बीच में, पिछले मात्र पांच वर्षों में खुद सरकार के जो आंकड़े हैं, चाहे हम उसे यह कहें कि आपने गरीबी की परिभाषा बदल दी है, इसलिए यह परिवर्तन है, लेकिन पिछले मात्र पांच वर्षों में देश के 10 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले आये हैं। हम जिस 7 प्रतिशत और 9 प्रतिशत के विकास की बात कर रहे हैं, पिछले पांच वर्षों में आपके आंकड़ों के अनुसार इस देश में लगभग 100 million people have come below the poverty line. Who is going to answer all this? And

this is happening. Irrespective of Governments, it is happening again and again, and there is no check on it.

महोदय, आप कृषि मंत्री हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि एक तरफ जहाँ भूख की बात हो रही है, जहाँ उत्पादन की बात हो रही है, जहाँ कृषि क्षमता विस्तार करने की बात हो रही है, हमारा विस्तार लगभग 7 प्रतिशत है, लेकिन कृषि क्षेत्र में हमारा विकास केवल एक से दो दशमलव में होता है। गुजरात के मुख्य मंत्री की चर्चा करने में हमें किठनाई होती है। पता नहीं आपके मन में क्या भावना है, लेकिन इस देश में एक राज्य का मुख्य मंत्री ऐसा भी है जिसने अपने यहाँ कृषि की विकास दर को 9 प्रतिशत पर पहुँचा दिया है। हमें इस नमूने को स्वीकार करना चाहिए, उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि आपने यह कैसे कर दिया है? यदि इस देश की भूख को मिटाना है तो आखिर उससे बात करने में क्या किठनाई है? उससे बात करके पूछने में क्या किठनाई है कि साहब, आपने तो वह कर दिखाया जो हमने पिछले 60 वर्षों में नहीं किया। यह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई उपदेश दे रहा हूँ, लेकिन इस देश में जहाँ सच्चाई देखने को मिले, उसे स्वीकार करना चाहिए।

महोदय, हम चीन से तुलना करें। चीन में लगभग 100 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र है।

<u>(3t/NB पर क्रमशः)</u>

NB/3T/6.25

श्री राजीव प्रताप रूडी (क्रमागत): वहां का उत्पादन 400 मिलियन टन है। हमारे यहां कृषि क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 146 मिलियन हैक्टेयर है और हमारे यहां उत्पादन 250 मिलियन टन है, आखिर ऐसा क्यों है? चीन के पास ऐसा कौन सा हुनर है, वहां के लोग हमसे किस मामले में बेहतर हैं कि वहां की उत्पादकता और हमारी उत्पादकता में इतना फर्क है? उनके सामने भी वैसी ही चुनौतियां हैं, जो हमारे सामने हैं। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इन विषयों को जरूर देख रहे होंगे।

उपसभाध्यक्ष जी, मंत्री जी हमेशा FCI के बारे में बात करते हैं। FCI के बारे में लगातार चर्चा हो रही है। अभी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पंजाब और देश के विभिन्न स्थानों पर जाकर देखा कि 72 लाख टन खाद्यान्न बाहर पड़ा हुआ है। इस देश में गेहूं का मंडारण लगभग 183 लाख मीट्रिक टन है, उसमें से 80 लाख टन गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। आज़ादी के 60 वर्षों के बाद, भुखमरी के सवाल पर, गरीबी के सवाल पर, भंडारण की व्यवस्था के सवाल पर यह हाल सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इस पर चर्चा करने की स्थिति में नहीं हैं। जो पुराना खाद्यान्न सड़ जाता है, खराब हो जाता है, उसको हटाने के लिए, उसको dispose off करने के लिए ही सरकार को 3 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है। आखिर इन सब बातों का जवाब कौन देगा? हमें लगता है कि मंत्री जी भी इन चीजों को महसूस करते होंगे।

महोदय, कलकत्ता के बंदरगाह पर तथा Tuticorin Port पर दालें पड़ी हुई हैं। करीब 40,000 क्विंटल दालें कलकत्ता के बंदरगाह पर पड़ी हुई है, इसी प्रकार से Tuticorin Port पर 40,000 क्विंटल? pulses पड़ी हुई हैं। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि 1997 से लेकर 2007 तक इस देश में लगभग 10 लाख टन खाद्यान्न सड़ गया और यह 10 लाख टन खाद्यान्न एक वर्ष तक, एक करोड़ लोगों को खिला सकता था। यह तो निरंतर हो रहा है कि एक तरफ हम भुखमरी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार से अनाज सड़ रहा है, चाहे इसके जो भी कारण हों। आज सरकार के अपने आंकड़े हैं कि लगभग 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान केवल खाद्यान्न के सवाल पर हो रहा है - खाद्यान्न के रख-रखाव में, खाद्यान्न के transportation में, खाद्यान्न की सुरक्षा में, खाद्यान्न को preserve करने में। हमारे देश का बजट साढ़े सात लाख करोड़ रुपए का है और उसमें से लगभग 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान केवल खाद्यान्न के मामले में हो रहा है। अगर सरकार इसे स्वीकृति देती है, इसे चलने देती है, तो कभी न कभी देश के लोग इस पर सवाल उठाएंगे, यह राजनीतिक पार्टियों का काम नहीं है।

महोदय, मैं दो-तीन बातों की ओर आपका ध्यान केन्द्रित करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप बजट बनाते हैं, उसमें सभी चीजों का ध्यान रखते हैं और जहां तक आपके मंत्रालय के बजट का सवाल है, जो आपके मंत्रालय का बजट था, food production से संबंधित बजट था, उसमें जो total subsidy थी, अभी तक वित्त मंत्रालय ने जो total subsidy स्वीकृत की थी, वह लगभग 1 लाख, 30 हजार करोड़ रुपए के आस-पास थी, लेकिन आपने इसे घटाकर 1,16,000 करोड़ रुपए कर दिया है। आखिर इसे घटाने का क्या औचित्य था? उसमें जो food subsidy थी, यह लगभग 56,000 करोड़ रुपए थी, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में आपने इसे घटाकर 55,000 करोड़ रुपए कर दिया है। अगर एक वित्तीय वर्ष में आपने एक हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी घटा दी है, तो न जाने इससे कितने पेट प्रभावित होंगे और न जाने कितने गरीब मारे जाएंगे? यदि यह करना था, तो इसका आधार क्या था? आज इस देश में सभी गरीबों के पेट को भरने के लिए आपको इस 55,000 करोड़ रुपए के अलावा, कम से कम 86,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आप जरूर इस पर विचार कर रहे होंगे।

महोदय, आपने Food Security Bill की बात की है। उसमें आपका मानक क्या है? आप 25 किलोग्राम देना चाहते हैं या 35 किलोग्राम देना चाहते हैं? क्या वह पर्याप्त है? मैं इस बात से निश्चित रूप से प्रसन्न हूं कि सरकार इस पर विचार कर रही है कि यह सिर्फ भूख मिटाने की बात नहीं है। आप Food Security Act में सिर्फ चावल, दाल और गेहूं की बात कर रहे हैं, लेकिन आज उससे अधिक की आवश्यकता है। यदि सरकार इस पर विचार कर रही है, तो यह अच्छी बात है।

महोदय, अपनी बात समाप्त करते हुए मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जब मैं विधायक था, तो एक बार मैं अपने गांव जा रहा था। शाम का समय था। मेरा विधान सभा क्षेत्र तरैयां था, वहां एक हाट के बाहर, मैं गाड़ी लगाकर चाय पी रहा था। मैंने देखा कि एक छोटी सी लड़की आई, उसने मैले-कुचैले कपड़े पहने हुए थे, चोटी बांध रखी थी और अपने बालों में तेल पोत रखा था।

(3U/VNK पर क्रमशः)

-NB/VNK-HK/3u/6:30

श्री राजीव प्रताप रूडी (क्रमागत): उसके हाथ में एक झोली थी और वह बाजार में जो हाट लगा था, वहां से कुछ साग-सब्जी खरीद कर वापस आ रही थी। मैंने उस बच्ची को रोक लिया और उससे पूछा कि इस झोली में क्या है? मैंने उससे वहां की भाषा, भोजपुरी, में पूछा कि "एकरामे देखावा कि का बा, दिखावे के चाहतिन कि एकरामे का बा।" उस बच्ची ने बड़े प्रेम से झोली खोल कर दिखाया। छोटी-सी झोली थी और उसमें तीन-चार आलू, कुछ भिंडी, एक-दो प्याज और एक छोटी-सी बेनीड्रील की शीशी थी। मैंने पूछा कि इस शीशी में क्या है, तो उसने बताया कि इसमें तेल है। उस बेनीड्रील की शीशी में आधी शीशी सरसों का तेल था। मैंने पूछा कि यह कितने का बाजार हुआ है, तो उसने कहा कि बाबूजी ने मुझे दस रुपए दिए थे, मैं उनमें से आठ रुपए खर्च करके जा रही हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि कभी मौका मिले, तो इस छोटी-सी लड़की को तलाश कीजिए और इस छोटी-सी लड़की की झोली में झांक करके देखिए। उसकी झोली में जो सामान था, वह तीन दिन के लिए था। संभवतः वह किसी मल्लाह की बेटी थी या किसी मछुआरे की बेटी थी। वह दीयरा क्षेत्र से सामान खरीदने आई थी। उस छोटी-सी लड़की की झोली में देखने के बाद साफ पता चल जाएगा कि इस देश में गरीब कैसे जीते हैं। वह दस रुपए में तीन दिन अपना घर चला रही है। मंत्री महोदय, आप जिस दिन इस छोटी-सी लड़की को पहचान कर इसकी झोली को खोल कर देख लीजिएगा, तो इस देश की समस्याओं का निदान हो सकता है। यही मेरा आपसे आग्रह है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

श्री किशोर कुमार मोहन्ती (उड़ीसा): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर विशेष उल्लेख नहीं करना चाहूंगा। मैं कुछ ही शब्दों में अपनी बात समाप्त करूंगा। सर, मैं जहां से आता हूँ, वह अन्न का क्षेत्र है। कहा जाता है कि उड़ीसा में एक ही भगवान अन्न खाते हैं और वह है

जगन्नाथ भगवान। हमारे पैराणिक हिसाब से अन्न का जन्म उड़ीसा में ही हुआ था। कोरापुट के सबरी क्षेत्र में अन्न की पैदाइश हुई थी, ऐसा कहा जाता है। इसलिए मैं उस क्षेत्र से आया हूँ, जहां अन्न का ज्यादा उत्पादन होता है। मंत्री महोदय का नाम शरद पवार है, शरद तो ऐसे भी greenery का नाम है और पवार शक्ति का नाम है। हम चाहेंगे कि आज देश सामने जो कठिनाई है, देश उस कठिनाई को आराम से पार कर सके, भगवान उनको इसके लिए शक्ति दे। मैं इतना ही कहूंगा कि कम से कम हमारे क्षेत्र में जो धान की उपज होती है, उसमें उतनी ही मेहनत होती है, जितनी मेहनत यहां पर गेहूं उपजाने में होती है। मगर गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य से एक सौ या डेढ़ सौ रुपए कम धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। जब कि प्रति एकड़ गेहूं उपजाने में धान उपजाने से कम खर्च लगता है। हम लोग बार-बार आपसे गुजारिश करेंगे कि जो आदमी या जो मजदूर खेत पर जाकर जमीन की मिट्टी के साथ एक होकर 6 महीने में एक फसल उगाता है, वह किस तरीके से उस फसल पर अच्छी आमदनी पा सके, इस पर हमारी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। हमारे उड़ीसा में आपका जो FCI है, उसमें वहां बीते सालों में खेती करने वाले मजदूरों से बहुत कम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदा। इसी कारण वहां पर धान के बारे में distress sale हुआ था। आप यहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य फिक्स करते हैं और वहां पर स्टेट गवर्नमेंट जो खरीद करती है, उनके पास खरीदने की जो capacity होनी चाहिए, जितने market yard होने चाहिए, उतने market yard या खरीदने की उतनी शक्ति सामर्थ नहीं है, इसी कारण वे लोग खरीद नहीं सकते हैं और बहुत सारे paddy गोदाम के बाहर पड़े रहते हैं।

(3w/MP पर क्रमशः)

MP-KSK/3W/6.35

श्री किशोर कुमार मोहन्ती (क्रमागत): बरसात में बरबाद होते हैं, उसके कारण कई मज़दूर आत्महत्या भी करते हैं, यह भी आपकी नज़र में आया होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से उड़ीसा सरकार को वहां पर्याप्त सुविधाएं दी जाएं, ताकि वहां पर जब

वे paddy procure कर रहे हैं, अगर वहां sufficient godowns रहेंगे, तो उसको रखा जा सकेगा। मेरा यह भी आग्रह है कि जो गेहूं और धान में difference है, उसको एक ही किया जाए, ताकि गेहूं और धान का जो procurement है, उसमें कोई फर्क न हो।

सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक बात और कहूंगा। आप जानते हैं कि उड़ीसा में रायगढ़ में जो कॉटन होती है, वह बहुत top quality की होती है, लेकिन उसकी मार्केटिंग का वहां पर आज तक कोई प्रबंध नहीं हुआ है। अगर आप उसमें भी Minimum Support Price (MSP) करते और जो उसकी खेती कर रहे हैं, उनको अगर सुविधा दी जाती, तो शायद वहां कॉटन की खेती करने वाले मज़दूर आत्महत्या न करते। सर, रायगढ़ का जो फुलबाड़ी जिला है, जो आदिवासी बहुल एरिया है, उस एरिया में जो मज़दूर मेहनत करके कॉटन का उत्पादन करते हैं, वे sufficient price न मिलने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह जो Minimum Support Price है, आप इसको केवल दोतीन चीज़ों, जैसे गेहूं या चीनी तक सीमित न रखते हुए, जो 26 items हैं, जो 26 selected essential commodities हैं, अगर उन सबमें Minimum Support Price करने का प्रबंध करें, तो जो हमारे गरीब आदमी हैं, निचले तबके के आदमी हैं, जो खेती करते हैं, जिनकी वजह से आज 120 करोड़ आदमी अन्न पाते हैं, इनको सुविधा हो सकेगी। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

(समाप्त)

SHRIMATI T. RATNA BAI (ANDHRA PRADESH): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me an opportunity to speak in the House today on this important subject which concerns the common people. The Budget allocation for the Department of Consumer Affairs has been increased to about 14 per cent compared to that of the last year, and I think, it is a good measure.

Identification of beneficiaries is an important aspect. Regarding Public Distribution System, the State Governments are adopting their own norms for

the identification of BPL families for distribution of foodgrains. For example, the Planning Commission has estimated that the BPL families eligible for Public Distribution System in Andhra Pradesh are 40 lakh. But, as per the estimation of the Government of Andhra Pradesh, there are 140 lakh such families. So, there is a difference of 100 lakh eligible families who are suffering very much in getting the PDS items. Most of them are the tribals who are losing their genuine right in availing the PDS items. Hence, I request the Government to properly identify the eligible BPL families in future.

There are so many irregularities in the issue of ration cards to BPL families, especially the tribals living in the rural areas of Andhra Pradesh. Sometimes, the officials do not issue ration cards as per the existing guidelines, or sometimes, they issue the ration cards with incomplete information. This is causing a lot of problems to the uneducated people, especially the tribal people who do not have proper knowledge about their rights. This situation needs to be addressed immediately to protect the innocent tribals and other people in our country, especially in Andhra Pradesh.

Then, I would like to mention about operation of Fair Price Shops. As per the rules, the owners of the Fair Price Shops are required to display the items available on a day-to-day basis on the notice Board. But, it seems that majority of the Fair Price Shops are not following the existing guidelines and thereby, the people are put to many hardships and are forced to purchase the items from the market.

(continued by 3x - sk)

SHRIMATI T. RATNA BAI (CONTD.): I request the Government to strictly monitor the fair price shops regularly to ensure that the people, especially the tribals get the items as per their eligibility, especially in the scheduled areas. I also request the Government to take strict action against the guilty, those who violate such existing guidelines like irregularity in maintaining of registers at the fair price shops.

I suggest that cooperative societies or self-help groups should be given preference in the allotment of licenses of fair price shops in future.

Sir, there is a demand from the scheduled areas to set up adequate number of godowns to cater to the genuine needs of the tribal people. They demand for setting up of more fair price shops, that is, at least one fair price shop for every two kilometers in the scheduled areas and other areas also with proper transportation system. To ensure this, adequate godowns are to be set up more in the nearby areas of fair price shops. This is the need of the hour to remove the difficulties of the tribals, especially in Andhra Pradesh.

There is abnormal diversion of food items, of more than 75 per cent of the total off-take of BPL quota in some States like Bihar and Punjab and it is nearly up to 25 per cent in Andhra Pradesh. This needs to be stopped immediately by implementing strict laws in each and every State especially in the scheduled areas

Andhra Pradesh. To avoid this, the Government should take steps to make the

details of the items available online so that the misuse and diversion of food grains will be stopped in future.

The ration items carried by the trucks to fair price shops should be tracked and monitored by the global positioning system to ensure that the goods reach the shops where they are designated for a particular purpose. Strict action should be taken on the spot by monitoring with the global positioning system.

If there is a delay in delivery of stocks, the stage at which the delay has occurred must be identified and responsibility must be fixed and action should be taken through the global positioning system immediately to arrest the misuse of ration items. Thank you, Sir.

(Ends)

SHRIMATI VASANTHI STANLEY (TAMIL NADU): Thank you, Sir. At the outset, I appreciate the Congress-led UPA Government for keeping up their promises to the farmers like agriculture loan waiver, extending the time to repay their loans and also increasing the interest subvention for prompt repayment of crop loans from 1 per cent to 2 per cent. This has definitely resulted in increase in production of agriculture. I am really happy to note that, as per the annual report, page 44, the stocks in the central pool is 476.95 lakh tonnes. This is the first time when this has reached this much in the last seven years. The procurement has gone up substantially and the stocks have also increased to double. I just wonder whether the FCI godowns have the capacity to hold and manage such huge stocks because they often prefer to go for the private godowns. Sir, if not properly managed, it will go to the road, I mean, to the rats, but not to the human beings. So, Sir, a better stock management policy of central pool and PDS is required.

As per your annual report again, the quantum of food grains in excess of the BPL families was provided to the States as transitory allocation. This is to the tune of 103 lakh tonnes last year. But the annual report does not contain the State wise details of what are the commodities given to which States. That detail is not found. So, I am not in a position to know what Tamil Nadu has received as per your report.

(Contd. by ysr - 3y)

-SK/YSR-MCM/6.45/3Y

SHRIMATI VASANTHI STANLEY (CONTD.): In this context, I received some reports of Tamil Nadu. Very often when we talk about price rise here, the hon. Minister shares his views saying that the State Governments have to share responsibility in curbing price rise through better management of the PDS and all that. I would like to mention very proudly here that in Tamil Nadu we are giving rice at Re. one per kg. Not only that, I would also like to share some other facts with you. The quantity ordered for Urad dal was 29,590 tonnes; procurement was only 19,580 tonnes; and Tamil Nadu distributed 62,184 tonnes through the PDS. The quantity ordered for toor dal was only 2,250 tonnes; procurement was 2,260 tonnes; and through the PDS Tamil Nadu distributed 1,27,267 tonnes. In case of palm oil, we distributed 1,30,000-odd litres. In case of fortified atta, we distributed 38,842 tonnes; in case of sooji, we distributed 5,675 tonnes; and in case of maida, we distributed 19,812 tonnes. We procured it from open market; and we are giving it to the poor people at subsidized rate. I hope that the Central Government under the able Ministership of Pawarji will take into consideration the States which are doing very well like Tamil Nadu.

The supply through the Union Government to the States is inadequate. I hope you will do the needful for the States.

I would like to share my views on computerization of ration cards. It is hundred per cent in Tamil Nadu, and no extra card is being issued unnecessarily to anybody to avoid wastage under the PDS. I wish this could be extended to all over India under your able Ministership.

My next appreciation goes to the Government for increasing the allocation of rice or wheat from 10 kg to 20 kg for the BPL family. If you divide this 20 kg per month per family, it comes to 280 gm per person.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): Please conclude.

SHRIMATI VASANTHI STANLEY: It is not at all adequate for BPL families who do manual labour to earn their livelihood. Sir, I will take two more minutes.

As per your report, conviction rate under the Essential Commodities Act, 1955, was 15 per cent in 2006; 20 per cent in 2007; 12 per cent in 2008; and only 1.4 per cent in 2009. Is there no black-marketing of essential commodities? Or is your Department not taking proper care of this? I want to highlight this point so that the Essential Commodities Act is taken seriously and State Governments are induced to make more raids to curb black-marketing.

My next concern is that the Minimum Support Price should be not just for sugarcane and rice. It should be given for dal also. It should be on a par with changing market rates, so that poor farmers are not left as goes a song from Tamil cinema.

(Hon. Member may fill in the Tamil song)

It means whatever they may produce on their farm, they will be left with their legs and hands if they are not properly taken care of. The Minimum Support Price should be fixed for dal and other agricultural commodities also.

Last but not least, I am really very surprised to see from your Annual Report about the export of edible oil and rice. As per the diplomatic decision of the Government, they are exporting very large quantity of rice and oil to countries like Nigeria and Cote D'Ivoire. We have not even heard of such nations. More diplomatic thing would be to save your own skin. That should be the policy. I hope the Minister will reconsider this export policy or, at least, reduce the quantum of rice being exported to such countries and see that food subsidy is raised and there is complete food security is the country. Thank you.

(Ends)

(Followed by GS/3z)

VKK-GS/3Z/6.50

श्री साबिर अली (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का समय दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां 220 मिलियन टन की पैदावार की जाती है और इससे पहले भी माननीय सदस्यों ने आंकड़े पेश किए हैं। कमोबेश 30 परसेंट अनाज खराब हो जाता है, जिसका रख-रखाव ठीक तरह से नहीं किया जाता है। करीब 70 मिलियन टन हमारे देश का अनाज खराब हो जाता है और उन तक नहीं पहुंचता है, जो इसके हकदार हैं। साथ ही साथ 1980 में ब्लैक मार्केटिंग के लिए प्रिवेंशन एक्ट आपने बनाया। मैं समझता हूं कि एक्ट बना, लेकिन इस पर रिएक्शन नहीं होता, एक्ट पर कोई एक्ट नहीं होता और यही वजह है कि हमारे यहां ब्लैक मार्केटिंग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और उसमें किसी तरह की कोई रूकावट नहीं है। मेरे से पहले भी सदस्यों ने कहा कि हमारे देश में जो एफसीआई के

गोदाम हैं, वे नाकाफी हैं, आपके द्वारा खरीदा गया अनाज आसमान के नीचे सड़ जाता है, उसको सही जगह तक नहीं पहुंचाया जाता है, उसको सही लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता है। आपके यहां से हर साल आंकड़े आते हैं, लेकिन उन पर कोई अमल नहीं किया जाता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मंत्री आते हैं, जाते हैं, बनते हैं और पिछले 62 साल में बहुत से मंत्री बने होंगे, एक्ट बनाए जाते हैं, दोबारा एक्ट लाया जाता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आज सबसे सख्त जरूरत इस बात की है कि इस देश में जो बाबू लोग हैं, जिन लोगों की डिस्ट्रिब्यूशन के जरिए से अनाज को गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है, जो सरकार के नौकर हैं, जो सरकार से तनख्वाह लेते हैं, उनके खिलाफ आपकी तरफ से क्या कार्यवाही की जाती है, क्या कदम उठाए जाते हैं कि वे लोगों तक, गांव तक अनाज को पहुंचाएं, लेकिन हम लोग मंत्री जी को दोष दे देते हैं। मैं जानता हूं कि इस सरकार में आपसे सक्षम मंत्री कोई और नहीं है, आप जैसा अनुभवी कोई नहीं है, आप प्रदेश के मुखिया रहे हैं, आपने इस देश की डिफेंस को देखा है, आप दोबारा कृषि मंत्री बने हैं, आपकी तरफ पूरा देश देख रहा है। इस समय देश के गांव-गांव में महंगाई की आग लगी हुई है। आप जानते हैं, आपने मुम्बई शहर को नजदीक से देखा है, वहां पर करीब-करीब 80 लाख लोग गांव से इसलिए आते हैं कि वे दो-तीन हजार रुपये महीने कमाई करके कुछ पैसे बचाकर अपने परिवार के लिए गांव में भेज देंगे, लेकिन आज स्थिति बहुत खराब है। चाहे दिल्ली शहर हो, चाहे मुम्बई शहर हो, चाहे मेट्रो शहर हों, इनमें गांव से लोग मजदूरी करने के लिए आते हैं, छोटे-छोटे काम करने आते हैं, लेकिन उनकी आज यह स्थिति है कि वे अपने लिए खाने का और रहने का इंतजाम ठीक तरह से नहीं कर सकते हैं, गांव में परिवार के लिए पैसा बचाकर भेजना तो दूर की बात है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यहां पर सदस्यों ने खाद्य पदार्थों में मिलावट की बात भी कही है, मैं उनकी बात से सहमत हूं। हम दिल्ली शहर में हैं, दिल्ली इस देश की राजधानी है, इसके अगल-बगल में यू0पी0 है, हरियाणा है, वहां पर कितने हजारों क्विंटल टन नकली दूध पकड़ा जाता है, नकली दवाइयां पकड़ी जा रही हैं, सब्जियों में मिलावट पकड़ी जा रही

हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है। सिर्फ एक्ट बना दिया गया है, मिलावट करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जाती है। मैं समझता हूं कि यह हमारी कमजोरी है। हम लोग कह तो देते हैं, बहस तो कर लेते हैं, लेकिन जब उसको अमलीजामा पहनाने की बात आती है, तो उसको अमलीजामा नहीं पहनाते हैं।

(४ए/एएससी पर जारी)

ASC-RSS/6.55/4A

श्री साबिर अली (क्रमागत): मैं इस बात को फिर दोहराना चाहता हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि सरकार बाबू लोगों पर कड़ाई करे, क्योंकि करने वाले वे लोग हैं और भ्रष्टाचार वहां ज्यादा है। नेताओं के लिए कहा जाता है कि ये लोग करप्ट हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि नेताओं से ज्यादा बाबू लोग करप्ट हैं, इसलिए उन पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है। यहां पर वरिष्ठ MP बोल रहे थे और शुक्ल जी कह रहे थे कि इस बार मंत्री जी ने सुझाव दिया था, सुबोध कांत सहाय जी ने सुझाव दिया कि आप corporate लोगों को दे दो। यहां शुक्ल जी मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैं इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि corporate की बात क्यों करते हो, क्या इस देश के किसानों को corporate का गुलाम बनाना चाहते हो? जितने भी इस देश के corporate हैं, आज वे अपने हर काम पर जाल बिछाए हुए हैं और यह उन्हीं की देन है, जो इस बार IPL में पांच लाख करोड़ की हेराफेरी हुई है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि ..(व्यवधान).. महोदय, अभी दो मिनट बाकी हैं और मैं अपने समय पर खत्म कर दूंगा। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि एक्ट चाहे जितने भी बनें, लेकिन एक्ट पर एक्शन होना चाहिए। उसको अमलीजामा पहनाने की जरूर है, चाहे हम जितने भी एक्ट बना लें।

सर, मैं आपको एक छोटे जिले का उदाहरण देता हूं। जब मैं आपके मंत्रालय के एक छोटे व्यक्ति को फोन करता हूं कि आपके इस प्रखंड में गोदाम नहीं हैं। वह कहता है, हैलो। जी, हां बोलिए। मैंने कहा कि मैं साबिर अली, Member of Parliament बोल रहा हूं। हां, बोलिए। मैं कहता हूं कि भैया आपके इस-इस प्रखंड में अभी तक गोदाम नहीं बने हैं। वह

बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं और फोन उप्प करके रख देता है। जो आपके आफिसर लोग हैं, उनका यह रिएक्शन है। उनकी इस तानाशाही को तोड़ने की जरूरत है और उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि जहां से आप चुनकर आते हैं, वह शहर इस देश का नमूना शहर हो सकता है। आप बारामती से आते हैं। आप अपने प्रदेश को इतनी उन्नित पर लेकर गए हैं, जो आपके एक्सपीरिएंस हैं, उनको दूसरे शहरों में भी इम्पलिमेंट करने की कोशिश कीजिए, तािक हमारे बिहार जैसा प्रदेश, उड़ीसा जैसा प्रदेश और बंगाल जैसा प्रदेश भी तरक्की के रास्ते पर आए। मैं समझता हूं कि जो आपका एक्सपीरिएंस हैं, इस देश को उसका जरूर फायदा मिलेगा, इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): Discussion is over. The hon. Minister will reply on Monday. Now, Message from the Lok Sabha.

MESSAGE FROM LOK SABHA

THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL BILL, 2010

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha.

In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the National Green Tribunal Bill, 2010, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 30th April, 2010.

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

(Ends)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): The House stands adjourned till 11 a.m. on Monday the 3rd May, 2010.

_ _ _ _ _

The House then adjourned at fifty-eight minutes past six of the clock till eleven of the clock on Monday, the $3^{\rm rd}$ May 2010.